खण्ड-237, अंक-1
बुधवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(5 दिसम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–
प्रश्नोत्तर	५–४६
कार्य–स्थगन प्र[illegible]म ५२ व ५३ के अन्तर्गत सचनाएं ..	४६–४७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी)	४७–६३
उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन)विधेयक,१९६२ (पुरः–स्थापित किया गया) ..	
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (खंडशः विचार जारी)	६३–९७
अधिष्ठाता मण्डल के एक रिक्त स्थान के लिये मनोनीत सदस्य के नाम की घोषणा ..	९७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (खंडशः विचार जारी)	९७-
नत्थियां	९९–१४३

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८८

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह,श्री
अजीज इमाम,श्री
अनीसुर्रहमान,श्री
अब्दुल समी,श्री
अब्दुल हसीब खां,चौधरी
अमजद अली,श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर ,श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह,श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां,श्री
अहमद बख्श,श्री
इन्द्रपाल,श्री
इरतजा हुसैन,श्री
ईश्वरशरण , श्री
उग्रसेन,श्री
उमादत्त,श्री
उमाशंकर,श्री
उमाशंकर तिवारी,श्री
उल्फतसिंह,श्री
ऊदल ,श्री
ऋषिनारायण शास्त्री,श्री
एस० जी० दत्त ,श्री
ए० सी० ग्राइस,श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी ,श्री
कंधईलाल,श्री
कन्हैयालाल ,श्री
कमलापति त्रिपाठी ,श्री
कमलासिंह यादव,श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह,श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र,श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द ,श्री
कृष्णपालसिंह,श्री
कृष्णसिंह,श्री
कृष्णा,श्री
कृष्णानन्द राय,श्री
केदारनाथ भार्गव ,श्री
केशरीप्रसाद पांडेय,श्री
केशव गुप्त,श्री
केशवराम,श्री
केशवसिंह,श्री
कैलाश,श्री
कोतवालसिंह भदौरिया,श्री
खुशीराम,श्री
खूबसिंह,श्री
खेमचन्द,श्री
गंगाधर सैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद,श्री
गंगाप्रसाद वर्मा,श्री
गंगाप्रसादसिंह,श्री
गंगासिंह विष्ट,श्री

गणेशचन्द्र काक्षी,श्री
गणेशप्रसाद,श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद,श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा ,श्री
गिरजाप्रसाद,श्री
गिरधारीलाल,श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद,श्री
गुप्तारसिंह,श्री
गुलाबसिंह,श्री
गेंदादेवी,श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद,श्री
गोपीनाथ दीक्षित,श्री
गोविन्दसहाय,श्री
घनश्यामदास,श्री
घासीराम ,श्री
चन्दनसिंह,श्री
चन्द्रजीत यादव,श्री
चन्द्रदेव ,श्री
चन्द्रपाल,श्री
चन्द्रबलीसिंह,श्री
चन्द्रभानु गुप्त,श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती ,श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव ,श्री
चुन्नीलाल,श्री
चैतन्यराजसिंह,श्री
छत्रपति अम्बेश,श्री
छांगुर ,श्री
छेदालाल चौधरी ,श्री
जगदम्बाप्रसाद,श्री
जगदीश ,श्री
जगदीशनारायण सिनहा,श्री
जगदीशप्रसाद,श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद,श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी ,श्री
जगनप्रसाद रावत,श्री
जगन्नाथ चौधरी,श्री
जगन्नाथ राव ,श्री
जगन्नाथसिंह,श्री
जगमोहनसिंह नेगी,श्री
जगवीरसिंह,श्री
जमादारसिंह,श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई,श्री
जयगोपाल ,श्री
जयराम वर्मा,श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह,श्री
जियाउर्रहमान,श्री (उपनाम वक्कल)
जुगलकिशोर,श्री
जेड० ए० अहमद,श्री
जे० पी० मिश्र,श्री
ज्वालाप्रसाद,श्री
झारखंडेराय ,श्री
झिलमिट राम , श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद,श्री
डल्लाराम,श्री
तमेश्वरप्रसाद,श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी,श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह ,श्री
दयाराम शाक्य श्री
दलजीतसिंह,श्री
दाऊदयाल खन्ना ,श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह,श्री
दुर्गाप्रसाद,श्री
दुर्योधन,श्री
देवदत्त मिश्र,श्री
देवीदत्त ,श्री
देवेन्द्रसिंह,श्री
दौलतलाल,श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय,श्री
द्विजेन्द्रनारायण,श्री
धर्मदत्त वैद्य,श्री
धर्मसिंह ,श्री
धूमप्रसाद,श्री
नत्थाराम रावत,श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ ,श्री
नरदेवसिंह,श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय,श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह,श्री
नरेन्द्रसिंह,श्री
नरेन्द्रहिं विष्ट ,श्री
नरोत्तमसिंह,श्री
नवरंगसिंह,श्री
नवलकिशोर,श्री
नाथूराम शिक्षक,श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय,श्री

नियाज हसन खान,श्री
नियामतुल्ला अन्सारी,श्री
नेकराम शर्मा,श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल ,श्री
पंचमदास,श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार,श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल,श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह,श्री
मदनपालसिंह,श्री
मनसाराम,श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां,श्री
महमूद हसन खां,श्री
महरामसिंह,श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद,श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह,श्री
महेन्द्रसिंह,श्री
माताप्रसाद,श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी,श्री
मान्धातासिंह,श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर,श्री
मुकुटबिहारीलाल,श्री
मुजफ्फर हसन,श्री
मुन्नूसिंह ,श्री
मुरलीधर कुरील,श्री
मुल्तानसिंह,श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन,श्री
मूलचन्द शास्त्री,श्री
मैघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल,श्री
मेड़ीलाल ,श्री
मैनेजरसिंह,श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार,श्री
मोहनलाल वर्मा,श्री
मोहनसिंह,श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री

यशोदादेवी,श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी ,श्री
रक्षपालसिंह,श्री
रघुनाथ ,श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह,श्री
रघुवीर,श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह,श्री
रतीपाल,श्री
रणबहादुरसिंह,श्री
रमाकान्तसिंह,श्री
रमेशचन्द्र शर्मा,श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह ,श्री
राजनाथसिंह,श्री
राजनारायण ,श्री
राजनारायण मिश्र,श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम,श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव,श्री
राधेश्याम शर्मा,श्री
रामअधार कनौजिया,श्री
रामअधीनसिंह,श्री
रामअनन्त पांडेय ,श्री
रामअवध,श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर ,श्री
रामकिशोर वर्मा,श्री
रामकिशोर त्रिपाठी,श्री
रामकुमार शास्त्री,श्री
रामचन्द्र विकल,श्री
रामचन्द्रसिंह,श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक,श्री
रामनाथ पाठक,श्री
रामपाल त्रिवेदी,श्री
रामपालसिंह,श्री
रामप्यारे,श्री
रामप्रसाद देशमुख,श्री
रामबली मिश्र,श्री
रामभजन, श्री
रामामूर्ति ,श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती,श्रीमती
रामरूपसिंह,श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल,श्री
रामलखनसिंह,श्री
रामलाल,श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह ,श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय,श्री
रामसुन्दर शास्त्री,श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय,श्री
रामायणराय,श्री
रामेश्वरनाथ,श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन ,श्री
रुकुमसिंह राठौर,कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह ,कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव,श्री
लखपतराम शर्मा,श्री
लखीसिंह,श्री
लालबहादुरसिंह,श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह,श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा,श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा,श्री
विजयकुमार ,श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर ,श्री
विजयशंकरसिंह,श्री
विजयसिंह ,श्री
विद्यावती राठौर ,श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन,श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद,श्री
वीरसेन ,श्री
वैजनाथ पांडेय,श्री
शंकरलाल ,श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी ,श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल ,श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा,श्री
शारदानन्द,श्री
शिवचरण,श्री

शिवदार्नासिंह,श्री
शिवनार्थासिंह,श्री
शिवप्रसाद ,श्री
शिवमंगल,श्री
शिवराजसिंह,श्री
शिवसम्पति शर्मा,श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा,श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलालगुप्त वकील, श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज,श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा ,श्री
होतीलाल अग्रवाल,श्री
होरीलाल यादव,श्री

नोट:--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

रासायनिक खाद

*१-श्री महादेव (जिला फैजाबाद)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला कोआपरेटिव फेडरेशनों के जिम्मे पी० सी० एफ० की बिकी हुई रासायनिक खाद के मूल्य का कितना -कितना बकाया ३१ मार्च, १९६२ तथा ३० जून,१९६२ को था ?

*२---क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के फेडरेशनों को सन् १९६० -६१ में कुल कितना लाभ या हानि हुई ?

*३—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास फैजाबाद जिले में रासायनिक खाद वितरण के सम्बन्ध में खाद के ब्लैक किये जाने, अधिक मूल्य तथा बिना रसीद के बेचे जाने की कोई शिकायत आई है अथवा इसकी खबर है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—वांछित सूचना राज्य के समस्त जिलों के कोआपरेटिव फेडरेशनों से अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक रासायनिक खाद की बिक्री का सम्बन्ध है केवल फैजाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की शिकायत है कि व्यक्ति-गत-रूप से किसी को लाइसेन्स न देकर कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम से लाइसेंस दिया जाता है और खाद की बिक्री में चोरबाजारी हो जाया करती है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खाद बिक्री में चोर बाजारी को रोकने के लिये कोई सख्त कदम उठाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, प्रश्न से इसका कोई सीधा सम्बन्ध तो है नहीं, अगर कोई शिकायत आयेगी तो उसको देखा जायगा और सरकार ऐसे मामलों में हमेशा ही सावधान रहती है ।

आजमगढ़ जिले में हरिजन छात्रवृत्ति

*४—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५७ से अब तक आजमगढ़ जिले में प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों के लिये प्रतिवर्ष कितना धन स्वीकृत किया गया और कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—छात्रवृत्तियां वित्तीय वर्षानुसार अप्रैल से अगले मार्च तक के लिये स्वीकृत की जाती हैं ।

आजमगढ़ जिले के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में हरिजन छात्रों के लिये प्रत्येक वर्ष १८,११४ रुपया स्वीकृत किया गया तथा ६२९ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं ।

*५—श्री छांगुर—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वर्षों में प्रति वर्ष छात्रवृत्ति का कितना धन ऐसा था जो छात्रों को किसी भी कारण से छात्रवृत्ति न देने से बच गया ? इसके क्या कारण थे और उस धन का उपयोग कहां किया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—नगरपालिका को दिये गए धन में कोई बचत नहीं हुई ।

राजकीय आदर्श विद्यालय में हुई बचत निम्न प्रकार है :—

		रु०
१९५७-५८	.. .. ..	४३
१९५८-५९	.. .. ..	७७.८८
१९५९-६०	.. .. ..	१२.९७
१९६०-६१	.. .. ..	३५.३६
१९६१-६२	.. .. ..	३५.३१

यह धन छात्रों की कमी तथा स्कूल छोड़ जाने के कारण हुई । यह धन खजाने से नहीं निकाला गया अतः उसके उपभोग का प्रश्न नहीं उठता ।

इसके अतिरिक्त अन्तरिम जिला परिषद् को दिये गये धन में निम्नलिखित बचत हुई :—

			रु०
१९५७–५८	..	..	..
१९५८–५९	..	..	८१२.००
१९५९–६०	..	..	७१९.००
१९६०–६१	..	..	६००.००
१९६१–६२	..	..	९४४.५०

यह बचत कुछ विद्यालयों के सम्बन्ध में देर से धन निकालने के कारण और सत्र के बीच ही में कुछ छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने के कारण हुई। यह धन अभी तक परिषद् के शिक्षा कोष में जमा था परन्तु इस साल के अनुदान में कमी करके इस धन का उपभोग छात्रवृत्तियों के ही लिए करने के आदेश दिये गये हैं।

श्री छांगुर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनकी वजह से देर से धन निकला और छात्रों को नुकसान हुआ और उन विद्यालयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—जो धन नहीं निकाला जा सका वह तो वहीं जमा है। कार्यवाही तो कोई नहीं की गयी है। अबकी बार जो एलाटमेंट होगा उसमें वह मुजरा कर दिया जायगा।

श्री छांगुर—उत्तर में बतलाया गया है कि यह जो धन जमा है उतना धन इस वर्ष के अनुदान में से कम कर दिया जायगा। तो जो धन जमा है वह कम ही कर दिया जायगा और उसी हिसाब से अनुदान मिलेगा तो इससे छात्रों को फायदा ही क्या हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उससे दूसरे किसी छात्र का नुकसान नहीं हुआ। छात्र नहीं थे तो यह धन बाकी रह गया। अगर किसी के नुकसान की बात होगी तो इंक्वायरी कर ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस का क्या कारण था कि विद्यालय के कर्मचारियों ने या अधिकारियों ने देर से रुपया भुगतान करने के लिये बिल दिया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसका कारण तो इस समय नहीं बताया जा सकता इसकी इन्कवायरी हम करा सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो छात्रवृत्ति की रकम १८ हजार है २२ लाख की आबादी में जिस में से साढे ४ लाख हरिजन हैं तो यह रकम छात्रों की संख्या आबादी या किस चीज के आधार पर निश्चित की जाती है और क्यों ऐसा किया गया, कम की गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जितना धन पर्याप्त होता है उसके हिसाब से यह दिया जाता है। छात्रवृत्ति के लिये कोई खास सिद्धान्त तो नहीं है यह पर्याप्त धन और छात्रों की संख्या को देखकर किया जाता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—यह उत्तर में स्पष्ट है कि २ कारणों से बचत हुई एक तो यह कि लड़के नाम कटाकर चले गये और दूसरे रुपया विलम्ब से निकाला गया। इस से साफ जाहिर है कि कुछ लड़के छात्रवृत्ति से वंचित हो गये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस से वह छात्र भी वंचित रह गये जिन के नाम नहीं कटे ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों का लापरवाही से ऐसा हुआ उन के खिलाफ क्या कार्यवाही वह करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इस की जांच करा ली जायगी और उनके खिलाफ नोटिस मिलने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---मंत्री जी का कहना है कि लड़कों का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब छात्रवृत्ति की संख्या कम हो गई तो लड़कों का नुकसान तो हुआ तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो लड़के उस वक्त पढ़ते थे और हाजिर थे और जिन को छात्रवृत्ति नहीं मिली उन को पुनः वह दी जायगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---वह कहां अब दी जायगी ?

श्री ऊदल---जो लड़के पढ़ते होंगे उन को दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---जो लड़के छोड़ कर चले गये उन का सवाल नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि विलम्ब से रुपया निकालने के कारण कुछ छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अवश्य वंचित रहे ।

श्री अध्यक्ष---अगर ऐसा है तो उन को किसी तरह से कम्पेन्सेट करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अब वह मुआवजा किस को दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---उन का प्रश्न यह है कि जो छात्र पढ़ रहे थे और उनको किसी गलती से छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी उन को अब आप दीजियेगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---यदि वह पढ़ते होंगे तो मिल जायगी, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उन को छात्रवृत्ति कहां दी जाय ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी इस बात पर फिर से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जो छात्रवृत्ति हरिजनों के लिये आती है उसका अलग एकाउन्ट मेन्टेन किया जाता है और शिक्षा विभाग का जनरल एकाउन्ट अलग होता है ? तो क्या हरिजनों की छात्रवृत्ति की रकम एक साल की अगले साल के लिये रखने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अब इस तरह से इंतजाम कर दिया गया है कि अंतरिम परिषद् को जितनी छात्रवृत्ति देनी है वह ट्रांसफर कर दी है और अंतरिम जिला परिषद् में उसका हिसाब रखा जायगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि छात्र-वृत्तियों के लिये जो अनुदान दिया जाता है इतने विलम्ब से दिया जाता है कि विद्यार्थियों को समय से नहीं मिलता और जो इस उम्मीद में पढ़ने आते हैं कि हमको मिल जायगी उनको मध्य में छोड़ना पड़ता है इसलिये भी रुपया बच जाता है । तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसी खयाल से ऐसा किया गया है । अंतरिम जिला परिषद् को यहां से जितनी छात्रवृत्ति देनी है वह भेज दी जाती है कि अंतरिम जिला परिषद् इसका निर्णय करके उसको वितरित कर दे । यह इसीलिये किया गया है कि समय से लड़कों को मिल जाय ।

श्री छांगुर---जैसा बताया गया कि ६२९ छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है । तो जैसे ऊपर के क्लासेज में, हाई स्कूल से ऊपर के क्लासेज में प्रत्येक छात्र को दी जाती है उसी तरह से मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि लोअर क्लासेज में भी हर एक छात्र को छात्रवृत्ति दी जा सके ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---धनाभाव के कारण प्रत्येक छात्र को जो हाई स्कूल तक पढ़ता है नहीं दी जा सकती। अगर मंत्री जी कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे तो अवश्य दी जायगी ।

जालौन जिले में हरिजन स्कूल

*६---**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में कितने हरिजन स्कूल चल रहे हैं और उन स्कूलों के कर्मचारियों का वेतन क्या नियमित रूप से दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जालौन जिले में ६ हरिजन स्कूल चल रहे हैं जिनमें से ४ आवर्तक अनुदान की सूची में हैं तथा शेष दो अनावर्तक अनुदान की सूची में । इस वित्तीय वर्ष में जालौन में केवल एक स्कूल में नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है ।

मुरादाबाद तहसील में लेखपालों द्वारा बिना रसीद के रुपया वसूली

*७---**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार बतायेगी कि कितना रुपया जिला मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद में लेखपालों द्वारा किसानों से लोन के लिये जमा किया गया और उनकी रसीदें जारी नहीं की गयीं और रसीदें जारी न करने का क्या कारण है ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---राज्य ऋण के प्रवर्तन के संबंध में कुछ बैंकों ने इच्छुक अभिदाताओं से कुछ प्रारंभिक भुगतान लेकर उनकी ओर से प्रतिभूतियां खरीदने के लिये उन्हें कतिपय उधार संबंधी सुविधाएं प्रदान की थीं । सहूलियत के लिये ऋण के इच्छुक अभिदाताओं ने मुरादाबाद तहसील में संबद्ध बैंकों को लेखपालों के माध्यम से २,८३१ रुपया का प्रारंभिक भुगतान किया । यह एक अनौपचारिक प्रबन्ध था । चूंकि इस प्रकार एक धनराशि सरकार को लिये जाने वाले किसी भुगतान से संबंधित नहीं थी अपितु इच्छुक अभिदाताओं की ओर से प्रतिभूतियों में रुपया लगाने के लिये बैंकों को दी गई थी इसलिये लेखपाल इनके संबंध में कोई रसीद नहीं दे सके क्योंकि उन्हें ऐसी रसीदें जारी करने का कोई अधिकार नहीं था ।

श्री रियासत हुसैन---इन्हीं सवालों के सिलसिले में मैंने तीन सवाल किये थे जिनमें से नम्बर ५ पर यह था कि क्या सरकार ने हर जिले के कलेक्टर को कोई आदेश दिया है कि बिला रसीद रुपया लेखपालों द्वारा इकट्ठा किया जाय? तो जो उसका जवाब दिया था 'नहीं' । और यहां आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि बिला रसीद रुपया लेखपालों द्वारा गांवों में इकट्ठा किया गया । तो क्या इस सिलसिले में आप कोई जांच करायेंगे तो लेखपालों ने बिला रसीद रुपया इकट्ठा किया है वह किसकी जिम्मेदारी पर किया है, गांवों में जो ८ आना और १ रुपया फी हल सभी लोगों से इकट्ठा किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा---यह तो सरकार की तरफ से हिदायत थी ही कोई रुपया बिला रसीद न वसूल किया जाय । लेकिन जो बैंकों की तरफ से सुविधा कांट्रीब्यूटर्स को दी गई थी उनकी तरफ से लेखपालों ने इस तरह से रुपया वसूल करके लोन में लगाने के लिये किया था । सरकार की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी कि बिला रसीद रुपया वसूल करें ।

श्री रियासत हुसैन---जो लेखपालों ने गांवों में जा कर रुपया इकट्ठा किया वह बैंकों के आदेश से किया या तहसीलदार या कलेक्टर के हुक्म से किया ?

श्री जयराम वर्मा---बैंकों ने जो सुविधायें लोगों को दी थीं उन सुविधाओं की सूचना लोगों तक पहुंची और जिन्होंने इसमें रुपया देना चाहा लेखपालों के द्वारा दिया ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—लेखपाल ग्राम तौर से तहसीलदार और जिलाधीश की आज्ञा का पालन करते हैं । मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे ज्ञात होता है कि बैंक के आदेश से लेखपाल रुपया वसूल करने गये थे । तो मैं सरकार से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या लेखपालों को सरकार से कोई आदेश है कि वे बैंकों के आदेश का भी पालन करें ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—बैंकों का कोई आदेश नहीं था । बैंकों ने कुछ सुविधा दी और वह यह दी कि वह जितना रुपया वसूल करके ले आयेंगे वह यहां जमा हो जायगा और उनकी रसीद उनके पास भेज दी जायगी । ऋण के लिये रुपया वसूल हो रहा है, लेकिन सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया था कि लेखपाल उसे जाकर वसूल करे । उस जिले में लेखपालों को जो रुपया मिला उन्होंने ले लिया बिना रसीद दिये और बैंक में जमा कर दिया । यह उन्हें करना नहीं चाहिये था कि बिना रसीद दिये हुये रुपया लें और इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न हो कि किसी का कोई रुपया वह लें बिना रसीद दिये हुये ।

श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)—लेखपाल रेवेन्यु विभाग से संबंधित हैं और बैंक सहकारिता से संबंधित है । ऐसी अवस्था में बैंक के आदेश को मानने के लिये लेखपालों के पास डायरेक्ट पहुंचा था जिलाधिकारियों के द्वारा वह आदेश पहुंचा ? तो क्या सरकार ने उन जिलाधिकारियों को कोई इस तरह का आदेश दे रखा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि आदेश कहीं दिया ही नहीं । कुछ सुविधा बैंकों ने दी । उस सुविधा के अनुसार गांव में कुछ लोगों ने यह कहा कि अपना इतना रुपया इस ऋण में देना चाहते हैं, इसे ले जाकर जमा करके हमारे पास रसीद भेज दो । थोड़े से लेखपालों ने यह काम किया जो उन्हें करना चाहिये था क्योंकि बिना रसीद दिये हुए कोई सरकारी कर्मचारी कोई रुपया ले और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाय तो उसका बुरा असर होता है । इसलिये बाद में यह आदेश दे दिया गया कि इस प्रकार से लेखपालों को कोई पैसा नहीं देना चाहिये । जिलाधीश ने कोई आदेश नहीं दिया और न बैंकों का आदेश मानने के लिये कोई बाध्यता थी । उन्होंने देखा कि लोग बाग अपनी तबीयत से जमा कर रहे हैं तो उन्होंने रुपया बिना रसीद दिये हुये ले लिया, उसे जमा कर दिया और रसीद पहुंचा दी । फिर भी कानूनन यह बात ठीक नहीं थी और प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री रियासत हुसैन—माननीय मंत्री ने कहा कि बिना रसीद दिये उन्हें रुपया नहीं लेना चाहिये था तो क्या कोई ऐसा प्रबन्ध वह करेंगे कि हर गांव से जो रुपया पटवारियों ने लिया है उसके लिये अगर अलग-अलग नाम से रसीद न मिल सके तो उस ग्रामसभा के नाम उस गांव में रुपये की रसीद पहुंचा दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल तो यह है कि रसीदें पहुंच गयी होंगी किसी को इसकी शिकायत नहीं है और अगर रसीदें न पहुंची हों तो मैं इस बात को देख लूंगा और अगर किसी को ऐसी शिकायत हो कि उन्होंने रुपया दिया और रसीद नहीं पहुंची है तो माननीय सदस्य बतला दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

इटावा जिले के लिए हरिजन छात्रावास

*८—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ में इटावा जिलें में दो हरिजन छात्रावास निर्माण कराने हैं ? यदि हां, तो ये छात्रावास किन-किन स्थानों पर बनाये जावेंगे तथा कब से इनका निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी हां ।

निम्नलिखित संस्थाओं को छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं :---

(१) लोकमान्य रूरल इंटर कालेज, महेवा तथा

(२) जनता इंटर कालेज, अजीतमल ।

महेवा में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है । अजीतमल में भी चालू वित्तीय वर्ष में ही निर्माण-कार्य होने की आशा है ।

*६---श्री सहदेवसिंह---क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि भरथना के एस० ए० बी० इंटर कालेज ने इस सिलसिले में अनुदान के लिये एक प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी हां ।

प्रार्थना-पत्र निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण को प्राप्त हुआ था यह जिला परिषद् को विचारार्थ भेज दिया गया था । इस वित्तीय वर्ष से हरिजन छात्रावास निर्माण की योजना के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं को सरकार स्वयं अनुदान नहीं स्वीकार करती । धनराशि जिला परिषदों को स्वीकृत कर दी गई थी और संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में जिला परिषदों ने ही निर्णय लिया है ।

एस० ए० बी० इंटर कालेज, भरथना को जिला परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

श्री सहदेवसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानीय एस० ए० बी० इंटर कालेज का प्रार्थना-पत्र जिला परिषद् को भेज दिया गया था तो क्या उस कालेज को भी इस बात की सूचना दे दी गयी थी कि तुम्हारा प्रार्थना-पत्र जिला परिषद् को भेज दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन छात्रावास बनाने के लिये अनुदान देने की परिपाटी जो निर्धारित है उसमें कौन-कौन-सी शर्तें हैं, किस प्रकार के विद्यालयों को अनुदान देने का आदेश जी० ओ० में है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---यह बात तो जिला परिषद् तय करता है । अपने जिले की हालत देख कर जिसको वह मुनासिब समझता है उसको देता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष---आपने पूछा कि किन-किन आधारों पर, तो मंत्री जी ने कहा कि यह जिला परिषद् तय करता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उत्तर गलत है ।

श्री अध्यक्ष---आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी फिर से बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा अन्तरिम जिला परिषदों को इस प्रकार के आदेश हैं कि इस-इस प्रकार के विद्यालयों को अनुदान देना चाहिये, उसकी कोई सीमा निर्धारित है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जहां तक मुझको जानकारी है कोई लिखित नियम नहीं हैं उनके डिस्क्रीशन की बात है ।

श्री मैनेजरसिंह---मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषदें सिफारिश करती हैं, लेकिन क्या यह सही है कि जिला हरिजन सहायक समिति सिफारिश करती है और इस संबंध में हरिजन डायरेक्टोरेट से इस प्रकार के निर्देश हैं कि जिला हरिजन सहायक समितियां ही सिफारिश करें न कि जिला परिषदें ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, दरियाफ्त करके बता सकता हूं ।

वाराणसी के महिलाश्रम तथा अनाथालय

*१०---**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)---क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रामराव कमेटी के सुझावों के अनुसार वाराणसी के महिलाश्रम और अनाथालयों के प्रबन्ध का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाने लगा है ? यदि हां, तो वहां निरीक्षक अधिकारी कौन है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---वाराणसी में महिला आश्रम और अनाथालयों के प्रबन्ध का नियमित निरीक्षण करने के लिये श्रीमती रामाराव कमेटी के सुझावों के अनुसार तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था, बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत १९५८ से संस्थाओं के प्रबन्ध का नियमित रूप से नियंत्रण और निरीक्षण किया जाने लगा है । इस अधिनियम के अनुसार वहां इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिये एक निरीक्षक नियुक्त है । इस समय श्री एस० पी० श्रीवास्तव निरीक्षक अधिकारी हैं ।

*११---**श्री रघुनाथसिंह**---वाराणसी में महिलाश्रम और अनाथालयों की कुल संख्या क्या है ? क्या इन सब ने लाइसेंस ले लिया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---इस समय वाराणसी में इस प्रकार की संस्थाओं की कुल संख्या ५ है । इन सभी संस्थाओं ने मान्यता प्राप्त कर ली है ।

*१२---**श्री रघुनाथसिंह**---नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्था प्रबन्धक को जो समुचित दंड देने की बात है उसके अनुसार किसी प्रबन्धक को दंड देना पड़ा है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्था प्रबन्धकों को दंड देने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा परन्तु निम्नलिखित तीन अन्य संस्थाओं के विरुद्ध कार्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी मान्यता वापस करनी पड़ी और वे बन्द हो गयीं---

(१) श्रीमद् दयानन्द अनाथालय,

(२) श्री काशी आदर्श अनाथालय, तथा

(३) श्री भारत सेवा आश्रम ।

श्री रघुनाथसिंह---प्रश्न १२ के अन्तर्गत जिन तीन संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी गयी उनके दोष क्या थे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रघुनाथसिंह---अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के उत्तर के संबंध में पूरक प्रश्न पूछने की सुविधा है तो जवाब मुकम्मल, मुसलसल और मुदल्लल क्यों नहीं आया करते, हम आपका इस विषय में निर्णय चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---देखिये आप प्रश्न पूछ लेते कि किसी प्रबन्धक को दंड देना पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रघुनाथसिंह—प्रश्न कितना लम्बा हो जाता ।

श्री अध्यक्ष—उनके पास सूचना नहीं है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, दंड देने की बात यह है कि अगर.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपने बुलाया नहीं और मंत्री जी खड़े हो गये ।

श्री अध्यक्ष—वह एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि प्रश्न न उठे ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि यह सवाल था उनको क्या दंड दिया गया, इसका यह जवाब दिया गया कि दंड नहीं दिया जा सकता है इस स्टेज पर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है । अगर फिर कन्टीन्यू करें तो दंड देने का प्रश्न होता है । इतना ही पूछा गया था । लाइसेंस कैंसिल करने के ग्राउंड्स और रीजन्स नहीं पूछे गये । अगर पूछे जाते तो मैं पूरी बात कह देता ।

श्री रघुनाथसिंह—क्या मंत्री जी समझते थे कि पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछिये ।

श्री रघुनाथसिंह—जिन तीन संस्थाओं की मान्यता छीन ली गई उनके आश्रित स्त्री, बच्चों की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—दूसरी रिकगनाइज्ड संस्थाओं में भेज दिये गये ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्रीमती रामाराव कमेटी के निर्णय के अनुसार जो श्रीवास्तव साहब निरीक्षक नियुक्त हुये हैं उन्होंने कितनी बार निरीक्षण किया है और उनमें विशेष बात क्या पाई गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो इस प्रश्न में नहीं था । यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं इंक्वायरी पेश कर दूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या यह सही नहीं कि जिन संस्थाओं की मान्यता छीन ली है वे संस्थायें अनाथालय और विधवाआश्रम के नाम पर स्त्रियों का व्यापार करते हैं और भ्रष्टाचार का केन्द्र बनी हुयी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हो सकता है आपकी इत्तला सही हो और मुमकिन है कि इसी वजह से उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये हों ।

*१३—श्री रतीपाल—[स्थगित किया गया ।]

रासायनिक खाद का अनिवार्य क्रय

*१४—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा आदेश सरकार द्वारा दिया गया है कि जो व्यक्ति साधन सहकारी समिति बैंक द्वारा कर्ज लेते हैं उनको कर्ज पर १० या २० प्रतिशत रसायन खाद लेना पड़ेगी वरना रुपया नहीं दिया जावेगा ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—इस सम्बन्ध में विभागीय आदेश भी यह है कि सहकारी समितियों के सदस्य अपने कर्ज की धनराशि में से कम से कम २० प्रतिशत तक रासायनिक खाद के रूप में लें और शेष रकम नकद ।

यदि कोई सदस्य रासायनिक खाद नहीं लेना चाहता है तो उस रासायनिक खाद की कीमत कर्ज की धनराशि से काट कर शेष रकम नकद दे दी जाती है। उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक खाद का महत्व समझाते हुए सदस्य से खाद लेने का अनुरोध अवश्य किया जाता है पर जोर व जबरदस्ती नहीं।

*१५--श्री मदनपालसिंह--क्या सरकार को पता है कि चरखारी क्षेत्र समिति जिला हमीरपुर में बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० द्वारा उपरोक्त आदेश का हवाला साधन समितियों के सदस्यों को बताया जाता है और रसायन खाद लेने को विवश किया जाता है?

श्री चन्द्रसिंह रावत--बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० ने सदस्यों को रासायनिक खाद लेने के लिये विवश नहीं किया है।

श्री मदनपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ब्लाकों में या जिन जगहों में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है वहां पर रासायनिक खाद कोई फायदा नहीं करती है, ऐसी दशा में ऐसे आदेश जारी किये जायं कि उनको खाद जबरन न दी जाय और जो मैंने सवाल किया था कि सरकारी ब्लाक में जबरन रासायनिक खाद दी गयी है, इस प्रकार की शिकायत है, तो इसका कोई समुचित प्रबन्ध सरकार द्वारा होगा?

श्री अध्यक्ष--माननीय मदनपाल, अगर वह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई, तो समुचित प्रबन्ध क्या हो?

श्री मदनपालसिंह--बात तो हुई है।

श्री अध्यक्ष--उनकी सूचना ऐसी नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--क्या सहकारिता मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो आदेश सरकार के द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्ज देने के लिये दिया गया है और जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसान से दस फीसदी से लेकर बीस फीसदी तक रासायनिक खाद के लिये उसका पैसा काट लिया जायगा या काटकर जैसा कि मन्त्री जी ने कहा काट कर उनको पैसा दिया जायगा, तो किसान के द्वारा खाद न लेने का भी आप्शन किसान के सामने रखा जाता है या नहीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, इसमें स्थिति यह है कि यह जो सोसाइटीज हैं सब तरह की मदद करने के लिये हैं। चूंकि इच्छा यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो उसमें खाद आवश्यक चीज समझी गयी है। पहले खाद बहुत कम लोग लेते थे। तो यहां से हिदायत गयी कि परसुएड करना चाहिये कि खाद भी लोग लें। सम्भव है कि उसका मिसयूज हुआ हो या समझने में गलती की हो। उसके बाद दूसरी हिदायत गयी कि किसी प्रकार का कम्पल्शन नहीं होना चाहिये। सिर्फ इतना होना चाहिये कि अगर खाद नहीं लेते हैं तो खाद के नाम का लोन काट कर बाकी रुपया दे दिया जाय। यह डेफिनिट इंस्ट्रक्शन्स यहां से इश्यू किये गये हैं। कहीं कुछ गलती हुई हो, तो अब नहीं रहेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच कराने की व्यवस्था करेंगे कि जब रुपया दिया जाता है उस समय उसी दिन रासायनिक खाद के रजिस्टर में भी लिख दिया जाता है कि दस या बीस परसेंट तक की कीमत की खाद दी जाती है, वह कम्पल्सरी दी जाती है या वालंटियरी दी, इसके सम्बन्ध में जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---मन्त्री जी ने अभी बताया कि ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं कुछ गलतियां हुई हैं इस वजह से स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स दिये गये हैं कि भविष्य में ऐसा न हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं आपके द्वारा पुनः माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, अब भी है?

श्री अध्यक्ष---माननीय मन्त्री जी, क्या अब भी हो रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कोई डिफिनिट शिकायत आयेगी तो डिपार्टमेंट ऐक्शन लेगा क्योंकि वह पालिसी के खिलाफ है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दस से बीस परसेंट जो रासायनिक खाद की कीमत काट ली जाती है, वह न काटी जाय, ऐसा कोई प्रबन्ध करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, काटने का सवाल तो यह है कि जो उसका खाद के नाम का आइटम है उतना तो कम करना ही पड़ेगा। खाद नहीं लिया तो उतना पैसा कम मिलेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोआपरेटिव के मार्फत खाद इसलिये वितरण करने का प्रबन्ध किया गया कि उपज बढ़ सके, लेकिन जिस किस्म की खाद जिस जमीन के लिये उपयोगी हो सकती है कहीं फास्फेट, कहीं नाइट्रेट इस तरह से, वह वहां नहीं पहुंचती है, और जहां जरूरत नहीं है वहां पहुंचती है इसलिये वह लोग खाद लेने से इन्कार करते हैं और उपज जो बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ती है, इस बारे में सरकार कोई जाँच करने की कृपा करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसको नोट कर लिया जायगा और अगर ऐसी बात कहीं से डेफिनिटली आयेगी तो देख लिया जायगा। बाकी जनरल हिदायत तो दफ्तर को है ही कि उचित खाद दी जाय।

बिसवां कोआपरेटिव बैंक में फर्जी वसूली की शिकायत

*१६---**श्री रामचरणशाह** (जिला खीरी)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर में फर्जी वसूलयाबी transfer entries द्वारा कराने हेतु बैंक की Cash Book ३० जून, १९६२ को बन्द नहीं की गई तथा १ और २ जुलाई तक back dated entries होती रहीं हैं?

श्री चन्द्रसिंह रावत---सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां की Cash Book ३० जून, १९६२ को बन्द कर दी गई थी १ और २ जुलाई तक किसी भी प्रकार की back dated entries नहीं की गई हैं। Transfer entry द्वारा कोई फर्जी वसूली नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, सीतापुर में २५ जून से २९ जून, १९६२ तक ४८,५०५ रुपये ८ नये पैसे ग्राम समितियों द्वारा तथा ३२,३३० रुपये ९० नये पैसे क्षेत्रीय सहकारी समितियों द्वारा जो कर्जकी वसूली में जमा हुआ था वह ३० जून, सन् १९६२ को Transfer entry द्वारा बिसवां सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां ने समिति के हिसाब में लिया।

*१७—श्री रामचरणशाह—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २ जुलाई, १९६२ के १०.३० बजे दिन तक सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बिसवां में cash balance verification किसी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं हुआ था ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—३० जून, १९६२ को बैंक holiday थी और १ जुलाई, १९६२ को रविवार था। अतएव बिसवां सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां के cash balance का verification २ जुलाई, १९६२ को माध्याह्न के पूर्व सीनियर आडीटर सीतापुर और एक विभागीय अधिकारी द्वारा किया गया था।

*१८—श्री रामचरणशाह—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अवैधानिकता के बारे में note उक्त बैंक से सम्बन्धित किसी पदाधिकारी ने २ जुलाई को बैंक का निरीक्षण कर के वहां की Cash Book में लिख दिया है ? यदि हां, तो उस बारे में सहकारी विभाग द्वारा जिन लोगों के द्वारा यह अनियमितायें हुयीं, क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—२ जुलाई, १९६२ को बिसवां सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां के किसी पदाधिकारी ने बैंक का निरीक्षण नहीं किया था। बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक ने २ जुलाई, १९६२ को माध्याह्न के पूर्व Bank की Cash Book पर एक note लिखा था परन्तु उसी तिथि में माध्याह्न के पूर्व बैंक के cash balance का verification कर लिया गया था। इस प्रकार कोई अनियमितता नहीं बरती गई थी।

श्री रामचरणशाह—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, को सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां मुकम्मल तौर पर खुला था तथा बैंक के अटेंडेंट रजिस्टर पर सभी की १ जुलाई की हाजिरी दर्ज है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जो सूचना हमारे पास है उसमें ऐसा नहीं है। अगर यह है तो हम उसकी एन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री रामचरणशाह—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३२,३३० रुपया जोकि क्षेत्रीय सहकारी समितियों द्वारा वसूली ३० जून के बाद ट्रांस्फर इंट्री द्वारा कोआपरेटिव बैंक, बिसवां में जमा हुई, यह बैंक में ३ किश्तों में और तीन तारीखों में जमा हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसकी भी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रामचरणशाह—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २ जुलाई को बैंक के कैश बैलेंस वैरिफिकेशन के पहले बैंक का लेन-देन चालू हो गया था और बाद को वैरिफिकेशन हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो हमारे पास है वह उत्तर में बतला दिया गया है। मध्यांह्न के पहले वह हो चुका था और पहली तारीख को छुट्टी थी। इसलिये २९ को न होकर वह २ तारीख को हुआ। इसमें बहुत इर्रीगुलेरिटी नहीं है। अगर कोई खास इर्रीगुलेरिटी की तरफ ध्यान आकर्षित करायें तो उसकी इन्क्वायरी कर ली जायगी। जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार हमारा उत्तर सीमित है।

श्री रामचरणशाह—मेरे प्रश्न को सूचना मानकर क्या माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर आप लिख कर दे देंगे तो सूचना हो जायगी।

श्री रामचरणशाह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बैंक के भूतपूर्व संचालक ने बैंक की कैश बुक में जिस समय नोट लिखा था तब बैंक के अन्दर रुपये का लेन-देन चालू था और फर्जी वसूलयाबी को प्रोत्साहन देने के लिये वैरिफिकेशन में देर की गई जब कि वह १ जुलाई को अवश्य हो जाना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न बहुत आर्गुमेंटेटिव होता है। वैरिफिकेशन फर्जी हुआ या नहीं यह बतला दीजिये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह उत्तर में कहा गया है कि जो एक्स मैनेजर थे उन्होंने देखा, लेकिन क्या इर्रीगुलेरिटी थी वह न सवाल में है और न उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया। उसके ऊपर पिन डाउन करें तो हमारे अफसरों को मौका मिलेगा जांच करने का और उनको गलत रास्ते से हटाने का। जो शिकायत है यदि उसी पर कंसेन्ट्रेट करें तो हम उनसे जवाब-तलब कर सकते हैं।

हरिजन छात्रों से महंगाई फीस लेने की शिकायत

*१९---**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिंडरा बड़गांव, बसनी, रामेश्वर, वाराणसी के हाई स्कूल व इंटर कालेजों में हरिजन लड़कों से महंगाई की फीस ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जो फीस व महंगाई फीस का रुपया कालेजों को हरिजन छात्रों के सम्बन्ध में देती थी बन्द कर दिया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---वाराणसी जिले के पिन्डरा बड़ागांव व रामेश्वर के हाई स्कूल तथा इंटर कालेज में महंगाई की फीस जुलाई, १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक ली गई है। बसनी इंटर कालेज में महंगाई की कोई फीस नहीं ली गई है। हरिजन छात्रों के सम्बन्ध में सरकार महंगाई की फीस कभी नहीं देती थी। केवल शिक्षण, क्रीड़ा, चिकित्सा, पुस्तकालय एवं छात्रावास शुल्क देती थी और उन्हें अब भी दे रही है।

*२०---**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**---क्या सरकार प्रदेश के सभी इंटरमीडिएट कालेजों व हाई स्कूलों को आदेश देगी कि वे हरिजन छात्रों से महंगाई की फीस न वसूल करें ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---शिक्षा संहिता के अनुच्छेद१०१ की टिप्पणी ६ के अनुसार हरिजन छात्रों से महंगाई की फीस नहीं ली जाती है। अतः महंगाई की फीस बन्द करने के लिये कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संहिता के अनुच्छेद १०९ की टिप्पणी ६ के अनुसार जब हरिजन छात्रों से महंगाई फीस नहीं ली जाती है तो इन तीन विद्यालयों ने, जिनकी जानकारी मुझे है पिंडरा बड़गांव, बसनी, रामेश्वर ने इस फीस को लिया और इनके अलावा और विद्यालयों ने भी लिया होगा तो इन तीन विद्यालयों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इन तीन विद्यालयों ने यह कहा कि हम उनकी फीस वापस कर देंगे। इसके अलावा उनके खिलाफ और क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री ऊदल---यदि महंगाई की फीस को बन्द करने का कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तीन विद्यालयों ने इसका गलत अर्थ लगाकर फीस को लिया और इस सवाल के बाद उसको वापस कर दिया और सरकार का यह मंशा भी नहीं है कि इस तरह से विद्यालय के लोग फीस लें तो इस तरह का आदेश निकालने में सरकार को क्या कठिनाई है कि उनको फीस नहीं लेना चाहिये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---उधर ध्यान दिलाने के लिये अगर जरूरत समझी जाय तो कुछ कर दिया जा सकता है वरना जो प्राविजन मौजूद है उनकी बिना पर किसी आदेश की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने उनको न पढ़ा हो तो उसका ध्यान उनकी तरफ जरूर दिया जा सकता है।

श्री रघुनाथसिंह---जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जांच हुआ करती है। तो जिन विद्यालयों ने इस प्रकार की अनुचित फीस ली उनके एकाउन्ट चेक होने पर क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनका जवाब-तलब किया, इसकी जानकारी मन्त्री महोदय को है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---उस ओर जब उनका ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि गलती हुई है और हम उसे वापस कर देंगे।

श्री रघुनाथसिंह---जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसके बाद और कार्यवाही हो ही क्या सकती है।

हरिजन कल्याणार्थ सुझाव

*२१---**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपया हरिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक करने तथा उनको ऊपर उठाने के लिये उद्योगों के लिये अनुदान ऋण आदि व्यवस्था में प्राथमिकता देगी ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव---हरिजनों को लघु उद्योग स्थापित करने एवं चलाने के लिये सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में ऋण देने की कोई व्यवस्था हरिजनों के लिये नहीं है।

कोल असला परगना में मुसहर तथा करवल परिवारों की सुधार योजना

*२२---**श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह**---क्या सरकार ५ सितम्बर, १९६२ नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जिले के कर्मचारियों ने अब तक क्या-क्या योजना २२५ परिवारों के लिये बनाई है और वह योजना कब से कार्य-रूप में आ जावेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---अभी तक कोई योजना नहीं बनी है। योजना का अन्तिम रूप से बनना और उसका कार्यरूप में आना जिले में भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर है।

*२३---**श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह**---क्या सरकार डिप्टी डाइरेक्टर की जो रिपोर्ट है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---निरीक्षण करने वाले असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की रिपोर्ट की एक †प्रति सदन की मेज पर रखी है। डिप्टी डाइरेक्टर ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री ऊदल---५ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि जिले के अधिकारी इस सम्बन्ध में प्लान बना रहे हैं। तो अब तक कोई प्लान नहीं बनाया गया इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अभी जमीन उपलब्ध नहीं हुई इस कारण प्लान नहीं बन सकता।

---

† छापी नहीं गई।

श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तरह प्लान न बनने की वजह से इसके पहले भी वाराणसी जिले में हरिजनों के लिये जो बस्ती बनाने के लिये रुपया एलाट किया गया था, मेरी जानकारी में १ लाख रुपया उसमें बच गया है। क्या सरकार इसकी जानकारी कराने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हम इसकी छानबीन करा लेंगे।

बांदा जिले में हरिजनों को सहायता

*२४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड (छाया) तथा विकास खंड, जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर में सन् १९५८ ई० से १९६१ तक कितने हरिजन कुओं को (पानी पीने के) हरिजन विभाग द्वारा प्रतिखंड अनुदान दिया गया और उनमें से कितने बन चुके हैं तथा कितने बनना बाकी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला में सन् १९५७ से सन् १९६१ तक कितने हरिजन सम्मेलनों को अनुदान दिया गया और वह किस व्यक्ति को प्रति वर्ष अलग-अलग दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[वापस ले लिया गया।]

आजमगढ़ जिले में हरिजन पाठशालाओं को अनुदान

*२७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन हरिजन पाठशालाओं को कितना-कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है ?

श्री गनेशीलाल—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९९ पर)

*२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बुबारी, जिला आजमगढ़ के हरिजन पाठशाला को जिसका संचालन दो वर्ष से हो रहा है, वार्षिक सहायता न देने का कारण क्या है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इस पाठशाला को धनाभाव के कारण अनुदान नहीं दिया जा सका।

आजमगढ़ जिले में परिगणित व पिछड़ी जाति के छात्रों को सहायता

*२९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिले के परिगणित और पिछड़ी जाति के छात्रों की सहायता के लिये कितना रुपया प्रदान किया गया है और प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में कितने आये थे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इस वर्ष ६३,७६८ रुपया स्वीकृत किया गया है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के पास २,५२६ प्रार्थना-पत्र आये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि व्यय का कौन-सा भाग विद्यालयों को सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाता है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जितना धन दिया गया है वह संलग्न सूची में दिया हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सवाल तो वह समझते ही नहीं हैं। मैंने बहुत साफ बात पूछी है कि जितना व्यय होता है उसका कौन सा भाग अनुदान के रूप में सरकार देती है? अनुदान देने का आधार क्या होता है?

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि पाठशालाओं के लिये जो रुपया आप अनुदान के रूप में देते हैं, वह उन विद्यालयों के कुल व्यय का कौन सा भाग होता है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय को इस वर्ष और अग्रिम वर्ष या जो वर्ष चालू है उसमें अनुदान देने की कोई व्यवस्था है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं। एक कमेटी है वह जैसा निर्णय करेगी, उसके हिसाब से फैसला किया जायगा। अभी मालूम नहीं कि क्या-क्या कटौतियां हैं। यदि रुपया होगा तो अवश्य दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हरिजन छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जाती हैं वह जिले की आबादी का खयाल करके दी जाती हैं या लम्पसम में बिना कोई आधार के ही दी जाती हैं या पिछड़ेपन का खयाल करके दी जाती हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, जितने प्रार्थना-पत्र आते हैं वह अब तक यहां आया करते थे। अब वह जिला परिषद् में आवेंगे यहां जो आते हैं वह भी यहां से भेज दिये जाते हैं। जितना धन अपने पास होता है और जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से अनुदान दे देते हैं। जब हम इस तरह से मासिक अनुदान नहीं दे पाते हैं तो उनको लम्पसम में दे देते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष से यह देखा जाता है कि जो स्कालरशिप मिलता है उसके बारे में यह अनुभव किया जा रहा है कि वह बहुत देर से मिलती है। अभी तक दिसम्बर मास प्रारम्भ हो गया है और वह नहीं दी गई है। इस तरह से व्यर्थ में ही ६ महीने बीत जाते हैं। बहुत से छात्रों को तो उसका विचार छोड़ देना पड़ता है। प्राक्कलन समिति ने पिछले साल उसकी बहुत आलोचना की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर क्या कदम उठाये गए हैं और उठाये जा रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझ को जानकारी नहीं है। यहां से आर्डर्स इश्यू हो गए हैं और मेरा खयाल है कि छात्रों को छात्रवृत्तियां मिल गई होंगी और यदि नहीं मिली हैं, तो आर्डर भेज दिये जायेंगे।

सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, झांसी

*३०—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि Ass't. Registrar Co-operative Societies झांसी ने १७ सितम्बर, १९५७ को afternoon में झांसी में चार्ज देकर १७ सितम्बर, १९५७ को afternoon में ही लखनऊ पहुंच कर Dy. Registrar Co-operative Society Warehousing के पद का चार्ज किस प्रकार सम्भाल लिया (फरवरी, १९५८ में प्रस्तुत किये गये charge certificate में यही दिखाया गया है! जब कि यातायात का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वे १७ सितम्बर, १९५७ को afternoon में झांसी में चार्ज देकर १७ सितम्बर, १९५७ को afternoon में ही लखनऊ पहुंच कर चार्ज ले सकते?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—सहायक निबन्धक सहकारी समितियां झांसी ने इंचार्ज सहायक निबन्धक झांसी के पद का चार्ज दिनांक १७-९-५७ को दोपहर के बाद लखनऊ में ही लिया और यहीं पर उप-निबन्धक (वेयर हाउसिंग) के पद का चार्ज सम्हाला। ऐसी अवस्था में यातायात के साधन का प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जब उपरोक्त अधिकारी का विदेश जाना पूर्व निश्चित था तब तीन दिनों के लिये (जैसा कि सरकार से पूछने पर सरकार ने स्पष्ट किया)—उन्हें Junior Scale of State Co-operative service से Senior Scale में पदोन्नति करके Dy. Registrar, Co-operative Societies के पद पर नियुक्त करके फिर छै महीने तक उक्त पद को रिक्त रखना किस प्रकार सार्वजनिक हित में था और किस आधार पर क्यों ऐसा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उस समय सहायक निबन्धक इन्चार्ज, झांसी डिवीजन सब से सीनियर सहायक निबन्धक थे और लोक सेवा आयोग ने इनको सीनियर स्केल में नियुक्त करने के लिये स्वीकृति भी दे दी थी। उनका सीनियर स्केल में पदोन्नति करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन पहले से ही था। यह स्थान रिक्त नहीं रहा। वह सार्वजनिक हित में विदेश भेजे गये।

*३२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा furnish किया गया फरवरी, १९५८ का इस आशय का चार्ज सार्टिफिकेट सत्य एवं प्रामाणिक है कि उक्त अधिकारी ने १७ सितम्बर, १९५७ को after-noon में लखनऊ में Dy. Registrar के पद पर चार्ज लिया और तीन दिन कार्य करके विदेश गये या उपरोक्त अधिकारी की विदेश से लौटने पर अप्रैल, १९५८ में अपना टी० ए० बिल प्रस्तुत करते हुये की गई घोषणा सत्य एवं प्रामाणिक है जिसमें उन्होंने स्पष्टतः घोषित किया है कि वे १७ सितम्बर, १९६२ को कनाडा के लिये दिल्ली होते हुये प्रस्थान कर गये ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अधिकारी के विदेश चले जाने के बाद उनके बारे में सरकार के २९ जनवरी, १९५८ को notification जारी करके पदोन्नति किये जाने का क्या औचित्य था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहायक निबन्धक इंचार्ज, झांसी डिवीजन में १८-९-५७ को उप-निबन्धक (वेयर हाउसिंग) सहकारी समितियों का चार्ज लिया किन्तु चार्ज सर्टिफिकेट फरवरी, १९५८ में भरा। उन्होंने १७-९-५७ को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उसी दिन रात्रि की गाड़ी से दिल्ली के लिये केन्द्रीय सरकार से उचित निदेश प्राप्त करने के लिये प्रस्थान किया। तीन दिवस तक वे सरकारी कार्य पर दिल्ली में रहे और २०-९-५७ को कनाडा को प्रस्थान किया। इनकी नियुक्ति उप-निबन्धक (वेयर हाउसिंग) के पद पर सरकार के आदेशों के आधार पर जिसको सरकार ने उस समय के निबन्धक को मौखिक सूचना दी थी, की गयी तथा उन्होंने उक्त पद का चार्ज लिया और उसकी पुष्टि सरकार के आदेश संख्या ७२३२।१।१२सी. ५११।५६ दिनांक २९-१-५८ से की गयी।

जिला सहकारी बैंक, जौनपुर की जब्ती

*३३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कोआपरेटिव बैंक जौनपुर कब और किस कारण से जब्त किया गया है ?

*३४—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला डी०सी०डी०एफ०, जौनपुर कब और किस कारण से जब्त किया गया ? क्या जब्ती के कारणों में गबन भी है ? यदि हां, तो कितने रुपये का ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहकारी दुग्ध संघ, इलाहाबाद को घाटा

*३५---**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी** (जिला इलाहाबाद)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क यूनियन (बाई का बाग) में १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में करीब छप्पन हजार रुपये का घाटा हुआ है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---१ अप्रैल, १९६१ से मार्च, १९६२ तक सहकारी दुग्ध संघ, लि० इलाहाबाद में ४४,४४८ रुपये का घाटा हुआ है ।

*३६---**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी**---यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में उक्त डेयरी के प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---हां, सरकार प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रयत्नशील है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसके पूर्व के किसी वर्ष में भी इस दुग्ध संघ में किसी प्रकार का घाटा हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जो सूचना मेरे पास है उसमें तो यह कहीं दिखाई नहीं देता ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि ४४, ४४८ रुपये का घाटा हुआ है । तो क्या वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी जांच तो करा ली गयी है, तभी तो मालूम हुआ कि यह घाटा है । इसका कारण यह था कि दूध की जितनी खपत होनी चाहिये वह नहीं हुई और फिर दूध को दूसरे तरीके से बेचा गया, दूसरी शक्ल में, जिससे कि घाटा हुआ । अब अगर कोई खास बात बतलायी जाय तो उसकी जांच करा ली जायेगी ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---प्रश्न ३६ के उत्तर में बताया गया संघ को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रयत्न हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि दूध की डेरी के प्रबन्ध में कुछ गड़बड़ी थी । तो जब सरकार को इसकी सूचना है तो उसके प्रबन्ध को सुचारु रुप से चलाने के लिये क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसमें कोई अनुभवी आदमी नियुक्त किया गया है जो कि वहां का इन्तजाम ठीक तरह से कर सके ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---उनका अनुभव क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह सीनियर मिल्क इन्सपेक्टर हैं और जो योग्यता इसके लिये होनी चाहिये वह उनमें है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब इस कोआपरेटिव यूनियन में कुप्रबन्ध था तो सरकार ने लाखों रुपया उसे अनुदान और कर्ज का क्यों दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है ।

फैजाबाद जिले में हरिजन छात्रों को सहायता

*३७---**श्री धर्मप्रसाद** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कितने हरिजन बालकों को प्रत्येक तहसील में छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

(१) फैजाबाद ७६
(२) अकबरपुर १२४
(३) बीकापुर ४५
(४) टाण्डा ८७

*३८—श्री धूमप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तलापुर (सरौली) प्राइमरी पाठशाला में अभी तक किसी बालक को छात्रवृत्ति नहीं मिली ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। इस पाठशाला में प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने के कारण कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

*३९—श्री धूमप्रसाद—क्या हरिजन छात्रों के लिये पुस्तकें भी बांटी जाती हैं ? यदि हां, तो जिले में कितनी कीमत के प्रत्येक तहसील में गत ५ साल में बांटी गईं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—फैजाबाद जिले में गत ५ सालों में प्रतिवर्ष १,३९० रुपया पुस्तकों के वितरण के लिये स्वीकृत किया गया था। इसके वितरण का तहसीलवार व्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

हरदोई जिले में विमुक्त जातियों के लिए मकान

*४०—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जिला हरदोई में पहली योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना तक कुल कितने मकान विमुक्त जातियों के लिये बनाये गये और उनको कितनी सहायता प्रदान की गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—६१ मकान बनाये गये और उन पर रुपये २६, ३७७.०६ नये पैसे की सहायता दी गई।

*४१—श्री पूरनलाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में अब तक कुल कितने मकानों की सहायता मेहतरों को प्रदान की गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—१२ मकानों को बनाने की सहायता प्रदान की गई।

मैनपुरी जिले में बहीखाते पकड़े जाने की जांच

*४२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९६१-६२ ई० में मैनपुरी के सेल्स टैक्स आफिसर ने ऐसी रिपोर्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर व सरकार के पास कि किन-किन की भेजी है कि उन्होंने बहीखाते सेल्स टैक्स लगाने के लिये नहीं दिखलाये और सेल्स टैक्स आफिसर से झगड़ा किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९६१-६२ में मैनपुरी के सेल्स टैक्स आफिसर ने मैनपुरी मंडल के किसी भी ऐसे व्यापारी की रिपोर्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर व सरकार के पास नहीं भेजी।

*४३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सेल्स टैक्स आफिसर, मैनपुरी ने सन् १९६१-६२ ई० में किन-किन फर्मों के छपे बहीखाते पकड़े हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपलब्ध सूचना से यह ज्ञात होता है कि सेल्स टैक्स आफिसर, मैनपुरी ने वर्ष १९६१-६२ के दौरान में (१) प्रधान शू स्टोर्स, मैनपुरी (२) सर्वश्री मिश्रीलाल विनायकदत्त, सर्राफ, भोगांव, मैनपुरी व (३) सर्वश्री सीताराम रामजी लाल, कच्चा आढ़ती, मैनपुरी, फर्मों के बहीखाते तथा अन्य कागजात पकड़े जिनके संबंध में यह सन्देह किया जाता है कि वह छिपे तौर से रक्खे गये थे। संबंधित अधिकारियों द्वारा उन बहीखातों व कागजात की जांच पड़ताल तथा तत्संबंधी अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कोंच में बिक्रीकर अभियोग

*४४--**श्री विजयसिंह** (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के कोंच शहर में जनवरी, १९६० से अगस्त, १९६२ तक कितने सेल्स टैक्स के मुकदमें अभी अनिर्णीत हैं और कितनी धनराशि के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जालौन जिले में कोंच शहर में जनवरी, १९६० से अगस्त, १९६२ तक के निम्नलिखित मुकदमें अभी अनिर्णीत हैं :--

अपील	.. ..	१९८
रिवीजन	.. ..	५
	योग ..	२०३

उक्त मुकदमों में वाद ग्रस्त धनराशि १,३२, ४५४ रु० ९५ न० पै० है।

सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी, मुरादाबाद

*४५--**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद) तथा **श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष पद से जिलाधीश महोदय ने त्याग-पत्र दे दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। जिलाधीश ने यह निर्णय इस लिए लिया है ताकि सहकारी समिति को सरकारी नियंत्रण से छुटकारा मिल सके और कोई गैर सरकारी अध्यक्ष हो सके।

*४६--**श्री शराफत हुसैन रिजवी** तथा **श्री नेकराम शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सोसाइटी के नियमों तथा इन्जीनियर की रिपोर्ट के विरुद्ध सर्वश्री सन्तोषकुमार व आर० सी० अग्रवाल ने मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सर्वश्री सन्तोषकुमार व आर० सी० अग्रवाल ने नगर पालिका तथा टाउन प्लानर द्वारा स्वीकृति नक्शे के कुछ विरुद्ध मकान बनवाये हैं। समिति के नियमों के उलंघन संबंधी कोई लेख पत्र नहीं है। क्योंकि मामला उक्त दो सदस्यों तथा नगरपालिका के बीच का है अतः समिति के पदाधिकारियों द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*४७--श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सोसाइटी को अब तक कितने व्यक्तियों ने प्लाटों के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे तथा अब तक कितने व्यक्तियों को प्लाट दिये गये, उनके नाम क्या हैं तथा प्लाट दिये जाने का क्या आधार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--समिति को अपने ३१० प्लाट ३७५ सदस्यों में बांटना था। इनके लिये प्रार्थना-पत्र नहीं लिये गये बल्कि विज्ञापन द्वारा सदस्यों को सूचित कर दिया गया कि जो सदस्य प्लाट लेना चाहें वह निर्धारित जमानत जमा कर दें। जिन सदस्यों ने दिसम्बर, ५६ तक जमानत जमा कर दी उन्हें उसी मास में सदस्यता अनुसार "अ" "ब" तथा "स" श्रेणी के प्लाट वितरित कर दिये गये। इन सदस्यों की † सूची संलग्न है।

नाविक जल मजदूर सहायक समितियां

*४८--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नाविक जल मजदूरों की इस प्रदेश में कितनी और कहां-कहां सहकारी समितियां हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रदेश में नाविक जल मजदूरों की ५ निम्न सहकारी समितियां है :--

१--नाविक जल मजदूर सहकारी ठीका समिति लि०, कोनी, पोस्ट आफिस, रिगोली बाजार, तहसील फरेन्दा, जिला गोरखपुर।

२--नाविक सहकारी मजदूर ठीका समिति लि०, पोस्ट आफिस गोला, बाजार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर।

३--नाविक जल मजदूर सहकारी समिति लि०, पोस्ट आफिस, वरहर बाजार, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया।

५--नाविक जल मजदूर मछुवा सहकारी समिति लि०, पोस्ट आफिस तथा तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना, जिला आजमगढ़।

५--नाविक जल सहकारी समिति लि०, पोस्ट आफिस, मिट्टी पुरवा, तहसील नानपारा, जिला बहराइच।

[५ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पंचायतों का आडिट

*१--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५८-५९ से पंचायतों का हिसाब आडिट करने की व्यवस्था दो वर्षों के बाद फिर से क्यों आरम्भ की गई तथा १९५८-५९ के ऐसे अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गये उनके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पंचायतों के वर्ष १९५८-५९ के हिसाब का आडिट मास जून, १९५९ में प्रारम्भ किया गया था। कुछ अभिलेख अपूर्ण होने के कारण सम्प्रेक्षण (audit) के लिये प्रस्तुत नहीं किए गए फलतः उस वर्ष सम्प्रेक्षण पूर्ण नहीं हो सका। इस वर्ष १९५८-५९ की ऐसी ही संस्थाओं के लेखों का सम्प्रेक्षण किया जा रहा है जिनका सम्प्रेक्षण अब तक नहीं हो पाया था। वर्ष १९५८-५९ के

---

†छापी नहीं गई।

ऐसे लेखों का, जिनका एक बार सम्प्रेक्षण सम्पन्न किया जा चुका है फिर से नहीं किया जा रहा है। वर्ष १९५८-५९ की ऐसी संस्थाओं के अभिलेख, जो प्रस्तुत नहीं किए गए तथा जिनका सम्प्रेक्षण करना अवशेष रह गया, के विषय में पंचायती राज विभाग के विभिन्न अधिकारियों को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है एवं अभिलेख उपलब्ध हो जाने पर सम्प्रेक्षण करा दिया जाता रहा है।

बस्ती से नर्सों के प्रशिक्षण केन्द्र का स्थानान्तरण

*२--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती में नर्सों का जो प्रशिक्षण केन्द्र है उसे हटाकर वाराणसी ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी हां, बस्ती में क्षात्रावास में क्षात्राओं के रहने का स्थान अपर्याप्त है तथा बस्ती के अस्पतालों में प्रशिक्षण हेतु सुविधा अपर्याप्त है।

कानपुर जिले में सहकारी समितियों द्वारा खाद के रुपये काटना

*३--**श्री शशिभूषणसिंह** (जिला कानपुर)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में कानपुर जिले के सरसौल ब्लाक तथा अन्य ब्लाकों में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को जो कर्जा दिया गया उसमें खाद के लिये पेशगी रुपये काट लिये गये तथा क्या यह सही है कि जिन किसानों को खाद की आवश्यकता नहीं थी उनसे भी जबरिया रुपये काटे गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, यह सही है कि कानपुर के सरसौल ब्लाक तथा अन्य ब्लाकों की सहकारी समितियों द्वारा किसानों को जो कर्ज दिया गया उसमें खाद के लिये पेशगी धन काटा गया लेकिन यह सही नहीं है कि जिन किसानों को खाद की आवश्यकता नहीं थी उनसे जबरिया काटा गया।

*४--**श्री शशिभूषणसिंह**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के ब्लाकों में जो खाद के रुपये अगस्त, १९६२ में सहकारी समितियों द्वारा काट लिये गये थे उसके बाद आज तक किसानों को खाद नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अधिकांश लोगों को खाद दी जा चुकी है और शेष लोगों को भी दी जा रही है।

महंगाई फीस

*५--**श्री छांगुर**--क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष विद्यार्थियों की महंगाई फीस में जो वृद्धि की गई है वह अनुसूचित जाति के छात्रों से भी वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--शिक्षा संहिता के अनुच्छेद १०१ की टिप्पणी ६ के अनुसार हरिजन छात्रों से महंगाई फीस नहीं ली जाती है।

प्रदेश में तीन शिक्षा संस्थाओं द्वारा इस नियम के उल्लंघित होने की सूचना सरकार के पास आई है। इस संबंध में फीस वापस कराने की कार्यवाई की जा रही है।

बलिया जिले में हरिजनों को सहायता

*६—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के हरिजन छात्रावास के लिय भवन निर्माण हेतु जो धन सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था उसका उपयोग अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त भवन के निर्माण के लिये बनी जिला परिषद् की निर्णायक उप समिति ने निश्चय किया कि जिन विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो चुके हैं उनके हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मंगाकर प्रश्न पर विचार किया जाय। स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय में विलम्ब होने के कारण धन का उपयोग अब तक नहीं हुआ।

*७—श्री रघुनाथ—क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया में १९५२ से दिसम्बर, १९६१ तक चमड़े तथा जूते की दुकान खोलने के लिये कितने हरिजन व्यक्तियों को सरकार की ओर से कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त अवधि में इस कार्य के लिये ४२ हरिजनों को अनुदान दिया गया। इनमें से ३ को ५०० रुपये, २२ को २५० रुपये, १ को २४० रुपये, १३ को २०० रुपये, १ को १५० रुपये और २ को १०० रुपये प्रति व्यक्ति दिया गया।

बस्ती जिले में हरिजन सम्मेलनों पर व्यय

*८—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में हरिजन सम्मेलनों के लिये बस्ती जिले को कितना रुपया अनुदान में दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त वर्षों में हरिजन सम्मेलनों के लिये बस्ती जिले को क्रमशः ६०० रुपये, १७५ रुपये तथा २०० रुपये की धनराशि दी गई।

*९—श्री श्यामलाल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कितना रुपया उसमें खर्च हुआ और कितना रुपया बाकी रहा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—९७४ रुपये व्यय हुये और केवल १ रुपया शेष रहा।

*१०—श्री श्यामलाल—क्या सरकार हरिजन सम्मेलनों के संयोजकों के नाम, स्थान, जहां हरिजन सम्मेलन हुये तथा धन-राशि जो क्रम से उक्त सम्मेलनों के लिये दी गई बताने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०० पर)

महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें

*११—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं के उत्थान के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलग-अलग सिलाई की मशीनों को खरीदने के लिये कितनी ग्रांट और कितनी मशीनें जिलेवार दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

विमुक्त जातीय छात्रों के अध्यापकों का वेतन

*१२--श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो राजकीय हरिजन पाठशालायें चल रही हैं उनके अध्यापकों और अध्यापिकाओं को क्या वेतन-क्रम दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत कोई राजकीय हरिजन पाठशाला नहीं चल रही है। यदि माननीय सदस्य का आशय विमुक्त जातीय छात्रों के लिये विशेष प्रकार के स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतन-क्रम से है तो उसकी सूचना संलग्न तालिका में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०१-१०२ पर)

*१३--श्री रामसमझावन--उपर्युक्त राजकीय हरिजन पाठशालाओं में ट्रेंड अध्यापकों के लिये जो पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं उनके स्थायीकरण, इंक्रीमेंट तथा प्राविडेंट फण्ड के बारे में क्या व्यवस्था है ? यदि कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--उपर्युक्त स्कूलों में कार्य करने वाले ४४ अध्यापकों में से ८ स्थायी हैं और शेष ३६ अस्थायी हैं। अस्थायी अध्यापकों के लिये भी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा प्राविडेंट फंड की व्यवस्था है।

*१४--श्री रामसमझावन--उपरोक्त राजकीय हरिजन पाठशालाओं में जो अध्यापिकायें अपने घर से दूर हैं उनको मकान भाड़ा देने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--इस विभाग के अन्तर्गत कोई राजकीय कन्या पाठशाला नहीं है अतः मकान भाड़ा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ जिले में हरिजन कूप एवं बस्ती

*१५--श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत जहांनागंज ब्लाक में सन् १९५८ से जून, सन् १९६२ तक कुल कितने हरिजनों के पानी पीने के कुयें सरकारी अनुदानों से बने हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--४६ पेय जल कूप बने हैं।

*१६--श्री सुरजन राम विशारद--क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जहांनागंज ब्लाक में कनइला ग्राम में सामूहिक हरिजन बस्ती सरकारी अनुदान से बनी है ? यदि हां, तो उसमें इस समय कितना परिवार रहता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--१० घरों की एक हरिजन बस्ती बन रही है। अभी तक कोई हरिजन परिवार नहीं बसाया गया है क्योंकि उक्त बस्ती के ५ घरों के कमरों की सफाई और प्लास्टर का कार्य शेष है।

*१७--श्री सुरजन राम विशारद--क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२-६३ में आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये कुल कितने कुयें और हरिजन बस्तियों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? क्या जिले की उनकी जनसंख्या को देखते हुये स्वीकृत धनराशि पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या धनराशि बढ़ाने पर मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--४९५०० रु० ९९ कूप निर्माण एवं ३२२५० रु० ४३ गृह निर्माण हेतु दिया गया है। गृह-निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान से सामूहिक बस्ती बनाने में ही प्राथमिकता दी जाती है।

जिले को दिया जाने वाला धन वित्तीय वर्ष के विभागीय लेखे की स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुपात के अनुसार ही दिया जाता है। इस समय विभागीय लेखे में धन उपलब्ध न होने के कारण और अधिक धन देना सम्भव नहीं है।

झांसी जिले में सहकारी कृषि फार्म

*१८--**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी** (जिला झांसी)--क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में कितने सहकारी कृषि फार्म हैं ? कौन-कौन से सहकारी कृषि फार्मों को जब से कायम हुये हैं कितना-कितना ऋण व अनुदान दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--झांसी जिले में ३५ सहकारी कृषि समितियां हैं इनमें से ३३ कृषि समितियों को विभिन्न कार्यों के लिये रु० ८४,४५६ रुपये ऋण तथा रु० ७९३,३९४ रुपये अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया गया है जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०३--१०४ पर)

*१९--**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी**--क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि कितने ऐसे सहकारी कृषि फार्म हैं जिनको प्रारम्भ से अभी तक ऋण व अनुदान की किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है ? उन फार्मों के नाम क्या हैं और ऋण व अनुदान न देने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--केवल दो सहकारी कृषि समितियों को प्रारम्भ से अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध हो सकी। उनके नाम कामौर तथा अशोक सहकारी कृषि समितियां हैं। यह दोनों कृषि समितियां मार्च, सन् ६० में संगठित हुई तथा खरीफ, सन् ६१ से उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया। इनमें से केवल एक ने अर्थात् अशोक कृषि समिति ने ६१-६२ में अनुदान एवं ऋण का प्रार्थना-पत्र सहकारी विभाग में दिया था परन्तु विभाग में इसके निमित निर्धारित बजट की रकम सीमित होने के कारण इस समिति की प्रार्थना स्वीकार न की जा सकी। कामौर कृषि समिति ने अभी तक किसी प्रकार की शासकीय सहायता की प्रार्थना नहीं की है अतएव उसको कोई ऋण या सहायता नहीं दी गयी।

महावन क्षेत्रीय सहकारी समिति, जिला मथुरा के विरुद्ध शिकायत

*२०--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महावन क्षेत्रीय सहकारी समिति, जिला मथुरा के विरुद्ध बीज व खाद के वितरण व वसूली के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार का शिकायती पत्र दिनांक ३० अगस्त, १९६२ का जिलाधीश महोदय मथुरा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या परिणाम निकला ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

*२१-२२--**श्री विजय सिंह** (अनुपस्थित)--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

कानपुर जिला सहकारी संघ का आडिट

*२३--**श्री नित्यानन्द पांडेय** (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिला सहकारी संघ (डी० सी० एफ०) लिमिटेड में पिछले आडिट ने लाखों रुपये का गबन बताया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

*२४—श्री नित्यानन्द पांडेय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कानपुर जिले के असिस्टेंट रजिस्टार कोआपरेशन ने इस सम्बन्ध की रिपोर्ट पुलिस को ४-५ माह पूर्व की भी थी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी बैंक, बलरामपुर

*२५—श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, बलरामपुर के संचालक मंडल की कोई बैठक दिनांक २० जून, १९६२ को बुलाई गई थी? यदि हां, तो बैठक का एजेंडा कब, किसके द्वारा तथा किसके आदेश से वितरित किया गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

अतः एजेंडा का प्रश्न नहीं उठता।

*२६—श्री बब्बनसिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त बैठक में कुछ ऐसे संचालकों ने भाग लिया था जो या तो संचालक मंडल से त्याग-पत्र दे चुके थे या निकाल दिये गये थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता।

*२७—श्री बब्बन सिंह—क्या यह भी सत्य है कि उक्त बैठक के कुछ सदस्यों ने जो संचालक मंडल के सदस्य नहीं रह गये वे जबरदस्ती प्रबन्धक संचालक की मोहर, सील वगैरह छीन लिये और अभी तक नहीं दिये हैं? यदि हां, तो विभाग की तरफ से उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री चन्द्रगोपाल मिश्र, भूतपूर्व संचालक, २०-६-६२ को प्रबन्धक संचालक की मोहर बैंक एकाउन्टेंट के काउन्टर से उठा ले गये तथा मांगने पर वापस नहीं किये। प्रबन्धक संचालक ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में २३-६-६२ को की, २५-६-६२ को मोहर बैंक को वापस मिली। इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अथवा सूचना विभागीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इन परिस्थितियों में विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बुलन्दशहर में सब-रजिस्ट्रार

*२८—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में अगस्त और सितम्बर, १९६२ के महीने में कितने सब-रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुये पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है और क्या वे अपने पद पर ही कार्य कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला बुलन्दशहर में अगस्त और सितम्बर, १९६२ के महीने में कोई भी सब-रजिस्टार रिश्वत लेता हुआ नहीं पकड़ा गया।

कानपुर जिले में सहकारी समितियां

*२९—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत सहकारी कृषि के लिये कहां-कहां और कितनी सहकारी कृषि समितियों का निर्माण १ जनवरी, १९५६ से २१ दिसम्बर, १९६१ तक हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला कानपुर के अन्तर्गत १ जनवरी, सन् १९५६ से २१ दिसम्बर, १९६१ तक ६ कृषि समितियों का निर्माण हुआ। इन समितियों का स्थान निम्नांकित दिया जा रहा है।

नाम समिति			ब्लाक
१—चकरपुर कृषि समिति	..	..	कल्यानपुर ।
२—भोगनीपुर	..	..	अपरौधा ।
३—कुर्सी ज्वाइन्ट सहकारी खेती समिति	..	..	अकबरपुर ।
४—भीतर गांव संयुक्त सहकारी समिति लि०		..	भीतरगांव ।
५—छोटी पाली संयुक्त सहकारी खेती	..	..	सरसौल ।
६—भैसऊ	..	..	शिवराजपुर ।

स्टेट वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन के सर्विस नियम

*३०—**श्री सूरजपालसिंह** (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के सर्विस नियम पास किये जा चुके हैं और लागू करने के आदेश दिये जा चुके हैं या नहीं? यदि हां, तो अभी तक ये नियम लागू क्यों नहीं हुए?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के सर्विस नियम सरकार द्वारा स्वीकृत होकर कारपोरेशन को भेजे जा चुके हैं परन्तु कारपोरेशन ने नियमों में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव भेजे हैं। इस संबंध में सरकार कारपोरेशन से परामर्श करके शीघ्र ही निर्णय लेगी। उसके उपरान्त ही नियम लागू किये जा सकेंगे।

बलिया-बैरिया बांध के हरिजन परिवारों का पुनर्वासन

*३१—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया-बैरिया बांध पर बाढ़ और कटान से उजड़े हुए जो हरिजन परिवार बस गये हैं उन्हें कब तक अन्यत्र जमीन खरीद कर बसाया जावेगा?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—३७ बाढ़ पीड़ित हरिजन परिवारों को बसाने के लिये भूमि का प्रबन्ध कर दिया है और शेष ३६ परिवारों को बसाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*३२—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या मंत्री जी को पता है कि उक्त बांध पर चोल्हन चक और डांगरबाद के हरिजन, जिन्हें हरिजन कल्याण विभाग से जमीन खरीदने हेतु दो हजार रुपये स्वीकृत हो चुके हैं अभी तक वे रुपये उन्हें नहीं मिले। यदि हां, तो क्यों और उन्हें सरकार कब तक बसाने की कृपा करेगी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, धनराशि इसलिये वितरित नहीं हुई कि अभी तक उनके लिये जमीन की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

इन्हें पुनः बसाने के लिये भूमि का प्रबन्ध बेजरही ग्राम में कराया जा रहा है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन

*३३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० एम० एस० प्रथम के वेतन स्तर के समकक्ष जिला स्वास्थ्य अधिकारी का वेतन-क्रम क्यों नहीं है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन क्रम पा० एम० एस० प्रथम अधिकारियों के वेतन क्रम से अधिक है क्योंकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रथम के डाक्टर होते हैं जिनके लिये प्राइवेट प्रेक्टिस वर्जित है ।

ग्राम सेविका शिविर, दुहाई

*३४---**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद से लगभग ६ मील दूर दिल्ली, मंसूरी मार्ग पर दुहाई नामक स्थान पर ग्राम सेविकाओं का कोई शिविर (प्रशिक्षण शिविर) चल रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जी हां ।

*३५---**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह शिविर ऐसे सुदूर निर्जन स्थान पर है जहां उन महिलाओं के संरक्षण के लिये न पुलिस है, न कोई अन्य साधन ? टेलीफोन आदि की भी व्यवस्था नहीं है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---प्रयास करने पर भी उस क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर कोई इमारत किराये पर नहीं मिल सकी । इस स्थान पर सरकार को वह इमारत दान में प्राप्त हो गयी थी अतः अस्थायी रूप से यह प्रशिक्षण केन्द्र यहां स्थापित किया गया ।

*३६---**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**---क्या सरकार बतायेगी कि इस दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---सरकारी इमारत फतेहपुर, जिला सहारनपुर में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बनकर उपलब्ध हो जायेगी । तब यह प्रशिक्षण केन्द्र वहां स्थानान्तरित कर दिया जावेगा ।

हरिजन औद्योगिक संस्थान

*३७---**श्री शिवसम्पति शर्मा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन औद्योगिक संस्थान जहां बनाये गये हैं क्या वहां गैर हरिजन को भी स्थान दिया जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---हरिजन औद्योगिक संस्थानों को चलाने के लिये हरिजनों की सहकारी समितियां होंगी, जिनमें १० प्रतिशत गैर हरिजन होंगे ।

इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड, नई दिल्ली का अपाकरण

*३८---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इंडियन नेशनल एयरवेज लि०, नई दिल्ली, नाम की कम्पनी जो liquidate हो चुकी है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के १० रु० के १५,००० आर्डिनरी शेयर्स में जो डेढ़ लाख रुपया लगा था उसमें कितना रुपया वापस मिला, कितना अभी मिलना शेष है और कितना डब गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इंडियन नेशनल एयरवेज लि० के अपाकरण (liquidation) के फलस्वरूप प्रत्येक हिस्सेदार को हर दस रुपये के एक शेयर के लिये सात रुपये दो आने देने का निश्चय हुआ था । तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को अपने १५,००० शेयर्स के लिये १,०६,८७५ रुपया मिलना था जो मिल चुका है ।

बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशों पर विचार

*३९—श्री डंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन और पिछड़ी जातियों की सरकारी नौकरियों में percentage की जांच करने तथा reservation के कोटा में कमी को पूरा करने के उपाय खोजने के लिये जो High Power Commission नियुक्त किया गया था उसकी किन-किन सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है और उनको कब तक लागू किया जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कमीशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है ।

मलेरिया, फाइलेरिया, बी० सी० जी० योजनाओं में डाक्टर

*४०—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने क्वालीफाइड डाक्टर, मलेरिया निरोधक व फाइलेरिया निरोधक विभागों में तथा बी० सी० जी० योजना में काम कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इन तीनों योजनाओं में क्वालीफाइड डाक्टर काम कर रहे हैं । जिनमें ६७ को मलेरिया में, ४ को फाइलेरिया में और १२ को बी० सी० जी० में विशेष ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है ।

झांसी जिले का मलेरिया विभाग

*४१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है झांसी के मलेरिया विभाग में ९ स्थानों पर गजटेड कर्मचारियों की भर्ती अप्रैल, सन् १९६२ से १ सितम्बर, १९६२ के बीच की गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—झांसी के मलेरिया विभाग में अप्रैल, १९६२ से १ सितम्बर, १९६२ तक किसी भी स्थान पर गजटेड कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई ।

*४२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वास्थ्य-मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बिना सर्विस कमीशन के तथा बिना अखबारी विज्ञापन के इस प्रकार कर्मचारियों की भर्ती की जाने की जानकारी उनको है ? क्या उपरोक्त भर्ती झांसी के सेवा योजन कार्यालय से नाम मांग कर की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भर्ती में ४ व्यक्तियों को कार्यालय से ही ले लिया गया ? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को लिया गया उनसे सीनियर कर्मचारियों को उक्त पद पर न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसका प्रश्न नहीं उठता ।

जेल्स कोआपरेटिव सोसाइटी संबंधित श्री ई० पी० मैगी का मामला

*४४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में ही कोई ऐसा प्रस्ताव कारागार, महानिरीक्षक ने यू० पी० जेल्स कोआपरेटिव सोसाइटी से लिखवा कर सरकार के पास भेजा है कि श्री ई० पी० मेगी के खिलाफ जो चार्ज है उसको चलाना नहीं चाहते ? क्या सरकार उस रेजूलेशन के आधार पर जो २४ दिसम्बर, १९५८ या २४ दिसम्बर, १९५९ को श्री ई० पी० मेगी के खिलाफ गबन की रिपोर्ट की गयी उसको वापस लेने जा रही है ?

*४५—क्या सहकारिता मंत्री को यह भी मालूम है कि ५ हजार रुपये जोकि कई वर्षों तक श्री ई० पी० मेगी के पास या उसको जो सरकारी खजाना में नहीं जमा किया और आडिट के छान-बीन के समय रुपया जमा किया गया, उसके विषय में सरकार क्या कर रही है ?

*४६—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सोसाइटी में जो आटा चक्की, गल्ला की दुकान खोल रखी थी जिसके लिये एक दफा कार्यकारिणी ने तय किया था कि मामला पुलिस में दिया जाय लेकिन उसका आज तक हिसाब श्री ई० पी० मेगी के जुम्मे बाकी है और इस मामले को कारागार महानिरीक्षक दबा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद की गृह-निर्माण समिति में अनियमितताएं

*४७—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद की गृह निर्माण समिति संबंधी भारी अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या उन अनियमितताओं की विभागीय जांच भी करवाई गई थी और उस जांच का क्या नतीजा निकला ?

*४८—क्या सरकारी सहकारिता विभाग मुरादाबाद की गृह निर्माण समिति के बारे में सरकार को प्राप्त भारी अनियमितताओं के कारण नियमों के अनुसार इस सोसाइटी को अपने हाथों में लेकर उसकी व्यवस्था करेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर के राज्य बीमा चिकित्सालय

*४९—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपर) तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य बीमा चिकित्सालयों के लिये कानपुर में क्षय स्वास्थ्य निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितनों पर वास्तविक नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—राज्य बीमा चिकित्सालयों के लिये क्षय स्वास्थ्य निरीक्षकों का कोई पद स्वीकृत नहीं है । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

*५०—**श्री रक्षपालसिंह** तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में राज्य बीमा चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या क्या है तथा उनमें से कितने पदों पर वास्तविक नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कानपुर में राज्य बीमा चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य निरीक्षकों के २६ पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से ९ पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं ।

*५१-५२—**श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय**—[हटा दिये गये ।]

शाहजहांपुर जिले में ग्राम सेविकायें

*५३—**श्री राममूर्ति 'अंचल'** (जिला शाहजहांपुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के किन-किन विकास क्षेत्रों में ग्राम-सेविकायें कार्य कर रही हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--शाहजहांपुर के निम्नलिखित विकास क्षेत्रों में ग्राम-सेविकाएं नियुक्त हैं:--

(१) कलान, (२) खुटार, (३) कांट, (४) जलालाबाद, (५) तिलहर, (६) भावलखेड़ा, (७) पुवायां ।

*५४--**श्री राममूर्ति 'अंचल'**--क्या जिला शाहजहांपुर में कुछ ऐसे भी विकास क्षत्र ह जहां बिल्कुल ग्राम-सेविकायें नहीं हैं ? क्या सरकार उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी हां। योजनानुसार इन विकास क्षेत्रों के प्रथम सोपान के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के उपरान्त इन क्षेत्रों में ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की जायगी।

*५५-५७--**श्री मैनेजरसिंह, श्री बंशीलाल** (जिला इलाहाबाद) **तथा श्री नैनसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--[१८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

मेरठ में अवशेष बिक्री-कर

*५८--**श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ में ५ हजार से लेकर ऊपर तक के बिक्री-कर देने वालों के यहां कितना रुपया अब तक बकाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस वर्ग के व्यापारियों पर मेरठ में इस समय बिक्री-कर का १३,७६,३६८ रु० अवशेष है।

मुरादाबाद जिले में बिक्री-कर का बकाया

*५९--**श्री शराफत हुसैन रिजवी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले पर वित्तीय वर्ष १९६०-६१ का कुल कितना सेल्स टैक्स बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वित्तीय वर्ष १९६०-६१ की अवशेष बिक्री-कर की कुल धनराशि मुरादाबाद जिले में १ नवम्बर, सन् १९६२ को ३,०४,४५१ रु० ६४ नये पैसे थी।

*६०--**श्री शराफत हुसैन रिजवी**--क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा और बिलारी शुगर फैक्ट्री और रावल फ्लोर मिल, मुरादाबाद पर कुल कितना उक्त वर्ष का बिक्री-कर शेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्राप्त सूचना के आधार पर, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ का इन मिलों पर कोई बिक्री-कर बकाया नहीं है।

*६१--**श्री शराफत हुसैन रिजवी**--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मुरादाबाद के बर्तन साजी के उद्योग पर से, जो घरेलू उद्योग हैं, सेल्स टैक्स हटाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस उद्योग पर से टैक्स हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

*६२--**श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल**--[१८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बैंक ऋण में व्याज दर

*६३—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसा निकाला गया है कि जिसके अनुसार निजी आढ़तियों से वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की तुलना में गल्ले के जमानत पर बैंकों से मिलने वाला कर्ज अधिक सूद पर दिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया है।

अतारांकित प्रश्न

सुल्तानपुर जिले में उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान न मिलना

१—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष सुल्तानपुर जिले के हरिजन कल्याण विभाग में हरिजन छात्रावास के अनुदान के हेतु कितने तथा किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रार्थना-पत्र आये थे तथा वह अनुदान किस विद्यालय को दिया गया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सुल्तानपुर जिले में जनता इंटर कालेज, बलेहरी तथा वरियार शाह इंटर कालेज, भरखरे नामक दो विद्यालयों से प्रार्थना-पत्र आये थे तथा जनता इण्टर कालेज, बलेहरी को अनुदान दिया गया था।

२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि किसी कमी के कारण से पिछले वर्ष उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान नहीं दिया गया तो क्या उसकी लिखित सूचना विद्यालय को दी गई थी कि भविष्य में उस दोष या कमी को दूर कर सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—प्रार्थना-पत्र जिला स्तर पर ही प्राप्त हुआ था और मूल रूप में विद्यालय को लौटा दिया गया था। जो कमी थी वह भी बता दी गई थी।

जालौन जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ सहायता

३—श्री विजयसिंह—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग जिला जालौन ने जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कूप निर्माण के लिये प्रतिवर्ष प्रति ब्लाक में कितनी-कितनी सहायता दी और कहां-कहां?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०५–१०७ पर)

सुल्तानपुर जिले में हरिजन छात्रावास

४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के हरिजन विभाग ने इस वर्ष हरिजन छात्रावास के हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के हेतु विकास खंडों या विद्यालयों को सूचना दी थी? क्या उसकी सूचना विकास खंड जामो या उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जामों को भी दी थी? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जिला स्तर पर इस वित्तीय वर्ष में हरिजन छात्रावास के अनुदान के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित अन्तरिम जिला परिषदों को दे दिया गया है। अतः जिले के हरिजन कल्याण कार्यालय के द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी ओर से प्रार्थना-पत्र मंगाने का प्रश्न नहीं उठता।

पिछले वर्ष निदेशालय में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को इस वर्ष सम्बन्धित अन्तरिम जिला परिषदों के पास इस आशय से भेज दिया गया था कि वे उन प्रार्थना-पत्रों पर भी विचार कर लें। सुल्तानपुर जिले की अन्तरिम जिला परिषद् ने इस वर्ष अलग से प्रार्थना-पत्र न मंगाकर गत वर्ष के ही प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया है। संस्था को अलग से प्रार्थना-पत्र भेजने की सूचना दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

५—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष १९६२-६३ में हरिजन छात्रावास के अनुदान के हेतु कितने तथा किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र आये तथा यह अनुदान किस विद्यालय को दिया गया? यदि इस वर्ष प्रार्थना-पत्र नहीं माँगे गये, तो इसका क्या कारण है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रश्न ४ के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखने से १९६२-६३ में नये प्रार्थना-पत्र आने का प्रश्न नहीं उठता। १९६२-६३ में हरिजन छात्रावास के लिये भवन निर्माण का अनुदान श्री हनुमत इन्टरमीडिएट कालेज, बिजेथुआ, जिला सुल्तानपुर को हुआ है।

गाजीपुर जिले में हरिजन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन

६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में हरिजन संस्थाओं के ६ माह के अनुदान का आदेश हरिजन कल्याण संचालक द्वारा ११ अप्रैल, १९६२ को हो चुका था? यदि हाँ, तो जिला गाजीपुर में हरिजन संस्थाओं के कर्मचारियों को मार्च, १९६२ से अगस्त, सन् १९६२ तक का ९ मास का वेतन ९ अगस्त, १९६२ को क्यों भुगतान किया गया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हाँ।

इसका कारण संस्थाओं के प्रबन्धकों की यह असमर्थता है कि वे शासकीय अनुदान के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोतों से वेतन का प्रबन्ध नहीं कर सके। साथ ही जिला स्तर के कार्यालय की असावधानी भी है, जिसके कारण समय से धनराशि का भुगतान नहीं हो सका। कार्यालय के सम्बन्धित व्यक्तियों को चेतावनी दे दी गई है।

बलिया जिले में पोल्ट्री फार्म के हरिजनों को अनुदान

७—श्री रघुनाथ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला में सन् १९५२ से १९६१ तक कितने रुपये पोल्ट्री फार्म के वास्ते हरिजनों को दिया गया है और जिनको दिया गया है उनका नाम पता क्या है?

८—सरकार इस कार्य पर खर्च करने के लिये सन् १९५२ से १९६१ ई० तक सालाना बजट कितना करती आई है? उसमें कितना खर्चा होता रहा है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—बलिया जिले में उक्त अवधि में १,२०० रु० पोल्ट्री फार्म के लिये दिया गया। प्राप्त कर्ताओं के नाम व पते इस प्रकार हैं:—

(१) श्रीमती लहसिया, बनकटा,

(२) श्री वंशरोपन मेहतर, नरही,

(३) श्री सरजूराम, हरिजन, बस्ती,

(४) श्री शिवनाथ राम, मनियर,

(५) श्री प्रेम प्रकाश कोटवा, नारायनपुर।

हरिजन सहायक विभाग में पोल्ट्री फार्म के लिये अलग से कोई बजट नहीं है। कुटीर उद्योग के अन्तर्गत हरिजनों तथा विमुक्त जातियों के लिये जो बजट है उसी में से बलिया जिले में पोल्ट्री फार्म पर १९५२ से १९६१ तक १,२०० रु० व्यय हुआ है। इस जिले को कुटीर उद्योग हेतु उक्त अवधि में १६,२७० रु० और ३,५०० रु० क्रमशः हरिजनों तथा विमुक्त जातियों के लिये दिया गया।

गाजीपुर जिले में हरिजन गृह निर्माणार्थ सहायता

९—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय योजना तथा तृतीय पंच वर्षीय योजना में गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिये कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया और किन-किन स्थानों पर गृह निर्माण का कार्य हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—गृह-निर्माण योजना के फलस्वरूप हरिजनों के गृह निर्माण हेतु गाजीपुर जिले की प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में १७,७६० रु० द्वितीय में ८९,३५० रुपये तथा तृतीय में ३३,००० रुपये दिया गया।

जिन-जिन स्थानों पर निर्माण कार्य हुआ। उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०८ पर)

बीसलपुर बीज भण्डार की स्थिति

१०—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला पीलीभीत में नगरपालिका बीसलपुर की सीमा के भीतर एक नया बीज गोदाम सरकार ने तालाब में बनाया है जिसके बनाने से तालाब में जाने वाला पानी आबादी की सड़क पर रुक जाने से मकानों को क्षति पहुंच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बीसलपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि० ने बीसलपुर नगरपालिका की सीमा में एक गोदाम बनवाया है परन्तु इस गोदाम का निर्माण किसी तालाब में नहीं किया गया है। बीसलपुर कस्बे के जिस मोहल्ले में यह गोदाम बना है वह सामान्य स्तर से कुछ नीचा अवश्य है। पहिले जब वह खाली ज़मीन पड़ी थी तब भले ही उस क्षेत्र का बरसाती पानी उधर से होकर बह जाता है जो सम्भवतः इमारत बन जाने से उधर से नहीं जा सकता।

११—श्री दुर्गाप्रसाद—क्या सरकार के पास उपरोक्त विषय पर कोई प्रार्थना-पत्र स्थानीय लोगों से प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर कौन-सी कार्यवाहियां कीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

१२—श्री दुर्गाप्रसाद—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उस सड़क का पानी एक पक्की गूल बनाकर बाहर निकाल दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न का इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यदि उस क्षेत्र के पानी के बहाव के लिये विशेषज्ञों की राय कोई पक्की गूल बनाकर उस क्षेत्र का पानी निकालने की हो तो उस पर सम्बन्धित विभाग आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

धानापुर संघ के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत

१३—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित धानापुर ब्लाक के अन्तर्गत धानापुर संघ के सुपरवाइजर के विरुद्ध अधिकारियों तथा जनता के शिकायत-पत्र ए० आर० वाराणसी एवं अन्य अधिकारियों को भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त सुपरवाइजर के सम्बन्ध में क्या किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, सम्बन्धित सुपरवाइजर के विरुद्ध अधिकारियों व जनता के शिकायती पत्र ए० आर० वाराणसी को भेजे गये हैं। बिना आज्ञा हेड क्वार्टर छोड़ने, आदेशों का अनुपालन न करने, सीड स्टोर के हिसाब-किताब में असावधानी बरतने, संघ के अध्यक्ष से मिलकर अवैधानिक कार्य करने तथा संघ के चुनाव में अनुचित योग देने की शिकायतें सुपरवाइजर के विरुद्ध थीं। सहायक निबन्धक, वाराणसी ने आरोपों की जाँच करवाई, लेकिन कोई गम्भीर आरोप साबित नहीं हुआ। साधारण त्रुटियों के लिये सुपरवाइजर को चेतावनी दे दी गई है।

वाराणसी जिले में बहुधंधी सहकारी समितियां

१४— श्री रघुनाथसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में विभिन्न विकास खंडों में बहुधंधी सहकारी समितियों की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संख्या क्या थी और तीसरी योजना के लक्ष्य क्या हैं?

श्री चतुर्भुजशर्मा—दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक १,३०४ बहुधन्धी सहकारी समितियाँ थीं।

इसके लिये तीसरी योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

सहकारी संघ, मेजा में गबन

१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मंत्री प्रश्न संख्या ३४, नत्थी (ग) के उत्तर से सम्बन्धित बताने की कृपा करेंगे कि मेजर रोड सहकारी संघ कब टूटा और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कितने धन की डिग्री हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेजा रोड सहकारी संघ टूटा नहीं है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध ७२५८.५८ रुपये की डिग्री हुई है।

१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो डिग्री हुई उसमें कितने लोगों के नाम वसूल करने हेतु थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निम्नलिखित डिग्री शुदा रकमें उनके सम्मुख दिये गये व्यक्तियों से वसूल करने हेतु थी :—

डिग्री संख्या	डिग्री की धनराशि	नाम व्यक्ति जिन पर डिग्री हुई
२६६	१,५५३ रु० ४ आना	श्री बद्रीनाथ तिवारी सरपंच
२६७	४,२३९ रु० १३ आना ३ पाई	श्री अम्बिका प्रसाद विक्रेता तथा श्री बद्रीनाथ तिवारी सरपंच पर सम्मिलित रूप से।
२६८	९०७ रु० ६ आना	श्री बद्रीनाथ तिवारी सरपंच।
२६९	४३३ रु० ६ आना	श्री रामयज्ञ तिवारी कोषाध्यक्ष, श्री बद्रीनाथ तिवारी सरपंच तथा श्री अम्बिका प्रसाद विक्रेता पर सम्मिलित रूप से।
२७०	१२४ रु० १२ आना	श्री जगन्नाथ प्रसाद दुबे, श्री बद्रीनाथ तिवारी सरपंच तथा श्री अम्बिका प्रसाद विक्रेता पर सम्मिलित रूप से।

दरियाबाद ब्लाक में हरिजनों को सहायता

१७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बतायेगी कि बाराबंकी जिले के दरियाबाद ब्लाक में विगत ५ वर्षों में हरिजन विभाग से किसे और कितना, किस कार्य के लिये अनुदान दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०९–११० पर)

१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या इस ब्लाक में हरिजन स्कूल, हरिजन बस्ती, सुअर पालने के केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, हरिजन पंचायतघर श्रमदान से बनाये गये ? यदि हां, तो कहां-कहां और हरिजन विभाग से क्या कोई सहायता दी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

१९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदारपुर, तहसील रामसनेही घाट (बाराबंकी) में जो हरिजन बस्ती बसाई गई है वह किस ब्लाक में है और इसे बसाने के लिये कितना धन किसे और कितना दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह हरिजन बस्ती कोटवाधाम दरियाबाद ब्लाक में है। अनुदान ग्रहीता का नाम तथा स्वीकृत धन आदि निम्नलिखित हैं :—

क्रम-संख्या	नाम ग्रहीता	स्वीकृत धन	भुगतान किया गाया धन
		रु०	रु०
१	श्री छबिलाल	७५०.००	५७५.००
२	श्री देवीदीन	,,	,,
३	श्री चतुरी	,,	,,
४	श्री दुलारे	,,	,,
५	श्री भगौती	,,	,,
६	श्री मातादीन	,,	,,
७	श्री हुसेनी	,,	,,
८	श्री फेसू	,,	,,
९	श्री बीपत	,,	,,
१०	श्री मगरे	,,	,,
११	श्री जुगन	,,	,,
१२	श्री छोटे	,,	,,
१३	श्री पंचम	,,	,,
१४	श्री जवाहिर	,,	,,
१५	श्री रामदीन	,,	,,
१६	श्री मनसाराम	,,	,,
१७	श्री मोलहे	,,	,,
१८	श्री छत्रपति	,,	,,
१९	श्री छोटेलाल	,,	,,

२०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या यह सही है कि इस बस्ती को बसाने के लिये दरियाबाद ब्लाक से पैसा लिया गया और रामनगर ब्लाक में बनाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी नहीं। हरिजन बस्ती (कोटवाधाम) दरियाबाद ब्लाक में ही बनाई गई है।

२१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या सरकार को मालूम है कि यह ऐसी जगह पर है जहां हरिजन बसना नहीं चाहते ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो न बसने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यहां हरिजन अपनी मर्जी से बसे हैं। कोई भी ऐसा हरिजन नहीं है जो वहां न बसना चाहता हो।

गौरीशंकर इण्टर कालेज, सिकन्दराराव का छात्रावास

२२--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद), श्री श्यामलाल तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की तरफ से अनुसूचित छात्रों के होस्टल बनाये जाने के लिये १०,००० रुपये का अनुदान गौरीशंकर इंटर कालेज, सिकन्दराराव, जिला अलीगढ़ को पिछले तीन साल में दिया गया था ? यदि हां, तो कब और उसमें से कितना रुपया उपरोक्त कालेज को अदा कर दिया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी हां, यह अनुदान जनवरी, १९६२ में स्वीकृत किया गया था जिसमें क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा ३,००० रु० का अग्रिम भुगतान ३१ मार्च, १९६२ को कर दिया गया है।

२३--श्री हलीमुद्दीन, श्री श्यामलाल तथा श्री खेमचन्द--क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे होस्टल के बनाने के लिये अभी तक नींव तक भी नहीं पड़ी है ? ऐसी सूरत में सरकार इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यद्यपि अभी नींव नहीं पड़ी है परन्तु प्रबन्धक समिति ने उक्त होस्टल के लिये ३,००० रु० की ईंट खरीद ली है। अतः अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

२४--श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति के रूप में १९६१ में कितना रुपया दिया गया और १९६२ में कितना रुपया देने का वह विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--१९६१-६२ में ५१,५७३ रुपये दिया गया तथा १९६२-६३ में ७०,००० रुपये देने का अनुमान है।

झांसी जिले के सहरिया हरिजन

२५--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार को पता है कि जिला झांसी के ग्राम जमालपुर, तहसील ललितपुर व ग्राम उजियान, तहसील मोठ, जिला झांसी के पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी सहरिया हरिजन बड़ी संख्या में पाये जाते हैं और जंगलों में फूस आदि की झोपड़ी बना कर रहते हैं तथा बरसात में पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ भूमि को जोतकर ज्वार की खेती करते हैं उनकी जमीन बन विभाग लेकर उन्हें परेशान करता है ? क्या सरकार उनकी जीविका की व्यवस्था करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---तहसील ललितपुर में सहरिया बन विभाग की सीमा के बाहर ग्राम समाज की भूमि पर अपना मकान बना कर रहते हैं। कुछ सहकारिया जंगल की भूमि में जोत किये हुये हैं। वन विभाग ने उनका कब्जा हटाया है जो अवैध कब्जा था। इन लोगों को ग्राम समाज की भूमि के पट्टे दे दिये गये हैं तथा इच्छुक व्यक्ति नियमानुसार प्रार्थना-पत्र देकर ग्राम समाज से भूमि प्राप्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार तहसील मोठ के सहरिया हरिजनों को दो साल पूर्व ग्राम समाज ने खेती करने के लिये भूमि दे दी थी जिस पर वे खेती करते हैं। जो लोग अधिक भूमि चाहते हैं उनके प्रार्थना-पत्रों पर ग्राम समाज विचार कर रहा है।

फैजाबाद सहकारी डिवीजन में कलेक्शन फण्ड, बीज गोदाम, अकबरपुर

२६---**श्री महादेव**---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद सहकारी डिवीजन में कोई कलेक्शन फंड खुला है उसका इंचार्ज कौन है ? उस फंड का क्या मकसद है तथा उसमें कितना रुपया इस समय इकट्ठा हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---फैजाबाद मंडल में सहकारी समितियों के बकाये की वसूली के लिये एक नई योजना चलाई गई है। प्रत्येक जनपद में जिलाधीश के अधीन यह योजना कार्य करती है। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त (Commissioner) के अधीन यह योजना है।

इस योजना के अनुसार सहकारी समितियों की बकाये की वसूली में जो व्यय होता है वह बकायेदारों से वसूल कर फंड में जमा कर दिया जाता है जिससे अमीन, चपरासी तथा जीप इत्यादि का खर्च चलाया जाता है। मंडल-स्तर पर इस समय कुल ४,०८६ रु० ६६ नये पैसे जमा हैं।

२७---**श्री महादेव**---क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति अकबरपुर (फैजाबाद) ने वर्ष १९६१-६२ में कितना सरप्लस बीज, बीज-गोदामों का बेचा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---१४,५७६ मन २ सेर १२ छटांक सरप्लस बीज बेंचा है।

वाराणसी जिले की सहकारी समितियां

२८---**श्री रघुनाथसिंह**---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितनी सहकारी समितियों का निर्माण हो चुका था और उनकी कुल सदस्य संख्या क्या थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कुल १,९१८ सहकारी समितियों का निर्माण हो चुका था और उनकी सदस्य संख्या कुल १,४५,५४१ थी।

२९---**श्री रघुनाथसिंह**---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन समितियों की कुल हिस्से की पूंजी सदस्यों द्वारा और सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इन समितियों की कुल हिस्से की पूंजी सदस्यों द्वारा ३६,७४,४३८००० रुपया और सरकार द्वारा ५,३५,००००० रुपया थी।

३०---**श्री रघुनाथसिंह**---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन समितियों की कारोबार की कुल कितनी पूंजी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस समितियों की कुल कारोबार की कुल पूंजी १,७९,४०,६५९ रुपये थी।

अनाथ एवं परित्यक्त बालकों की शिक्षा

३१—**श्री मुहम्मद रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि यतीमों को उनकी तालीम के लिये वे सहूलियतें हासिल नहीं हैं जो कि अनुसूचित जाति के राजकीय कर्मचारी या विमुक्त व्यक्तियों के बच्चों को हासिल हैं ? अगर यह सही है, तो क्या सरकार इन लोगों को भी वे तमाम सहूलियतें देने की कृपा करेगी जो कि उपर्युक्त लोगों को हासिल हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यतीमों को तालीम देने से सम्बन्धित इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। परन्तु ऐसे असरकारी अनाथालयों, को जो अनाथ बच्चों को भरण-पोषण के अतिरिक्त शैक्षिक सुविधायें भी प्रदान करते हैं, सरकारी अनुदान देते समय विशेष ध्यान रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनाथ एवं परित्यक्त बालकों के लिए एक राजकीय सदन मथुरा में खोला गया है जिसमें इस प्रकार के बालकों के रहन-सहन तथा भरण-पोषण के अतिरिक्त उनकी प्रारम्भिक तथा प्रारम्भिक से पूर्व की शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध है।

भारत सेवक समाज को अनुदान

३२—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भारत सेवक समाज को उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा कितना अनुदान १९५९-६० व १९६०-६१ में मिला ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—भारत सेवक समाज, लखनऊ को समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष १९५९-६० में दो हजार चार सौ रुपया स्वीकृत हुआ था तथा १९६०-६१ में मुख्य मंत्री के विवेकाधीन धनराशि में से २,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बदायूं

३३—**श्री सूरजपाल सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कितने कोआपरेटिव बैंक हैं और कहां-कहां ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बदायूं में एक सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय इसलामनगर में है।

३४—**श्री सूरजपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक बदायूं में है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा ऊपर कहा गया है, बदायूं जिले के सेन्ट्रल कोआपरेटिव बक का प्रधान कार्यालय बदायूं में नहीं है बल्कि इसलामनगर में है। बदायूं में बैंक की एक ब्रांच है। कोआपरेटिव बैंक एक आटोनोमस बाडी (Autonomous body) होती है। यह बैंक के संगठन करने वालों की इच्छा पर निर्भर है कि वे बैंक का प्रधान कार्यालय कहां पर रक्खें।

३५—**श्री सूरजपाल सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में इसलामनगर कोआपरेटिव बैंक इसलामनगर में क्यों है जबकि वहां कोई व्यापारिक केंद्र और यातायात का साधन नहीं है जिसकी वजह से जनता को आने जाने की परेशानी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बैंक का प्रधान कार्यालय इसलामनगर में होने का कारण प्रश्न नं० २ के उत्तर में दे दिया गया है। जहां तक जनता के आने-जाने की परेशानी का प्रश्न है सभी क्षेत्र के लोगों को बैंक से रुपया लेने व जमा करने के लिये बैंक के प्रधान कार्यालय इसलामनगर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक में दो शाखें बदायूं तथा बिसौली में खोल रक्खी हैं। सम्बन्धित क्षेत्र की सहकारी समितियों को बैंक से ऋण लेने तथा रुपया जमा करने की सुविधा निकटतम शाखा से उपलब्ध है।

सहकारी बीज भण्डार, रामनगर

३६---**श्री गिरजाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में सहकारी बीज भंडार, रामनगर में ३ सितम्बर, १९६२ की रात्रि में बारह बोरा धान और दो बोरा जौ की चोरी की सहकारी समिति रामनगर के सरपंच द्वारा पकड़ी गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सहकारी बीज भंडार, रामनगर का दिनांक ३-९-६२ की रात्रि को कोई गल्ला चोरी नहीं गया। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सहकारी बीज भंडार के सुपरवाइजर ने ३१-८-६२ को रामनगर कृषि फार्म के सुपरिन्टेंडेंट की सिफारिश पर फार्म के चौकीदार का ८ बोरा धान और २ बोरा जौ अपने संरक्षण में रख लिया था क्योंकि चौकीदार के घर में पानी भर गया था। सुपरवाइजर ने चौकीदार को इस गल्ले का वाउचर बीज भंडार के कागजों से काट दिया। जब यह गल्ला श्री विशेश्वर प्रसाद साकिन अखरौली मजरा बिसलिया के ४ बोरा धान के साथ (कुल १२ बोरा धान २ बोरा जौ) बेचने के लिये सहकारी सुपरवाइजर द्वारा ३-९-६२ की रात्रि को भेजा जा रहा था, सहकारी समिति रामनगर के सरपंच द्वारा जाने से रोका गया और बीज भंडार में जमा करा दिया गया।

३७---**श्री गिरजाप्रसाद**---क्या उपरोक्त मामले का सम्बन्ध सुपरवाइजर सहकारी बीज भंडार से था? इसकी जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई और जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

मामले की जांच क्षेत्रीय विकास अधिकारी, रामनगर और सहायक निबन्धक, बाराबंकी ने की। जांच में सुपरवाइजर को इस व्यक्तिगत रूप से कार्य करने, सीड स्टोर पर एक-बाहरी आदमी के गल्ले को रखने, उसके वाउचर सीड स्टोर के कागजों से देने तथा गल्ले को बेचने के लिये ट्रक से श्री विशेश्वर प्रसाद द्वारा भेजने के लिये दोषी पाया गया। सुपरवाइजर का बाराबंकी से सुल्तानपुर स्थानान्तरण कर दिया गया है सहायक निबन्धक बाराबंकी ने उक्त अनुचित कार्यवाही के लिये सुपरवाइजर को निलम्बित करने की सिफारिश की थी। उप-निबन्धक फैजाबाद ने सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया है।

३८---**श्री गिरजाप्रसाद**---क्या यह सच है कि उपरोक्त मामले पर पर्दा डालने के कारण विकास खंड अधिकारी रामनगर के विरुद्ध वहां की जनता ने ९ सितम्बर के दोपहर को एक प्रदर्शन निकाल कर क्षोभ प्रकट किया तथा विकास खंड कार्यालय, रामनगर में मौजूदा अधिकारी को एक स्मृति-पत्र दिया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रामनगर सहकारी समिति के सरपंच तथा कुछ अन्य स्थानीय व्यक्ति ९-९-६२ को डेपूटेशन के रूप में क्षेत्रीय विकास अधिकारी, रामनगर से मिले थे। इस सम्बन्ध में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और न कोई स्मृति-पत्र दिया गया था।

किसान इण्टर कालेज, उस्काबाजार के हरिजन विद्यार्थी

३९—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसान इण्टर कालेज, उस्काबाजार, जिला बस्ती में दर्जा १० तक कितने हरिजन विद्यार्थी हैं और कितने ऐसे हरिजन विद्यार्थी हैं जिनसे उक्त कालेज के प्रिंसिपल ६ रुपया मासिक फीस ले रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—किसान इंटर कालेज, उस्काबाजार, बस्ती में ५७ हरिजन विद्यार्थी है जिनमें से किसी से भी ६ रुपया मासिक फीस नहीं ली जा रही है। केवल ६ विद्यार्थियों से, जो गत वर्ष वार्षिक परीक्षा में अत्यधिक अंकों से अनुतीर्ण हो गये थे, अर्ध-शुल्क लिया जा रहा है।

४०-४२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—[नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४५-४७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

हरदोई जिले में हरिजन छात्रों को सहायता

४३—श्री पूरनलाल—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन छात्रों को मुफ्त किताबें देकर उनको जो सहायता प्रदान की जाती थी वह अब दी जा रही है या नहीं? यदि हाँ, तो जिला हरदोई में प्रत्येक पाठशाला में सन् १९६१ से सितम्बर, १९६२ तक कितनी-कितनी कीमत की किताबें बांटी गई?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां।

सूचना संलग्न सूची 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १११-११२ पर)

४४—श्री पूरनलाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में १९६१ से सितम्बर, १९६२ तक प्रत्येक पाठशाला में कितने-कितने रुपयों की कितनी छात्र-वृत्तियां हरिजन छात्रों को दी गई?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ११३-११५ पर।)

वाराणसी जिले में बिक्री-कर की वसूली

४५—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में जिन दुकानों से सरकार बिक्री-कर वसूल नहीं करती उन दुकानों में भी खरीददारों से बिक्री-कर लिया जाता है? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कोई ऐसा कदम उठाया जायगा जिससे वे दुकानदार खरीददारों से बिक्री-कर न वसूल कर सकें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई तथापि, खरीदारों के हितों में रक्षा हेतु, बिक्री-कर विभाग समय-समय पर प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा खरीदारों को आगह करता रहता है कि वे केवल उन व्यापारियों को ही टैक्स दें जो कि स्वयं कर के देनदार हों। इन विज्ञापनों में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कर के देनदार प्रत्येक व्यापारी को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, अतएव खरीदार केवल रजिस्टर्ड व्यापारी को ही टैक्स दें। ऐसे व्यापारियों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियमों के नियम ५७ (२) के अन्तर्गत अनिवार्यरूप से अपने रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र अपनी दूकान पर विशिष्टतया प्रदर्शित करना पड़ता है।

४६—श्री गिरधारीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में वाराणसी जिले से कितना-बिक्री कर वसूल हुआ और उक्त वर्षों के बिक्री-कर की कितनी रकम उक्त जिले में वसूल होने से अभी तक बाकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वित्तीय वर्ष ६०-६१ व ६१-६२ में वाराणसी जिले से बिक्री-कर के रूप में निम्नांकित धनराशि प्राप्त हुई—

रु०

१९६०-६१ .. .. .. ५९,९७,९२३
१९६१-६२ .. .. .. ६४,०४,२७०

तथा उक्त वर्षों के बिक्री-कर की निम्नलिखित धनराशि वसूल होने से अब तक अवशेष हैं—

१९६०-६१ .. .. .. ५ ६६,४८०
१९६१-६२ .. .. .. ८,८१,५७५

हरिजन कन्या पाठशाला, खत्री टोला, आजमगढ़ का अनुदान

४७—श्री छांगुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका के अन्तर्गत स्थित हरिजन कन्या पाठशाला, खत्री टोला की प्रबन्ध समिति जो एक पंजीकृत संस्था है, को वार्षिक अनुदान किस रीति से और किसके द्वारा दिया जाता है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—पाठशाला की प्रबन्ध समिति जिला परिगणित जातीय सुधार समिति से सम्बद्ध (affiliated) है जो एक पंजीकृत संस्था है अतः उनको अनुदान दिया जाता है। प्रबंधक बिल बनाकर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर कराकर स्वयं स्टेट बैंक से भुगतान लेते हैं।

४८—श्री छांगुर—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त संस्था को माह मार्च, १९६२ से २१ अगस्त, १९६२ तक का अनुदान किसको और किसके द्वारा दिया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—स्टेट बैंक द्वारा प्रबन्धक को।

बहराइच जिले की नाविक श्रमिक सहकारी समिति

४९—**श्री हलीमुद्दीन, श्री खेमचन्द** तथा **श्री श्यामलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जल नाविक श्रमिक सहकारी समिति, महिपुरवा, जिला बहराइच जो पिछले दो साल से वहां काम कर रही है, को अभी तक कोई अनुदान दिया है? यदि हां, तो कितना और कब और नहीं, तो क्यों?

५०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समिति को आज तक मछलियों के पालने का उनका शिकार करने के लिये कोई जलाशय नहीं दिये गये, क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

५१-५३—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—[१८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ प्रस्ताव आये हैं। एक कार्य-स्थगन का, एक नियम ५२ का और एक ५३ का है। मैंने उन्हें अस्वीकार किया है और आदेश उन पर लिख दिये हैं। माननीय सदस्य उन्हें देख सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आने चाहिये इस वास्ते कि हम यह चाहते हैं कि अपने काम को जल्दी निपटावें। जो बातें कार्य-स्थगन में आ सकती हैं वे दूसरे रूप में भी आ सकती हैं। इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव कृपया न दें, तो अच्छा होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा प्रश्न इस सम्बन्ध में था कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की फीस-माफी का ऐलान सरकार ने किया था और यह भी कहा था कि जो लड़के फीस नहीं देंगे उनके नाम काटे नहीं जावेंगे। सारे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के विद्यालयों के छात्रों पर ५०-५० और १००-१०० रुपया फीस का हो गया है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। सभी छात्रों और विद्यालयों की हालत खराब है।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। अगर उसे स्पष्ट कर देंगे तो सम्भव हो जायगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---मैंने नियम ५३ का डिफेंस कमेटीज के बारे में दिया था। जो इस समय किया जा रहा है उसका उलटा असर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---माननीय कल्पनाथसिंह जी से बात हो चुकी है, वह आपको बतला देंगे।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था। लेकिन नियम ५२ में ही उसे स्वीकार करके माननीय समाज कल्याण मन्त्री से एक बयान दिलवा दीजिये। सैकड़ों हरिजन विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में पड़ा है और वे पढ़ाई छोड़ते चले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आपने जो विषय रखा था वह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है और किस रूप में, आप उस सम्बन्ध में, सूचना प्राप्त कर सकते हैं वह भी मैंने उसमें लिख दिया है। अगर आप कृपा करके मिल लें तो आपको स्पष्टीकरण हो जायगा।

*उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)††

†**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, मैं कल यह कह रहा था कि जो अधिकार सरकार ने जनता को दिया था वह भी वह इस विधेयक से वापिस लेने जा रही है। शर्मा जी चले गये, उन्हें सारी बातें याद हैं, जो सरकार और विरोधी नेताओं में तय हुई थीं। वह मीटिंग में मौजूद थे जिसमें तय हुआ था कि २ आदमी प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जावेंगे और १ आदमी अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जायगा। जब पिछली बार विधेयक पेश हुआ था तभी उसमें परिवर्तन हुआ कि १ आदमी होगा प्रत्यक्ष चुनाव से और २ अप्रत्यक्ष चुनाव से। तो पहले कदम पर ही नौकरशाही के सामने सरकार ने घुटने टेक दिये, जो निन्दनीय है। जिला स्तर पर एक अनसर्टेंटी का वातावरण अभी भी बना हुआ है और यह नहीं कहा जा सकता कि यही विधेयक आखिरी है और आगे परिवर्तन नहीं होंगे। प्रजातंत्रीय अधिकारों पर यह तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। ऐसी ही बातें तो तानाशाही को जननी होती हैं। इसका संकेत इसके उद्देश्य और कारणों में है कि यह निर्वाचन अत्यधिक खर्चीला तो साबित होगा ही, साथ ही उसे सफलतापूर्वक आयोजित करने में बहुत-सा श्रम लग जायगा। यह अनुभव किया जाता है कि समय, धन और शक्ति के इस महान अपव्यय का, जो ऐसे प्रत्यक्ष निर्वाचन में अनिवार्यतः होगा, उपयोग अधिक लाभप्रद रूप से लोगों

---

*३ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही से छपा है।

†† ४ दिसम्बर, १९६२ से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखंडेराय]

की भलाई के किसी रचनात्मक कार्य के लिये किया जा सकता है। यह सारा तर्क उन्हीं लोगों का है जो चाहते हैं कि प्रजातन्त्र पद्धति को समाप्त कर दिया जाय, जिनकी यहां तक भावनायें हैं कि विधान सभा और संसद के चुनाव भी समाप्त करके ये चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से हों। यह उन्हीं की ध्वनि यहां लिखी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे सोचे और जो उसने विरोधी पक्ष के नेताओं से तय किया था और जिसमें एक कदम वह झुकी है, उसमें दूसरा और आखरी कदम न झुके, बल्कि इस विधेयक को वापस लेकर १ व्यक्ति के चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली जारी रखे।

इस विधेयक के लागू होने के बाद जिला परिषदों का अधिकारीकरण हो जायगा, जो एक घातक प्रवृत्ति है। इस समय अधिकारी लोग जिस रूप में जिला परिषदों से सम्बन्धित हैं और जैसा उनको सम्पर्क है वह किसी प्रकार भी अवांछनीय नहीं है और उसमें काफी सौहार्द के साथ काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---माननीय उग्रसेन, वैसे बात तो करना मैं मना नहीं करता लेकिन पास जाकर बैठ जावें तो अच्छा है, वरना भुन-भुन आवाज होती है और इससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को कठिनाई होती है।

श्री झारखंडेराय---सरकार ने यों ही अप्रत्यक्ष चुनाव में उन्हें वोट का अधिकार देकर गलत कदम उठाया था, जिसकी निन्दा और विरोध इस पक्ष की ओर से जोरदार शब्दों में हुआ लेकिन सरकार अब उसे बाजाब्ता ऐसे रूप में रख रही है कि इस बात का खतरा है कि जिला परिषद् व्यवहारिक रूप से, डेफैक्टो, अधिकारियों के हाथ में चले जावेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर सरकार फिर से विचार करे और जरूरी है कि श्री कल्पनाथसिंह जी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय। इसमें सभी दलों के लोग होंगे और यहां इस पर अच्छी तरह विचार हो सकता है।

अन्त में मैं, फिर उसी बात को दोहरा कर कि सरकार ने जो कुछ देने का निर्णय किया था उसे वापिस ले रही है, इस विधेयक का विरोध करता हूं और जो तरमीम पेश की गई है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, उसकी ताईद करते हुये मैं चाहता हूं कि सरकार अपने अप्रजातंत्रीय कदम को वापिस ले।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि काफी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, इसलिये समय निश्चित कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि १० मिनट सदस्यों के लिये और नेताओं के लिये १५ मिनट उचित होगा। यह निश्चत है।

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक में कई दोष हैं। सर्वप्रथम इसमें यह दोष है कि यह जनतंत्रीय भावना को संकुचित करता है जिस भावना के ऊपर हम चल रहे हैं और हमारा शासनतंत्र चल रहा है, उसी को समाप्त करने का यह एक प्रयास है। हमारा अनुभव ग्राम पंचायतों के चुनाव का यह है कि वहां अक्सर, दो प्रकार के व्यक्ति प्रधान चुने गये हैं। एक वे जो कुछ शरारत-पसन्द होते हैं और दूसरे वे जो कुछ नासमझ होते हैं। शरारत-पसन्द तो इसलिये चुने जाते हैं कि उनसे गांव के लोगों को खतरा होता है। ग्रामीण उनका मुकाबला नहीं कर पाते और उनकी शरारत के आधार पर उनको वोट दे देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जहां दो पार्टियां होती हैं और उन दोनों में काफी टकराव होता है.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रकार के प्रधान---शरारत पसन्द और नासमझ---होने की बात कही। तो मैं भी एक प्रधान हूं और किसमें हूं इसे जरा माननीय सदस्य बतला दें।

श्री अध्यक्ष—आप दोनों में हैं । (हंसी) मेरा मतलब शरारत प्रसन्द और नासमझ ।

श्री बसंतसिंह—माननीय सदस्य को मैं भी यही उत्तर देता, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने मेरी सहायता कर दी ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां दो पार्टियां होती हैं और उनमें जबरदस्त टकराव होता है, तो वहां ऐसे नासमझ व्यक्ति को प्रधान चुन लिया जाता है जिससे दोनों पार्टियां अपना काम निकाल सकें । ठीक है कि कुछ दिनों में यह बात दूर हो जायगी लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसी ही बात है इसको हम छिपा नहीं सकते हैं । जब ऐसे प्रधानों के द्वारा ब्लाक प्रमुखों का चुनाव होता है, तो उसमें भी सही किस्म के आदमी नहीं आ पाते । जिला बोर्ड्स में अगर हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व रखते हैं तो जो जनतंत्र की भावना है और जो जनता के प्रतिनिधित्व करने की बात है, वह समाप्त हो जाती है । जितना अप्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रोत्साहित किया जायेगा उतना ही जनतंत्र संकुचित होता जायगा और हमारा कदम तानाशाही की ओर बढ़ता जायगा। वर्तमान स्थिति में किसी भी हालत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन ठीक नहीं है । आपने देखा होगा कि जब असेम्बली का चुनाव होता है तो उस समय गांव के प्रधान की राय के साथ गांव का ५० प्रतिशत क्या, कभी-कभी एक प्रतिशत भी वोट नहीं जाता, बल्कि वहां बिल्कुल उसके विपरीत होता है । अतः जब हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपना लेंगे तो हम जनतंत्र को समाप्त कर देंगे, यह बिल्कुल निश्चित है और मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक में यही प्रयास किया गया है । कुछ लोगों को भय है कि उनके प्रिय व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा नहीं चुने जायेंगे इसलिये यहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी गयी है ।

दूसरी बात इसके उद्देश्य और कारणों में यह कही गयी कि हम सदस्यों की संख्या में कमी करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से सदस्य हो जाते हैं । लेकिन दूसरी तरफ इसमें कई प्रकार के अनावश्यक सदस्यों को रखने की व्यवस्था की गयी है । मैं नहीं जानता कि इसका आधार क्या है । अन्तरिम जिला परिषद् से कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, कोआपरेटिव फेडरेशन और केन कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधियों का क्या संबंध है ? क्या उनको जिला परिषद् का सदस्य बनाना आवश्यक है जब उनका जिला परिषद् से कोई संबंध नहीं है ? इसी तरीके से आप देखें कि जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट है उसका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से क्या संबंध है ? जब म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है तो फिर म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट को जिला परिषद् का सदस्य बनाने का क्या औचित्य ? जिला बोर्ड के कामों को आप देखें तो वह गांवों से संबंधित होते हैं । जिला परिषद् का कार्य सड़कें बनवाना, पुल बनवाना और शिक्षा आदि की व्यवस्था करना होता है । इस तरह की जो सेवायें हैं उनके प्रतिनिधि यदि उसके लिये जायं तो उसका औचित्य हो सकता है लेकिन इसमें अनावश्यक रूप से ऐसी समितियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भरा गया है जिन से जिला परिषद् का कोई संबंध नहीं होता ।

इसके बिल के उद्देश्य और कारणों में यह भी कहा गया है कि अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लायेंगे तो नीचे के निकायों के अधिकार क्षेत्रों की सीमा कम हो जायगी क्योंकि इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उसकी परिधि बढ़ाने का, प्रयत्न करेंगे । जितने भी मेम्बर जिला परिषद् के संगठन में रखे गये उनके निकायों का जिला अन्तरिम परिषदों के कार्य से कोई संघर्ष नहीं तो उनके हितों का कोई टकराव भी पैदा नहीं हो सकता । देखा यह गया है कि कुछ हमारे पक्षपात होते हैं उन्हीं के आधार पर हम यहां विधायकों को लाते हैं, उनका निर्माण करते हैं । हम केवल इसी नतीजे पर आये हैं । इन १५ सालों के भीतर हम ने कभी भी पक्षपात से ऊपर उठकर किसी विधेयक को लाने का प्रयत्न नहीं किया है और उसका फल यह होता है कि हर दो-चार मास बाद हमें उन में संशोधन लाने पड़ते हैं । आज बदली हुई परिस्थितियों में हमें इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिये । अगर हम आज भी उस पक्षपात से ऊपर नहीं उठते तो फिर इस के लिये और कोई उचित समय नहीं आयेगा । अगर हम ने इस मनोवृत्ति में परिवर्तन न किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे । इतिहास ने

[श्री बसन्तसिंह]

ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किये हैं और इस गलती के कारण संकट और खतरे आये हैं । यदि जनतंत्र को कायम रखना है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को और उन समितियों और संस्थाओं, जिनका कोई संबंध जिला अन्तरिम परिषद् से नहीं है, के सदस्यों को परिषद् के संगठन में लेने के कार्य को समाप्त करना होगा ।

इस विधेयक में एक दोष और है कि इसमें मनोनीत प्रतिनिधि भी रखे गये हैं । यह तरीका भी बिल्कुल समाप्त होना चाहिये क्योंकि यह भी स्वार्थ और पक्षपात पर ही आधारित है । अगर हम किन्हीं व्यक्तियों को प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं ला सकेंगे तो उनको मनोनीत किया जायगा । जिला कोआपरेटिव बैंक में ऐसा ही होता है आप माने या न मानें । आप किसी को भी लाकर वहां बिठा देते हैं ।

दूसरे इसमें जो अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व है यह भी वर्गभेद पैदा करता है । इस चीज को भी समाप्त करना चाहिये, वे भी प्रत्यक्ष चुनाव में आ सकते हैं । उनके लिये कोई रोक नहीं है । इस तरह से महिला प्रतिनिधियों के लिये भी कोई रोकटोक नहीं है । सब के लिये वहां दरवाजा खुला हुआ है । इन सब चीजों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरा संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे तौर पर अध्ययन किया जाना चाहिये और इसी कारण से मैं इसको प्रवर समिति में भेजे जाने का समर्थन करता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो विचाराधीन है इसका मैं विरोध करता हूं सैद्धान्तिक रूप से और मैं इस आदरणीय सदन के सामने यह व्यक्त करना चाहता हूं कि आज देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चुनाव प्रणाली को और देश में जो जनतंत्र का सिलसिला चल रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं । पर मैं चाहता हूं कि इस सारे देश में हमारी इस विधान सभा को यह दोषी परम्परा शुरू न करना चाहिये कि यह विधान सभा जनतंत्र के बुनियादी सिद्धान्तों के ही खिलाफ है । आप देखें कि सन् ६१ में इसका मूल ऐक्ट बना था अब क्या जरूरत पड़ गई कि सन् ६२ में ही इस पर मौलिक रूप से संशोधन लाये गये । इस तरह से सारे सूबे की जो जिला पंचायतें हैं उनको आप इसके द्वारा बिल्कुल बेकार बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था की गई है कोई सीधे चुनाव के तरीके के जिला परिषद् का मेम्बर नहीं हो पायेगा । जिस तरह से तीन खंभा शासन सरकार बनाने जा रही है गांव सभा, विधान सभा और जिला क्षेत्र समिति, अगर यह तरीका अपनाया गया जो विधेयक में है तो सारे देश में केवल दो पायों पर ही शासन रहेगा, जैसा कि आज भी चल रहा है । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जिस तरह से दलील दी और जयप्रकाश जी का उदाहरण दिया, उनकी तरह के बहुत से लोग ऐसे हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक दल सोचता है आगे के चुनावों में शायद कांग्रेस पार्टी बहुमत में न आवे, इसलिये बहुत दिनों तक यह पार्टी बनी रहे इसीलिये यह विधेयक लाया जा रहा है । सारे चुनावों को अप्रत्यक्ष कर दिया जाय । आज इसको ला रहे हैं कल असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये कर सकते हैं ।

जैसा कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि जयप्रकाश जी ने जो कुछ निकाला है वह कहते हैं अच्छे लोग मिल जुल कर हुकूमत में जायं । अच्छे लोग कौन कहे जाते हैं ? जिनका असर कायम है, जो दूसरों को दबा कर अपना असर कायम रखते हैं, वही किसी तरह कमेटी में बैठ जाते हैं । तो आम जनता के हाथ से चुनाव ले लेंगे फिर कैसे साधारण अच्छे कार्यकर्ता कमेटी में आ पायेंगे ? नहीं आ पायेंगे । इस विधेयक के द्वारा ब्लाक समिति के प्रमुख रहेंगे और गांव सभाओं में चुन कर आये हुये नुमाइन्दे रहेंगे । सीधे कोई सदस्य नहीं जा सकता । आपने जिला परिषदों को किस लिये बनाया है ? मैं जहां तक समझता हूं इंगलैंड के अन्दर जो काउन्टी काउन्सिल्स का गठन है और उनका ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसी आधार पर अगर आप जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं तो वही यहां भी होना चाहिये । एक तरफ आप जिला परिषद् रखेंगे और दूसरी तरफ

जिलाधीश रखेंगे जो कभी भी जिला परिषद् को भंग कर सकता है । यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, फार्स हैं । अगर जिला का शासन जिला परिषद् के द्वारा कराना है तो वही लोग जो ब्लाक प्रमुख हैं, और जगह जिम्मेदार हैं वही लोग मिलजुल कर जिला परिषद् में बैठ जायं तो क्या वह स्वयं अपने कामों का छिद्रान्वेषण कर सकते हैं ? जब कि होना यह चाहिये कि जिला परिषद् को अधिकार हो कि अगर कोई ब्लाक प्रमुख या क्षेत्र समिति अच्छी तरह काम नहीं करते हैं तो जिला परिषद् उन पर नियंत्रण कर सके । लेकिन उन्हीं क्षेत्र समितियों तथा अन्य कमेटियों के प्रमुख परिषद् में बैठ जायं तो क्या वह अपने खिलाफ फैसला कर सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के बारे में इस तरह का विधेयक लाना जनतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात है तथा साथ-साथ यह विधान सभा तथा कांग्रेस पार्टी जो शासन कर रही है इस बात की पापी न बने, इस बात का दोष न ले कि उत्तर प्रदेश विधान सभा पहली विधान सभा हुई हिन्दुस्तान में, जिसने जनतंत्र पर कुठाराघात करने के लिये यह संशोधन पेश किया ।

†श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, यह जिला परिषद् का जो अमेंडमेंट बिल सामने आया, इसके जो मकसद रखे गये हैं उनमें दो बातें खासतौर से हैं । एक तो यह बिलकुल साफ मालूम होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन से हमारी सरकार बचना चाहती है ।

(इस समय ११ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री काशीनाथ मिश्र पीठासीन हुए ।)

मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इस डायरेक्ट इलेक्शन से बचाव हर दफा जिला परिषद् पर ही क्यों होता है ? सन् ४८ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से यह संस्था थी उस समय इसके इलेक्शन हुये थे । वे भी एडल्ट फ्रेन्चाइज सिस्टम पर नहीं थे बल्कि जो पुराने इलेक्टोरल थे उनके हिसाब से हुये थे । उसके बाद जितनी तब्दीलियां इसमें हुई हैं उतनी शायद किसी में भी नहीं हुई । इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक, फायदे के मुताबिक जैसा समझा जाता है वैसी ही तब्दीली कर ली जाती है । पहला बोर्ड १० साल रहा । जब इन पुराने चेयरमैनों से तबीयत उकताने लगी तो अन्तरिम जिला परिषद् का रूप दे कर पुराने चेयरमैनों को खत्म कर दिया गया और कलेक्टर साहब को जिला परिषद् का चेयरमैन बना दिया गया । उसके बाद उसमें फिर रद्दोबदल हुई और उन कलेक्टर साहब की जगह पर फिर जिला परिषद् के अध्यक्ष साहब का चुनाव हुआ इंडायरेक्ट तरीके से । उस चुनाव में कौन-कौन लोग थे ? हाकिम परगना हर जिले के और उसमें इतने आफिशियल्स थे जो किसी भी तरीके से जो आफिशियल कैंडिडेट थे उनके खिलाफ वोट देने की जुर्रत ही नहीं कर सकते थे । ऐसा मालूम होता है कि जिला परिषद् को हमारी सरकार या तो फूलों का हार समझ कर गले में पहने हुए है या कांटों का समझे होगी जिससे हर ६ महीने में अमेंडमेंट करने की जरूरत आ जाती है । सन् ६१ में इसी कांग्रेस सरकार ने यह ऐक्ट बनाया उसके अन्दर एक मौका दिया गया कि डायरेक्ट चुनाव से भी उसके प्रतिनिधि हर ब्लाक से आयेंगे लेकिन फिर एक दम जरूरत महसूस हो गयी कि उन्हें भी खत्म कर दिया जाय और कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट चुनाव से प्रतिनिधि किसी ब्लाक से आयें । सिवा इसके कोई वजह नहीं है कि जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की ही थी लेकिन डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की वह सरकार थी जो यह समझती थी कि जिला परिषद् के अन्दर डायरेक्ट इलेक्शन से भी जनता के नुमाइन्दे पहुंचने चाहिये लेकिन उसी कांग्रेस सरकार की मौजूदा सरकार जिसमें सिर्फ लीडरशिप चेंज हुई है वह यह समझती है कि अपनी गुटबन्दी को, वोटों को मजबूत रखने के लिये डायरेक्ट इलेक्शन को मद बिलकुल निकाल देना चाहिये और कहीं कोआपरटिव बैंक, कहीं कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये अपने कोआप्टेड मेम्बर्स या नामिनेटेड मेम्बर्स को रख कर अपनी ताकत जिला परिषद् में रखी जाय ।

यह कहा गया कि डायरेक्ट इलेक्शन से जनता पर बोझ पड़ेगा, अभी प्रधानों के इलेक्शन डायरेक्ट हुए, पार्लियामेंट के डायरेक्ट इलेक्शन हुए और उसके बाद फिर डायरेक्ट इलेक्शन हो जायगा तो जनता पर बड़ा बोझ पड़ जायगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर बोझ पड़ेगा तो यह बात मेरी

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

समझ में नहीं आती । जब सन् ६१ में इस बिल को स्वीकृति मिली गवर्नर की तो क्या उस वक्त यह चीजें सामने नहीं थीं कि ग्राम सभा के प्रधानों का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, असेम्बली और पार्लियामेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होगा जो अब यह चीज सामने आई है, इसलिये आपको ऐसा नहीं करना चाहिये क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से खर्चा बढ़ जायगा और ऐडमिनिस्ट्रेशन में परेशानी होगी । मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कोई वजह नहीं है कि वक्तन फवक्तन सन् ४८ से ६२ तक जिस तरीके से देखते हैं कि शक्ति हमारे हाथ में रहेगी उस तरीके से अमेंडमेंट कर लेते हैं और उसी तरीके से जिला परिषद् के मेम्बरों का दायरा वसीय कर दिया जाता है । यही हुआ कि कांग्रेस के जो जिला लेविल के वर्कर्स हैं, जो असेम्बली में नहीं आ पाते, उन्हें कहीं न कहीं रखना तो है ही, तो जिला परिषदों में ही कोआप्ट कर के रख लिये जाते हैं । नतीजा यह होता है कि हम लोग जो असेम्बली के मेम्बर जिला परिषद् के एक्सआफिशियो मेम्बर हैं उनको वक्त कम मिलता है वहां की बातों की तरफ ध्यान देने के लिये, लेकिन जो ये डिस्ट्रिक्ट लेविल पर महज इसीलिये कोआप्ट किये जाते हैं ताकि जिला परिषद् में अपनी गुटबन्दी को फायदा पहुंचा सकें वे ही लोग सारा काम चलाते हैं । बीसों मिसालें मिलेंगी कि जो नीलाम वगैरह होते हैं उनमें वही लोग जाते हैं, औरों को पता भी नहीं चलता ।

दूसरी चीज जो कही गयी कि ७०–७२ की तादाद है, हम नहीं चाहते कि बहुत लम्बी तादाद हो जाय, तो अभी पिछली दफा जो अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ तो इन्हीं की तादाद सौ तक थी क्योंकि एस० डी० ओ०, डी० एम० और यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट सेलर्स, सोल्जर्स ऐंड एयरमेंस बोर्ड के सेक्रेटरी तक को राइट था वोट देने का उसके मेम्बर होने की हैसियत से । तब कोई परेशानी नहीं थी । आज हमारा यह रोना है कि डायरेक्ट इलेक्शन हम इस वजह से हटा रहे हैं कि तादाद बड़ी लम्बी न हो जाय । एक तरफ हम यह कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन को तादाद न बढ़ने की वजह से हटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कोआप्टेड मेम्बर्स की बात भी इस बिल में रखी हुई है । अगर तादाद की बात है तो फिर क्या जरूरत है कोआपरेटिव बैंक के मेम्बर्स वगैरह को को कोआप्ट करने की ? कम से कम जो पिछला जिला परिषदों का चुनाव हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिये और वह यह कि कौन सा माननीय सदस्य ऐसा है जो यह न जानता हो कि जिस वक्त इलेक्शन होता है तो ६–६, ८–८ दिन पहले आदमी तय कर लिये जाते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है कि तुम्हें इस तरीके से वोट देना होगा । मेरे अपने ही ब्लाक में जब प्रमुख का इलेक्शन हुआ तो सात दिन पहले वहां आदमियों को गिरफ्तार करके बन्द कर दिया गया । यह इसलिये होता है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हर ब्लाक में तीन-तीन आदमी आ कर मैदान में खड़े हो जांय और कांग्रेस की काली करतूतों का परदाफाश करने लगें । उस चीज को छिपाने के लिये यह है कि डायरेक्ट इलेक्शन को हटा दो ताकि दूसरे कैन्डिडेट खड़े न हों ।

वक्त बहुत थोड़ा मिला है । जब क्लाज वाइज बहस होगी तो और बातें कहूंगा लेकिन इन दो लचर आब्जेक्ट्स और रीजन्स को सामने रख कर कि तादाद न बढ़ जाय या खर्च बढ़ जायगा यह कोई माकूल वजह डायरेक्ट इलेक्शन को हटाने की नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता––अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह ऐसा कदम सरकार उठा रही है और उस समय उठा रही है जब कि हम सब लोग एक स्वर से प्रजातंत्र और आजादी के लिये लड़ रहे हैं। प्रजातंत्र जिस प्रकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वैसे ही जनवाद भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । आप सत्तारूढ़ जनता के बल से ही हुए हैं । बालिग मताधिकार के द्वारा ही हमने अपनी शक्ति अपनाई है । जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम ऊपर पहुंचे हैं, उस सीढ़ी को ही ऊपर पहुंचकर हटा दें ताकि हम ऊपर ही बठें रहें तो हम तानाशाही पर पहुंच जाते हैं । जिस प्रकार एक मामूली आदमी काम करके धनवान बन जाता है और धन का शोषण करके पूंजीपति

बन जाता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जैसे माननीय जयप्रकाश नारायण जी चौथेपन में ब्रह्मचर्य का नारा देते हैं, जब कि इंद्रियां ही शिथिल हो जायं तब कोई चाहे दानवीर, व शान्तिवीर बने और यह कह दें कि हिन्दुस्तान की सेना को विघटित कर दिया जाय और शान्ति सेना बना कर देश को नपुंसक कर दिया जाय और फिर तीसमार खां बनकर कहने लगे कि चीन को हड़प लेंगे। आपके लिये यह ठीक नहीं है, आपके लिये यह शोभा की बात नहीं है। आज आप बड़े भयानक युग से गुजर रहे हैं और इस विधेयक को लाकर आप जनवाद का गला घोंट रहे हैं।

इधर के माननीय सदस्यों ने तजुर्बे की बात कही है। आप इसी ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में देख चुके हैं कि वह कितना खर्चीला हुआ है। ८–१० दिन तक मोटरों पर मोटरें दौड़ी हैं। प्रधानों को बन्द कर दिया गया और एक एक प्रधान को १००–२०० रुपये दिये गये हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी जैपुरिया के चुनाव के बारे में इसी आदरणीय सदन में माननीय उप नेता ठाकुर हुकुमसिंह जी ने कहा था कि जैपुरिया ने वोट खरीदकर प्रजातंत्र प्रणाली पर आघात किया है। जब आप यह कहते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हो चाहे वह क्षेत्र परिषद् के लिये या विधान परिषद् या राज्य सभा के लिये हो तो फिर किस प्रकार से देहात के लोगों के लिये आप चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली हो, किस तरह से गरीब आदमी जनता के द्वारा चुना जाकर आगे बढ़ सकता है। एक अनपापुलर, भ्रष्टाचारी, जनता को लूटने वाला आदमी रुपया इकट्ठा करके धन के बल पर या नाजायज असर डालकर अगर ब्लाक प्रमुख बन सकता है तो उसके आधार पर आप चाहते हैं कि वही आदमी जिला परिषद् का अध्यक्ष बने जो कि आपकी योजनाओं को खत्म करने वाला है। आजकल जब कि आपकी सारी योजना जिला परिषदों के द्वारा ही कार्यान्वित की जाती हैं फिर आप क्यों इस भ्रष्टाचार की एजेन्सी को पनपाने जा रहे हैं। आप का उद्देश्य कितना ही बढ़िया हो लेकिन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये मशीन भी शुद्ध होनी चाहिये। देश को खतरा पैदा करने वाली, तीन तीन तानाशाहियां है १ भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट नेताशाही और भ्रष्ट पूंजीशाही। इनके गठबन्धन से जनवाद का गला घुटता है और जनवाद के गला घुटने के बाद समाजवाद की चर्चा करना मिथ्या है। मैं दायें बांयें खतरे से बचकर चलने वाले जनवाद का हामी हूं। आप इस विधेयक को रद्दी में फेंक दें और सीधा चुनाव करके भ्रष्टाचार को न पनपायें क्योंकि आप योजनायें कायम रखना चाहते हैं चाहे लड़ाई चीन से हो, पाकिस्तान से हो, जब हमारे आदमी लड़ने जायंगे तो आपके कारखाने भी चलेंगे ही। देहातों में जब छोटी-छोटी योजनाएं चलेंगी, उनको चलाने वाला कौन होगा ?

याद रखिये कि ११ साल का तजुर्बा हमें क्या बताता है ? मेरे जिले में जिला परिषद् से पूछा गया कि १५–२० लाख रुपया स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पर जो दिया गया उसमें से कितनी इंडस्ट्रीज आज तक कायम हुईं, तो मालूम हुआ कि न कोई काम हुआ और न वह रुपया वापस किया गया। हर जिले में न मालूम लोग कितना रुपया खा गये। आप अच्छी योजनाएं बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उस एजेंसी को ठीक करिये। ऊपर ऊपर मत चलिए। इससे आपको भी नुकसान होगा। जब चवन्नी के मेम्बर बनने लगे तो ५० हजार रुपया देकर कौन हावी हो गया ? पुराने जेल यात्री आपके दल में आधे रह गये हैं ? वह उधर से आकर इधर बैठने लगे हैं। आज उनके दिल में तड़पन है, आजादी और प्रजातन्त्र के लिये। आज वह तिलमिला रहा है। जितना दे रहा है किसान दे रहा है और आप टैक्स भी किसान पर लगाने जा रहे हैं। किसान के हित के लिये जो योजनायें बनती हैं उनको ब्लाक और जिला परिषद् के जरिये लागू किया जाता है। जिला परिषदों को अगर हम शुद्ध आचरण का जनवादी नेता दें जो जनता से सीधे चुना गया हो तो वह जनता की सेवा करेगा और योजनाओं को ठीक से लागू करेगा। यह भ्रष्ट नौकरशाही

[श्री दीपनारायणसिंह]
जो अंग्रेजों के वक्त से आज तक लूटती आयी है जिला परिषद् में ऐसे अध्यक्षों को चाहती है जिनसे वह कह सके कि इतना तुम लूट लो और इतना हम लूट लें। इस तरह से भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट नेताशाही से गठबन्धन करना चाहती है। इस लिए जो जनता में काम करने वाले हों, चाहे वह गरीब हों, जनता को खुश करके, सीधे चुनाव से जीत कर आयें। चन्द मुट्ठी भर आदमियों को पैसे के बल पर या जात-बिरादरी के नाम पर वोट लेकर लोग न आ सकें। इसलिये मैं इनडाइरेक्ट चुनाव का घोर विरोधी हूं। आप उन व्यक्तियों के उदाहरण दे रहे हैं, जो राजनीति में मर गये हैं। मैं जयप्रकाश जी को मरा हुआ राजनीतिज्ञ मानता हूं। १९५२ में उन्होंने कहा कि वे पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी द्वारा अपोजीशन पैदा करते हैं। उसके बाद कहा कि इंडिया के लिये डेमोक्रेसी अनसूटेड है। वह शासन पर बैठे तो प्रजातन्त्र ठीक हो जाय दूसरा बैठा है जो प्रजातन्त्र ठीक नहीं हो सकता। यही न उनका मत है। इसलिये मेरे बुजुर्गो, आजादी के पुराने साथियों, आज सत्ता आपके हाथ में आयी है आप जनता की आवाज को सुनें, डाइरेक्टर चुनाव की प्रणाली डालें। यदि आप एक जगह हार गये, आप का कैण्डीडेट भ्रष्ट था, इसलिये हार गया, यह समझें। प्रजातंत्र हमें सिखाता है, हमें सोचने का मौका मिलता है कि हमारा कैन्डीडेट क्यों हारा? इसलिये डाइरेक्टर चुनाव शिक्षा देने वाला है। प्लानिंग की योजनाओं को सही तरीके से कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा साधन है। इसलिये मैं इस प्रकार के विधेयक का विरोध करता हूं, जिसमें कोआप्शन हो, इन्डाइरेक्ट रूप से लोगों को थोप सकें, संस्कृति और कल्चर के नाम पर थोप सकें। मैं इन शब्दों के साथ बैठता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से आज तक काफी बात इस संबंध में मैंने सुनी। माननीय पान्डेय जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है उनको काफी गंभीरता से, सुना और मेरे भाई कृष्णानन्द राय जी ने जो तर्क दिये वह भी कुछ बुनियादी तर्क थे। आज सवाल इस बात का है कि दो विचारधारायें इस विधेयक के संबंध में इस सदन में पेश हुई हैं। एक विचारधारा तो यह चाहती है कि इन्डाइरेक्ट एलेक्शन से, अप्रत्यक्ष चुनाव से जनवादी पद्धति को मजबूत बनाया जा सकता है क्योंकि चुनाव में लम्बा खर्चा होता है, बड़ी मुश्किल और मुसीबत में जान पड़ती है, वोटरों और सरकार के सामने भी बड़ी कठिनाई हो जाती है। माननीय पान्डेय जी का तात्पर्य तो इस विचारधारा से है। दूसरी तरफ जो विरोधी विचार-धारा का तारतम्य यहां पर प्रतिपादित हुआ उसमें यह कहा गया कि जनतंत्र में सीधा चुनाव होना चाहिये। जनतंत्र में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से जनतंत्र का गला घुटता है। यह दोनों विचारधारायें रखी गईं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सोचना यह है कि इस देश के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर जिस तरह से चार खम्भे की सरकार बनाने की बात कोई भी समाजवादी सर-कार करती है तो जिला परिषद् और क्षेत्रीय समितियों का जो खम्भा है वह एक तरफ से प्रारम्भिक खम्भे के बाद दूसरा खम्भा है या केन्द्रीय स्तर से उसे दूसरा खम्भा कहिए। तो जिला परिषद् और क्षेत्रीय समितियों के खम्भे का चुनाव अप्रत्यक्ष किस तरह से कराया जा सकता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी, आपको मालूम है माननीय पान्डेय जी, कि जब ब्रिटिश काल में कांग्रेस पार्टी अपोजीशन में थी तो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से इने गिने किसानों के वोटों से कितने कांग्रेसी यहां चुनकर आते थे? और आज देखिए, जयपुरिया जैसे बड़े-बड़े पूंजीपति अप्रत्यक्ष चुनाव से राज्य सभा के सदस्य हो गये। ऐसे बड़े-बड़े पूंजीपति जो जनता से सीधे एक हजार वोट भी नहीं ला सकते थे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से बड़ी से बड़ी सभा, राज्य सभा के मेम्बर हो गये। यह तो आपके सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रत्यक्ष प्रमाण है और जहां तक खर्च की बात है, मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं। मेरा क्षेत्र तीन ब्लाकों में बंटा हुआ है। इन तीन ब्लाकों के चुनाव में जितना रुपया लगा है वह मेरे विधान सभा के चुनाव के खर्चे से तिगुना, चार गुना और पांच गुना तक खर्च हुआ है और समय भी उतना ही लगा है। तो समय भी उतना ही लगा, रुपया भी उतना ही लगा। दूसरी तरफ वारदातें और फौजदारी बगैरह ज्यादा हुई। प्रधानों ने रुपया लिया। वोटरों की तरफ से ऐसी बहुत सी गलत कार्यवाहियां हुई। जहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां कोई इस तरह रुपया वगैरह लेने की बात नहीं हो सकती है क्योंकि वहां वोटर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो यह आप कहें कि समय बच जायगा, वह नहीं बचेगा, आप कहें कि खर्चा कम होगा, वह भी कम नहीं होगा। हां, एक बात होती है कि भ्रष्टचार की एक नयी परिपाटी का जन्म होता है इस अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से। तो यदि आप जनतंत्र के हामी हैं और जनतंत्र की पद्धति में विश्वास करते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव किसी भी जगह कराने की इच्छा न रखें।

जहां तक दूसरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जिला परिषद् और क्षेत्रीय समितियों में रखने या न रखने की बात है तो वह तो आपने कुछ सोच समझ कर रखा है क्योंकि अगर दूसरी संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो ठीक तालमेल नहीं बैठेगा और एक-दूसरे के विचारों को समझने का मौका नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक उनको कोआप्ट करने की बात है वह समझ में नहीं आती है। अगर उनको आपको लाना ही है तो उनकी अलग-अलग कांस्टीट्यूएंसी बना दीजिए। उसी आधार पर क्षेत्र बनाया जाय। जैसे, अगर महिलाओं को चुनना है तो उसके लिये अलग कांस्टीट्यूएंसी बना दीजिए जिसमें सब महिलायें ही महिलायें चुनाव लड़ें। जहां अछूतों का सवाल है वहां अछूतों की एक अलग कांस्टीटयूएंसी बना दीजिए जिसमें सारे ही अछूत चुनाव लड़ें। लेकिन चुनाव हर हालत में प्रत्यक्ष हो जिसके सही प्रकार का ढांचा तैयार हो सके। इसलिये कोआप्ट करने का अधिकार किसी भी अधिकारी या संस्था को मत दीजिए। जनता को ही यह अधिकार दीजिए जिससे जनता में सही शक्ति आ सके और अच्छे से अच्छे व्यक्ति चुन करके आ सकें।

इसके अलावा जैसे आपकी विधान सभा का अध्यक्ष होता है, उसे आप चुनते हैं, अगर उसकी कोई शिकायत होती है तो आपके पास कहने का मौका होता है कि उसे तो आप ही ने चुना है, आप उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। यदि क्षेत्र समिति या जिला परिषद् कोई गलत काम करेगी तो उसका सब से बड़ा दोष सरकार के ऊपर ही पड़ेगा। सरकार से ही उसकी शिकायत होगी। सरकार यह नहीं कह सकती है कि उसका दोष नहीं है क्योंकि सरकार ने ही उस प्रणाली को अपनाया है। जनता द्वारा उनको नहीं चुना गया है। उनको कुछ लोगों के द्वारा चुना गया है। इसलिये माननीय मंत्री जी आप कृपा करके प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को ही स्वीकार कर लीजिये। उसमें ज्यादा समय खराब नहीं हो सकता है और न रुपया खराब हो सकता है और शासकीय खर्चा भी भी अधिक नहीं हो सकता है। इससे सबसे बड़ा काम यह होगा कि जनतन्त्र में लोगों की निष्ठा बढ़ेगी। जब जिला परिषद् और क्षेत्र परिषद् काम करेंगी तो लोगों को अपने अधिकार जानने का अवसर प्राप्त होगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात पर ध्यान दें। सरकार का तो यह मकसद ही है कि जनतन्त्र बढ़े और फले। यह मैं जानता हूं कि जनतन्त्र के अन्दर बहुत सी परीक्षायें होती हैं, उनका इम्तहान लिया जाता है लेकिन जब आप सन् १९४८ से आज तक इसको देखते आ रहे हैं और हम इसमें अनुभव करते जा रहे हैं तो आगे के लिये इसको स्वीकार करन चाहिये। माननीय पान्डेय जी को मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर वह विरोधी दल में मेरी जगह पर होते तो किसी भी हालत में अपोजिशन की तरफ जिला परिषद् में

[श्री राधेश्याम शर्मा]

नहीं आ सकते हैं। मैं असेम्बली का चुनाव प्रत्यक्ष होने के कारण एक बड़े भारी मंत्री को हराकर यहां आ गया हूं लेकिन यदि उसका भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता तो मैं किसी भी कीमत पर और कितना भी खर्च करके नहीं आ सकता था। अप्रत्यक्ष चुनाव में अपोजिशन का प्रधान किसी भी हालत में नहीं आ सकता है क्योंकि उसका चुनाव तो वही लोग करेंगे जो सरकार की तरफ से रखे जायंगे। यह बड़ा अवगुण है। सरकार इसको समझे और इस अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को यहां पर लागू न करे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जनता के सही प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं। इससे सही जन प्रतिनिधित्व के आने में बाधा पड़ सकती है। वह गरीब आदमी, जो दिन रात अपनी भूख और रोटी की समस्या को हल करने में लगा रहता है, वह छोटे-छोटे आदमी, जो दिन रात समाज सेवा करते रहते हैं, वह चुनकर नहीं आ सकते हैं। यह हम जानते हैं कि सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी और जो उसने निर्णय एक बार ले लिया है उसको ही वह मान कर चलेगी लेकिन हम सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं। यह राजनीति में बड़ा दोष हो जाता है कि एक बार तय होने पर उसको माना नहीं जाता।

जहां तक जयप्रकाश नारायण जी के बिचारों का प्रश्न है वह समाजवादी पार्टी के थे। हम उनके आह्वान पर आये। लेकिन उनके विचार ऐसे हैं जो कि बदलते रहते हैं। वह तो असेम्बली और लोक सभा के चुनाव के बारे में कभी इस तरह से कहते थे। उनका तो यह बिचार है कि कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सब एक राजनैतिक पार्टी में गठित हो जायं। उनका तो यह विचार है कि कांग्रेस पार्टी को भंग किया जाय और उसकी आवश्यकता नहीं है। इसको भी आप मानें। इसलिये उनके बिचारों को यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है। जनतन्त्र के लिये आचार्य कृपालानी की बात को भी सुनने की कृपा कीजिये और हमारे श्री जयप्रकाश जी ने भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के विषय में कहा है। वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को नहीं सपोर्ट करते हैं। मेरा भी यह विचार है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को नहीं सपोर्ट करते हैं। मेरा भी यह विचार है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को यदि स्वीकार किया जाय तो इससे जनतंत्र मजबूत होगा और फूले फलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि पान्डेय जी इस पर विचार करें और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को रखें। विभागों का तारतम्य आपस में बना रहे इसमें मुझे एतराज नहीं है। जहां तक महिलाओं को और हरिजनों को चुनने की बात है उसके लिये मुझे कोई एतराज नहीं है। उनको आप इस तरह से ले सकते हैं। यदि इस तरह से क्षेत्र समिति का गठन किया जायगा तो उससे जनता का कल्याण होगा और वह जनता के कल्याण का काम सोचकर करेगी। इससे जनतन्त्र बढ़ेगा, फैलेगा और लोगों की इसके अन्दर आस्था बढ़ेगी। वरना यह बात कहने के लिये हो जायगी कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और जिला परिषद् में और क्षेत्र समिति में वह अपना बहुमत चाहती है। असेम्बली और पार्लियामेन्ट्स में उसका बहुमत होने की वजह से वह इनमें भी अपना बहुमत करना चाहती है। इसलिये अप्रत्यक्ष चुनाव कराने पर यह बहुत बड़ा दोष आयेगा और हम जानते हैं कि सरकार के सामने भी कठिनाई आयेगी और हमारे सामने तो कठिनाई है ही। अन्त में मैं यह आशा करूंगा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के सही रास्ते को सरकार मानेगी और मेरी बातों पर विचार करेगी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा कि सरकारी बेंचेज की तरफ एक भी माननीय सदस्य नहीं खड़े हो रहे हैं और बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता— उनको भी समय दिया जा रहा है। आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री कल्पनार्थसिंह---ट्रेजरी बेंचज की हालत आप देख लें। श्रीमन्, कितने सदस्य यहां मौजूद हैं।

श्री अधिष्ठाता---कल्पनार्थसिंह जी, आप बैठें। अगर कोई नहीं है तो उसके लिये मैं क्या करूं। रामसिंह जी को बोलने दीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह---यह तो सरकारी पक्ष की ड्यूटी है कि लोग यहां बैठें।

†**श्री रामसिंह** (जिला सहारनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी तक इस विधेयक पर केवल इस बात पर ही बहस सीमित रही है कि एलेक्शन इन्डाइरेक्ट न होकर डाइरेक्ट होना चाहिये। इस संबंध में मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव रख दिये जायं तो उससे कितनी परेशानी और दिक्कतें जनता को बढ़ जायंगी और उसे में संक्षेप में कहना चाहूंगा। आम चुनाव में किस प्रकार लोग कनवेंसिंग करते हैं, कितनी दौड़ धूप होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से जनतंत्र की भावनाओं को ठेस लगती है, डेमोक्रेसी के उसूलों का उल्लंघन होता है। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा डाइरेक्ट ढंग से चुने हुए लोग जिला परिषदों में शामिल हो सकते हैं। हम विधायक लोग जनता की आवाज का ही प्रतिनिधित्व वहां करेंगे। अगर डाइरेक्ट एलेक्शन से लोगों को वहां लाया जाता है तो ब्लाक आदि से ही लोग चुनकर वहां पहुंचेंगे अथवा उनके द्वारा कोआप्टेड होंगे। तो हम लोगों द्वारा भी डाइरेक्ट प्रतिनिधित्व जनता का वहां हो जाता है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के रिजर्वेशन के बारे में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। ब्लाक समितियों में आपने उनकी संख्या निर्धारित की है। अन्तरिम जिला परिषद् के लिये भी आपने उनकी संख्या निर्धारित की है। और अगर वे कम से कम इस संख्या में न आ पायें तो इस संख्या तक उनको कोआप्ट कर लिया जायगा। जिलों में इसके पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम थे और उसके ऐक्ट में शेडयूल्ड कास्ट के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। उसके तहत में एक मिसाल अपने जिलों की देना चाहता हूं। हमारे यहां जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ५० मेम्बर होते थे जिसमें १४ हरिजन होते थे। आज परिषद के सदस्यों की संख्या आपने ७५ से ८० तक रखी है, लेकिन पता नहीं किस कारण-वश आपने उसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या केवल १० ही निर्धारित की है। ब्लाक समिति में आपने रखा है कि अगर ८ अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं होंगे तो उनको कोआप्शन के द्वारा पूरा किया जायगा। इससे स्पष्ट जाहिर है कि आप जहां हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं उनकी संख्या को सीमित करते हुए, यह तरीका उचित नहीं है। आप उनकी जायज मांग को उनको नहीं दे रहे हैं। आपने सर्विसेज में उनके लिये रिजर्वेशन रखा है, लोक सभा और विधान सभाओं में आपने उनके लिये रिजर्वेशन रखा है, और रिजर्वेशन के आधार पर उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही है। श्रीमन्, मान लीजिये एक जिला १५ लाख की आबादी का है और उसमें ५-६ लाख हरिजन है तो मैं यह कहूंगा कि क्या वजह है कि हरिजन नुमाइन्दा उसमें नहीं रखा जाता है। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि बहुत से आदमी जनता में ऐसे गरीब हैं कि जिनके बस की यह बात नहीं है कि वह पैसा लगाकर चुनाव लड़ सकें। आप उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लीजिये कि उसमें कितने हरिजन प्रमुख हैं तो आपको मालूम हो जायगा कि कितने हरिजन प्रमुख हैं और कितने चुनकर आये हैं। मैं यह कहूंगा कि बहुत से जिले तो ऐसे भी हैं, मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वहां कोई

---

†वक्ता ने भाषण का पुर्वालोकन नहीं किया।

[श्री रामसिंह]

प्रमुख चुना भी गया है या नहीं। लेकिन मैं अपने जिले की बात आपके सामने कह देना चाहता हूं कि केवल एक प्रमुख पता नहीं किस तरह से वहां चुनकर आ गया। पूरे १६ लाख की आबादी में से एक प्रमुख बन पाया है। तो मैं यही कहूंगा कि ब्लाक्स के इन इलेक्शन्स में या परिषदों के चुनाव में किसी भी गरीब आदमी के लिये यह गुंजाइश नहीं रह जाती है कि वह चुनाव लड़ कर आये और उसका सदस्य बन पाये। उनकी जनसंख्या को देखते हुए उनके कल्याण की बात जब आप कहते हैं तो आपको मेरी बात पर विचार करना होगा और उसे मानना होगा। आप देखें कि कमेटी में मेम्बर्स को कोआप्ट कर लिया जाता है और इन कोआप्ट मेम्बर्स की क्या वैल्यू होती है यह तो आप सभी जानते हैं। वह किसी भी आदमी को जो शक्तिशाली ग्रुप का होता है और जो प्रभावशाली नहीं होता है, जो इस प्रकार का आदमी न हो कि जो धड़ल्ले के साथ और बड़े जोरों से अपनी बात कह सके और उस कमेटी के सामने रख सके उसको कोआप्ट कर लिया जाता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि आपने जो निर्धारित किया है उस पर फिर गौर करने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि जन-संख्या के आधार पर उन लोगों को पूरा रिप्रेजेन्टेशन और पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

इस संबंध में आपके द्वारा मैं इस माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि उनको सही अर्थों में अपनी जनसंख्या का पूरा प्रतिनिधित्व मिल सके, ऐसी व्यवस्था करें। आपने यह व्यवस्था की है कि एक ब्लाक का नुमाइन्दा एक प्रमुख और २ उप प्रमुख होंगे। तो उसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रमुख या उप-प्रमुख चुने जाने के पश्चात् यदि वह ग्राम सभा का प्रधान है तो अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। यह शर्त केवल प्रमुख के लिये नहीं रहनी चाहिये क्योंकि वह तो प्रधान होने के नाते उस क्षेत्र समिति में चुनाव लड़ा था। इसलिये यह शर्त हटा देना चाहिए।

अब मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उसमें यह भी शर्त नहीं होनी चाहिये कि जो विधान सभा या विधान परिषद्, लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य चुने जाने के नाते परिषद् के एक्स-आफिश्यों मेम्बर होते हैं वह उसमें नहीं होने चाहिये। केवल वह शामिल कर लेते हैं, १० में से ३–४ शामिल हो जाते हैं बाकी ६–७ आप कर लेते हैं। इसलिये उन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहिये बजाय बढ़ाने के या नहीं। म आशा करता हूं कि सरकार उनके ऊपर अवश्य गौर करेगी और मानने की कृपा करेगी।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया परन्तु मैं और अधिक आभारी होता यदि आप माननीय मिश्र जी के बाद बोलने देते। पहले उनको बोलने दिये होते तो मैं उनके भाषण से लाभ उठाने की कोशिश करता। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनका भाषण नहीं सुन सका।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। यह बिधेयक जो इस सदन में प्रस्तुत है वह बिल्कुल अनकान्सीटीट्यूशनल है और अल्ट्रावायरस है और इस पर बहस नहीं हो सकती.....

श्री अधिष्ठाता—कल जब यह विधेयक पेश हुआ था उसी वक्त आप अपनी आपत्ति उठा सकते थे। अब यह पेश हो चुका है और उस पर बहस जारी है। इसलिये कोई आपत्ति अब पेश होने के बारे में नहीं उठाई जा सकती है। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री कमलासिंह यादव—इसमें एक क्लाज ऐसा है जिसकी वजह से यह अनकान्सटी-ट्यूशनल हो जाता है, आप मेरी बात सुन लें।

हैं।

श्री अधिष्ठाता—जब उस क्लाज पर बहस हो तो आप अपनी आपत्ति उठा सकते मैंने अपना निर्णय दे दिया है, आप अब कृपया बैठिये।

श्री कमलासिंह यादव—वह क्या है, किस तरह से है, सुन तो लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—मैंने सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दी है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—वैधानिक आपत्ति किसी भी समय उठाई जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने निर्णय दे दिया है, आप कृपया बैठें।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो विधेयक पेश है, इसके ऊपर कई माननीय सदस्यों को सुनने का अवसर मुझे मिला। कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे देश के महान् नेता और विचारक श्री जयप्रकाश नारायण जी का भी संकेत किया। मुझे खेद है कि उन्होंने उनको समझने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें तो उनको निकट से समझने की कोशिश करनी चाहिये थी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां प्रयत्क्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के ऊपर ही हमारी चर्चा हो रही है। मैं जहां तक समझता हूं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी इस अप्रत्यक्ष चुनाव की विरोधी है और उसके कुछ कारण भी हैं। जो चित्र जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का हमारे सामने आ रहा है उससे कुछ मन में शंका उत्पन्न होती है। मैं निजी तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव का विरोधी हूं। जो लोग श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी या श्रद्धेय बलवन्तराय मेहता जी का उदाहरण देते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने उनकी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश की है? क्या यही चित्र है जो चित्र क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का इस अधिनियम और संशोधन विधेयक में प्रस्तुत किया गया है? क्या इसी चित्र की कल्पना हमारे आदरणीय मेहता जी और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने की है? मैं दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उस सुन्दर चित्र को नष्ट किया गया है और उस चित्र के नाक-कान काटने की कोशिश यहां की गयी है। कांग्रेस दल में भी हमारे माननीय नेता मेहता जी का एक प्रमुख स्थान है। जहां उन्होंने यह कहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिये वहां यह भी कहा है कि राजनीति और राजनीतिक दलों को क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों से कोसों दूर रखना चाहिये। आज हमारे देश में प्रजातन्त्र है। माननीय नेताओं के स्पष्ट कहने के बावजूद भी जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों की राजनीति में रुचि लेने से हमने अपने को विरत नहीं किया। यह बात भी कही गयी है कि एम० एल० एज और एम० पीज सहयोगी सदस्य रहें और उनको इन संस्थाओं में कोई पद न दिया जाय। जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी यहां के मुख्य मन्त्री थे तो सरकार की तरफ से इस पर दृढ़ निश्चय लिया गया था कि इन संस्थाओं से विधायकों और संसद सदस्यों को अलग कर दिया जाय। लेकिन सरकारी पक्ष से इतना दबाव पड़ा कि सरकार को अपने उस निश्चय से हटना पड़ा। माननीय सभा सचिव जी मौजूद हैं, जो शायद मन्त्राणी जी के रूप में कार्य कर रही हैं, मैं उनसे विशेष करके कहना चाहता हूं कि जो चित्र आदरणीय जयप्रकाश जी व आदरणीय मेहता जी ने दिया है, उस चित्र को अगर नेकनीयती के साथ सही रूप में यहां रखा जाता तो शायद विरोधी पक्ष के साथियों को विरोध करने का अवसर न मिलता। मैं तो यह कहता हूं कि जो चित्र आपने बिगाड़ा है उसे सुधारने की कोशिश कीजिये। लेकिन वह सुधरेगा तभी जब इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायेगा। प्रवर समिति में ही सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य आपस में विचार विमर्श करके कोई सही सुझाव दे सकेंगे। उस सुझाव से आपको भी प्रकाश मिलेगा। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

[श्री मैनेजरसिंह]

एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान और ले जाना चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष चुनाव से समय, श्रम और धन का अपव्यय बहुत होगा। इस तर्क को मैं कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से श्रम और धन की किफायतशारी के लिये तत्पर नहीं है। ऐसे गाढ़े समय में भी वह श्रम और धन का सदुपयोग नहीं करना चाहती है। जो कुछ भी काम वह करना चाहती है उसको एक राजनीतिक रूप देना चाहती है यही कारण है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी जो करनी है उसी पर विरोध आधारित है। यह कोई निर्मूल नहीं है। श्रम और धन की बचत के लिये आप अप्रत्यक्ष चुनाव को समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको भय है कि आपके दल को प्रत्यक्ष चुनाव में ज्यादा स्थान नहीं मिल सकेगा, इसलिये आप उसे हटा रहे हैं। इसमें आपकी कोई नकनीयती नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर)। श्रीमन्, मुझे अध्यक्ष महोदय ने २० मिनट का समय दिया था।

श्री अधिष्ठाता---अध्यक्ष महोदय ने कहा होगा लेकिन इस समय मैं इस कुर्सी पर हूं मैं आप को अधिक समय नहीं दे सकता। मेरा इस समय आदेश है कि आप २ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मैनेजरसिंह---मैं यह कह रहा था कि इस संशोधन विधेयक में कोई खास बात नहीं है। इसमें एक बात की तरफ और इशारा किया गया है कि यदि प्रत्यक्ष चुनाव से लोग आयेंगे तो वह जिला परिषदों के अधिकारों को ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे.....

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, आप इस समय उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर कि माननीय अध्यक्ष बैठते हैं और आप यहां इस समय उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने अभी बताया कि उन्हें माननीय अध्यक्ष ने २० मिनट का समय दिया है। क्या आप यह कह सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय ने दिया लेकिन मैं नहीं दे सकता जबकि आप उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं?

श्री अधिष्ठाता---यह सही है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा था उन्होंने यह कहा, था कि अगर आप अच्छा भाषण करेंगे तो दिया जा सकता है। जहां तक माननीय अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व की बात है मेरा दिमाग और माननीय अध्यक्ष का दिमाग एक तरह से काम नहीं कर सकता और जब-तक मैं यहां इस आसन पर बठा हूं मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार इस सदन को संचालित करने में स्वतन्त्र हूं।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, ५ मिनट का समय तो इसी में हमारा निकल गया।

श्री अधिष्ठाता---आप १ मिनट और बोल लें।

श्री मैनेजरसिंह---मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां इस बात की ओर संकेत है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से जिला परिषदों में कुछ अच्छाई रहेगी और लोग अधिकार नीचे को खींचेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ जिलों में ७ विकास खंड हैं। वहां ७ प्रमुख होंगे और २० उसके प्रतिनिधि होंगे यों कुल २७ होंगे। दस, परिगणित, पांच महिला और तीन नामिनेशन अन्य को लेकर २७ से अधिक अगर लोग आ जायंगे तो कैसे खिचाव नीचे की तरफ होगा? यदि खिचाव नीचे की ओर नहीं होता तो उद्देश्य और कारण से विपरीत काम होगा। इसलिये मैं चाहता हूं उद्देश्य को मानते हुए कि इस को प्रवर समिति में भेजा जाय और इस पर वहां विचार हो।

एक शब्द और कहूंगा वह यह कि इस में आप सहकारिता अधिकारी आदि की सेवा भी जिला परिषदों में दे रहे हैं। इस की जो पूरी भाषा है वह बिलकुल ही अधिनायकवादी भाषा

है, यह जनतन्त्र प्रणाली की विरोधी भाषा है, इस से जनतन्त्र की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यदि यह प्रवर समिति में चला जायगा तो इस की भाषा का भी सुधार हो जायगा और इसमें जनतन्त्र की भावनाओं की झलक भी आ जायगी। इस तरह से जो जिम्मेदारी आप इन परिषदों को सौंप रहे हैं उसमें मैं चाहता हूं कि समन्वय आये और उन अधिकारियों के ऊपर अगर जिला परिषद् के अध्यक्ष का कोई नियन्त्रण न होगा तो विकेन्द्रीयकरण के कार्य में रुकावट पैदा होगी।

(श्री रक्षपालसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—श्रीमन्, इधर भी तवज्जह दें उधर से ही बराबर लोग बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने श्री रक्षपाल सिंह को बुलाया है, वह बोलेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत है वह एक शरारतपूर्ण विधेयक है। इसके केवल दो उद्देश्य हैं। पहला प्रजातन्त्र की किस तरह से हत्या हो और दूसरे स्तर पर किस प्रकार से कांग्रेस का अवैधानिक प्रभुत्व कायम रखा जाय। जनसंघ के प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। किस प्रकार से सरकार ने पिछले दिनों में काम किया है वह इससे स्पष्ट हो जाता है। अभी जिला परिषद् का विधेयक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, यह मैं इसलिये कहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् वाले सदस्य वहां काम कर रहे हैं और जो सरकार को बीच-बीच में आदेश देने पड़ते हैं कि कैसे-कैसे लोग बने रहें, इसके पीछे यह उद्देश्य निहित दिखाई देता है। जिला बोर्ड के चुनाव स्थगित किये गये फिर कुछ दिनों बाद जब जनता की मांग हुई तो सरकार ने जिलाधीश को अधिकार दे दिया। उसके बाद यह देखा गया कि अगर चुनाव कराया जाय तो कांग्रेस का बहुमत होगा कि नहीं तो अध्यक्ष का चुनाव करा दिया। फिर इसके बाद क्षेत्रीय परिषद् के चुनाव आये उसके अन्तर्गत सरकार को जो प्रत्यक्ष चुनाव से एक डर पैदा हो गया था इस कारण से उनका अप्रत्यक्ष चुनाव का श्रीगणेश किया। ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हुए उसमें भी सरकार को विचित्र अनुभव हुआ क्योंकि इनमें वही लोग आते हैं जिनका आतंक होता है, जो शरारत पूर्ण होते हैं या १००, ५० रुपये दे कर प्रधानों के वोट ले लेते हैं। तो इन्होंने यह भी देखा जो अप्रत्यक्ष चुनाव है उसके द्वारा भी हमारे प्रतिनिधि नहीं आ पायेंगे। इसलिये सरकार के द्वारा जो नियुक्त करने की बात की गई वह इसलिये कि तीन प्रतिनिधि सरकार द्वारा मनोनीत कर दिये जायं। इसके अलावा और प्रतिनिधि रख दियेजायं तो सरकार ने राज्य की ओर से नियुक्त करने की बात की वह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए की है।

उद्देश्य में जो कहा गया है, मैं समझता हूं गलत है, "गांव सभाओं, राज्य विधान मंडल तथा संसद के निर्वाचनों की सूची में जोड़े जाने पर ऐसे प्रत्यक्ष निर्वाचनों का अर्थ ग्रामीण जनता के लिये एक चौथा सामान्य निर्वाचन होगा।" मुझे पता नहीं कैसे हिसाब लगाया। एक गांव सभा और दूसरे विधान सभा के चुनाव होते हैं। फिर पता नहीं कैसे तीन जोड़ लिये। इन्हीं दो चुनावों के अन्दर आप सब चुनाव करा सकते हैं। जब गांव सभाओं का चुनाव करें तो जिला परिषद् के भी उसी समय करा दें और असेम्बली और संसद के दूसरे चुनाव हो जायं। इसमें कहा गया जो सदस्य होंगे उनकी संख्या अधिक हो जायगी इसलिये उसे कम करने के लिये बड़ा सीधा सा सुझाव है। आपके जो प्रतिनिधि हैं ब्लाक प्रमुख, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। वही सदस्यों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी दो सदस्य और चुने जायंगे जिनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जायंगे उनको हटा देंगे तो सदस्यों की संख्या उतनी की उतनी रह जायगी इसलिये कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इन चुनावों का सम्बन्ध है अप्रत्यक्ष चुनावों में जैसा उल्लेख किया, दो प्रकार के लोग पहुंच पाते हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके द्वारा ७, ८ दिन पहले से गांव सभा

[श्री रक्षपालसिंह]

के प्रधानों को घरों में बन्द कर दिया गया। उदाहरण के लिये ५१ आदमियों को एक जगह तीन दिन तक बन्द रखा गया और जब वोट पड़े तो ४१ वोट पड़े। इससे यह बात साबित होती है कि यह कहना कि लोग स्वेच्छा से वहां रहे, गलत है। दूसरी जगह कुछ लोग पैसा दे कर वोट खरीद लेते हैं तो चुनाव में सही प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसलिये इस अप्रत्यक्ष चुनाव का मैं विरोध करता हूं।

यह भी कहा गया कि विधान सभा और लोक सभा के सदस्य वहां पर हैं। इसके बारे में मैं बतला दूं कि अध्यक्ष जो चुने गये हैं वे मीटिंग उसी समय बुलाते हैं जब विधान सभा यहां होती है तो उन दिनों हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व वहां हो सकेगा यह गलत है।

यह भी कहा गया है कि नीचे की इकाइयों में चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं है। यानी जब लोग डायरेक्ट चुने जायेंगे तो नीचे से कोआर्डिनेशन नहीं रहेगा। लेकिन सरकार ने स्वयं यह संशोधन किया है "धारा १८, उपधारा १ के खंड ६ के अधीन खंड से निर्वाचित जिला परिषद् के समस्त सदस्य क्षेत्र समिति के सदस्य भी रहेंगे।" तो यह कहना गलत है कि कोई कोआर्डिनेशन उनका बीच में नहीं रहेगा।

आगे देखें तो यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। अन्तिम निर्णय वाली यह बात धारा २९ के अन्तर्गत रखी गयी है 'किसी विधि न्यायालय को कोई भी अधिकार नहीं होगा' यह अन्तिम निर्णय वाली बात प्रजातन्त्र के विरुद्ध है।

कोआप्शन वाला नियम जो रखा गया है वह भी बुरा है और पद्धति जो है वह तो बहुत ही खराब है। देखने में यह आया कि एक चुनाव में ५२ लोग एक तरफ और ४८ एक तरफ थे तो ५२ वालों के प्रतिनिधि तो कोआप्ट कर लिये गये और ४८ वालों के प्रतिनिधि एक भी कोआप्ट नहीं किये गये। अगर इसमें सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट की पद्धति को अपनाया जाय तो सच्चा प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बिल जो प्रस्तुत है इसके सम्बन्ध में माननीय कल्पनार्थसिंह का जो प्रस्ताव है प्रवर समिति में भेजने का इसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने जो दलीलें दीं, इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये मैंने बड़े गौर से सुना और जहां तक मैं समझ पाया हूं उनमें एक भी दलील इस प्रकार की नहीं थी जिससे मैं यह समझ पाता कि इसको वास्तव में प्रवर समिति में भेजना उचित होगा। मेरे विचार से प्रवर समिति के पास भेजने के लिये किसी भी बिल के सम्बन्ध में जो खास-खास त्रुटियां हों, परिवर्तन करने की आवश्यकता हो उनका उद्धरण देना चाहिये। लेकिन ४५ मिनट का जो उनका लम्बा भाषण हुआ उससे ऐसा प्रतीत होता था कि कोई तथ्य की बात न हो करके जनरल डिस्कशन हो रहा था कि पूरे बिल में यही खराबी भरी है। विशेष रूप से जो जोर दिया उन्होंने वह यह कि प्रत्यक्ष चुनाव न कराने से बड़ा अन्धेर हो जायगा और जनता का प्रतिनिधित्व ही नहीं रहने पायेगा। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा अधिनियम के अनुसार जो हमारी जिला परिषदों का गठन हुआ है और थोड़ा सा और उनके अन्दर जो अनुमेलन होगा उसमें कोई भी ऐसी चीज समझ में नहीं आती कि जनता के प्रतिनिधि उसके अन्दर न हों। अनुमेलन के बारे में जो कहा गया, तो कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और कोआपरेटिव फेडरेशन के डायरेक्टर के बारे में और क्षेत्र समितियों से एक सदस्य रखने के बारे में जो तय किया गया है, ये जितने भी व्यक्ति हैं, मैं आदरपूर्वक माननीय कल्पनार्थसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो जनता का प्रतिनिधित्व न करता हो। कोआपरेटिव की स्कीम ऐसी है जो व्यापक रूप से हमारे यहां प्रचलित है। हमारे सूबे में अधिकांश तादाद में कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके सदस्य चुन कर आते हैं और उन्हीं का चुना हुआ डायरेक्टर होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है.....

श्री अधिष्ठाता—अभी आप और बोलेंगे ?

श्री बसन्तलाल शर्मा—जी हां।

श्री अधिष्ठाता—तो आपका भाषण जारी रहेगा। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९६२

वित उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन से उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९६२, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापति करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापति करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११६–१४३ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय कल्पनाथसिंह जी ने इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये दलील देते हुये यह कहा कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन निकाल दिया गया है और जो तिकड़म की गई है उससे अन्धेर हो जायगा और सरकार अपने पक्ष में अधिक अधिकार बढ़ा रही है। मैं यह कह रहा था कि जिला परिषदों का जो संगठन होगा, उसमें जो सदस्य बनेंगे, उनमें क्षेत्र समितियों के प्रमुख रहेंगे, एम० एल० एज और एम० पीज रहेंगे, कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर और कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी रूप में चुनी हुई संस्था के प्रतिनिधि होंगे। जहां तक नामजदगी का सवाल है तो केवल तीन व्यक्ति ऐसी संस्थाओं से लिये जायेंगे जो सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक संस्थायें हों। आज हम विकास के युग में चल रहे हैं और हमारा प्रजातन्त्र का ढांचा है तो सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थायें ऐसी हैं जिनका कोई यूनियन नहीं होता और जो व्यक्ति उनमें प्रमुख स्थान रखते हैं वे वस्तुतः चुनाव के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि उनमें का कोई सदस्य होता है तो उससे हमें बड़ा भारी लाभ पहुंचता है। इसलिये जहां तक जिला परिषदों का सवाल है, प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में मेरा ऐसा विचार है कि अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाता है जो जन प्रतिनिधि न हो, क्योंकि प्रमुख चुने हुये आयेंगे और एक आध सदस्य आयेंगे वह भी उनमें से आयेंगे जो ग्राम सभा आदि के प्रधान होंगे।

इसके अलावा एम० एल० एज और एम० पीज एक हस्ती हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो सामान्य निर्वाचन में प्रतिनिधि होते हैं। झारखंडेराय जी की बात दूसरी

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

है। उनका यह कहना है कि एम० एल० एज वहां पर हावी हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि उनको विधान सभा आदि का अनुभव होता है और जितने हमारे प्लान्स चलते हैं वे जिला परिषदों द्वारा ही चलते हैं, ऐसी स्थिति में उल्टे उनसे लाभ पहुंचता है। मैं समझता था कि कल्पनार्थासिंह जी सरकार को धन्यवाद देंगे जब कि हमारे यहां जिला बोर्डों में एम० एल० एज और एम० पीज भी वोटर होंगे। राजस्थान आदि में तो चुने हुये व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन हमारे यहां अधिकार दिया गया है कि जनता के अधिक से अधिक चुने हुये व्यक्ति होंगे। जहां तक हरिजनों और महिलाओं की समस्या है, यह खुली हुई बात है कि इस के अन्दर सरकार ने अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयत्न नहीं किया है। उसमें संख्या निर्धारित की गयी है कि अगर महिलाओं की ५ और हरिजनों की ८ से संख्या कम आती है तो कोआप्शन के जरिये से उतने पूरे कर लिये जायेंगे। अगर उनकी संख्या पूरी है तो कोई प्रश्न कोआप्शन का नहीं उठता। मैं कल्पनार्थासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी में कितनी महिला सदस्यायें चुना कर लाये हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में हम महिलाओं के सम्बन्ध में बहुत पीछे हैं। इसलिये हमें कोआप्शन द्वारा उनको लाने का प्रयत्न करना पड़ता है।

जहां तक सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रश्न है बिलकुल गलत लांछन लगाया जाता है। सत्ता का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जायगा। कल्पनार्थासिंह जी ने कहा कि रेवेन्यू विभाग, पुलिस और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को उनके अधीन नहीं किया गया। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं नहीं कहता लेकिन इर्रीगेशन का बिलकुल स्पष्ट है वह उसके अधीन है। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है उन्हीं के कथनानुसार प्रमुख बी० डी० ओज के मोहताज रहते हैं, प्रमुख अध्यापकों का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। अगर तबादला करना ही सत्ता का अधिकार है तो यह तिकड़मबाजी से वंचित नहीं रहेगा। जो थानेदार सदस्यों के कथनानुसार काम नहीं करेंगे उनको सदस्यगण बराबर बदलवाने की जिला परिषदों के अध्यक्षों से कोशिश करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में इस समय जब कि आगे विकास की आवश्यकता है, मैं पुलिस को उसके अधीन किया जाना अभी उपयुक्त नहीं समझता। सत्ता का विकेन्द्रीकरण अगर देखा जाय तो आप देखेंगे, पृष्ठ ८ में यह है कि हर विभाग के अधिकारी जिला परिषद् के अधीन, क्षेत्र का कार्य करते हुये अपनी सेवाओं से पूरा लाभ पहुंचायेंगे। ऐसी अवस्था में जो बिल है वह बहुत उपयुक्त है। इस वक्त जब कि परिषदें त्रिकोण दृष्टि से नियन्त्रण में फंसी हुई हैं, पुराना ऐक्ट भी लागू है, अन्तरिम जिला परिषद ऐक्ट भी कायम है और वर्तमान ऐक्ट जो बन चुका है उसका भी उस पर नियन्त्रण है, ऐसी स्थिति में प्रवर समिति में भेज कर बेकार विलम्ब करना ठीक नहीं है। इसको शीघ्र से शीघ्र स्वीकार किया जाना चाहिये। उसके बाद इसको संगठित अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप लिस्ट देख लें उधर के लोगों को इस तरफ के लोगों से दूना बोलने का मौका मिला है। आप इधर के लोगों को भी बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—विरोधी दल को ज्यादा मौका मिलना भी चाहिये।

श्रीराम (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल आज एक प्रणाली का है, सिद्धान्त का है। मैंने विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के सदस्यों के भाषणों को सुना और आज जब हमारे इस सदन के अन्दर जिला परिषद् संशोधन विधेयक प्रस्तुत है तो एक सिद्धान्त की बात यह है कि हम अंग्रेजों से प्रजातन्त्र की लड़ाई लड़ रहे थे तो १९२१ में सबसे पहला चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हुआ और उस वक्त दो-ढाई सौ रुपये के काश्तकार को वोट देने का अधिकार हुआ। फिर हम लड़ाई लड़ते रहे। हमारा देश आजाद हुआ और १९४७ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ। उस चुनाव में करीब-करीब जितने भी हमारे सूबे के

अन्दर चुनाव हुये कांग्रेस का बहुमत डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में पहुंचा। उसके बाद आज १४ साल होने आये। वह चुनाव बार-बार रोका गया। इससे पहले हमारे इसी सूबे के अन्दर एक आर्डिनेंस बनाया गया। उस आर्डिनेंस में इस तरह से उसकी रचना की गयी जिससे सारे के सारे अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो हैं, वह सरकार के हाथ में रहें। आज वही तरीका जो १९२१ से पहले अंग्रेजी राज्य में था, वही तरीका बरता जा रहा है। हमने जिन सिद्धान्तों की बुराई की, जिन सिद्धान्तों के लिये हम लड़े, जिसके लिये आन्दोलन करते रहे, उन्हीं चीजों को हम फिर अपने सूबे के अन्दर ला रहे हैं। सवाल शक्ति का है। किस तरह से शक्ति अपने हाथ में रहनी चाहिये। जिससे हम अपने सूबे के अन्दर अपनी सरकार कायम रख सकें यह सवाल है। जैसे बिजली के ऊंचे-ऊंचे खम्भे गाड़ते हैं तो उनको रोक रखने के लिये, हवा के झोंके से वह गिर न जायें, उसके लिये तार लगाते हैं, खींचते हैं, जिससे खम्भा बराबर खड़ा रहे। उसी तरह से जनरल चुनावों को जीतने के लिये, सरकार को कायम रखने के लिये इस तरह के संशोधन परिषद् के लिये आते हैं और जिला परिषद् संशोधन में सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि सरकार को मजबूत बनाये रखने के लिये प्रजातन्त्र को खत्म करके और एक संकुचित दायरा करके ऐसे चुनाव की पद्धति बनायी जावे और दलील इस बात की दी जाती है कि यह प्रधान तो चुने हुये हैं जनता के और यह जो प्रमुख हैं यह जनता के चुने हुये हैं। अभी-अभी माननीय सदस्य ने यह बताया था कि प्रधानों की क्या हालत है? प्रधान लोग अगर अपने गांव में अपनी तरफ से किसी भी पार्टी को या किसी को भी एक वोट भी दिलाना चाहें तो नहीं दिला सकते, कोई भी आदमी उनके साथ नहीं रहा। तो सवाल प्रणाली का है, प्रजातन्त्र का है और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह से जब-हम कहते हैं कि हम शक्ति को बिखरा रहे हैं, या शक्ति को बिखराना चाहते हैं तो यह शक्ति बिखर नहीं रही है बल्कि और संकुचित दायरा उसका किया जा रहा है। प्रजातन्त्र खत्म किया जा रहा है। इसलिये मैं ज्यादा बात न कहते हुये यह जो जिला परिषद् विधेयक है उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और इसकी पद्धति के लिये यही कहूंगा कि जो पद्धति सन् १९४७ में थी वही पद्धति चुनाव की रहनी चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र—मैं पांच मिनट कुल लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के पक्ष में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। छोटा-सा संशोधन है और वह यह है कि कुछ तादाद अप्रत्यक्ष तरीके से चुनकर जिला परिषद् में पहुंचे। जिला परिषद् का निर्माण जिस प्रकार से है वह इस विधेयक में मौजूद है। पहला तो यह है कि जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा लगता है कि कि माननीय सदस्य ने विधेयक को पढ़ा नहीं है पूरी तरह से और बिलकुल उसके उलटे वह बोल रहे हैं। पूरे जिला परिषद् की व्यवस्था जो विधेयक पेश है उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव से है, सीधे उसमें एक आदमी भी नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—सुनिये तो।

श्री जे० पी० मिश्र—बाबू काशीनाथ जी, आप भूल गये अपनी पोजीशन को, दो बजे से पहले जो पोजीशन आपकी थी, उसको आप भूल गये। खैर।

माननीय कल्पनाथसिंह जी ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको मैं समझता हूं कि वह समय के खिलाफ है। चुनाव कम से कम हों, ऐसे समय में चुनाव की अगर आवश्यकता भी हो और बाबू कल्पनाथसिंह या विरोधी दल के लोग चुनाव की बात को पसन्द करते हैं तो मैं समझता हूं कि चुनाव का बड़ा समय आगे आने को है। चीन की लड़ाई के बाद चुनाव ही चुनाव आपको मिलेगा, जितनी शक्ति

[श्री जे० पी० मिश्र]

आप लगा सकें चुनावों में वह लगा लीजियेगा। इस वक्त छोटा-सा मामला है। अगर कुछ थोड़े से सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से जिला परिषद् में चुनकर आ जायं तो क्या कठिनाई है ?

आप जानते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है। ७०, ७५ सदस्यों को लिया जायगा। कुछ कोआप्शन से, कुछ चुनाव से लिये जायेंगे। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है इस ४३० के सदन में आप देख लें कि कितनी महिलाओं को डाइरेक्ट चुनाव से लाये हैं। हमारे विरोधी भाई इस बात को देख लें कि वे इतनी लम्बी संख्या में केवल एक महिला को ही चुनकर ला पाये हैं। कांग्रेस संस्था को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि जिसमें माननीया महिलायें अधिक संख्या में आई हैं। अगर उन बहनों को कोआप्शन से, और अधिक अप्रत्यक्षरूप से जिला परिषद् में ले आयें तो इसमें विरोधी दल के सदस्यों को एतराज नहीं होना चाहिये। अनुसूचित जाति के लोग अगर चुनाव में रह गये हैं और अनुसूचित जाति के अच्छे लोग नहीं आ सके हैं, उनको जिला परिषद् में चुनकर भेज भी दिया जाय तो इसमें कौन-सी हानि की बात हो गई। प्रधान चुने गये। उसके बाद ब्लाकों के प्रमुख चुने गये, जिला परिषद् के चेयरमैन का चुनाव, कोआपरेटिव सोसाइटीज का चुनाव, कोआपरेटिव फेडरेशन का चुनाव, डाइरेक्टरों का चुनाव, फिर उसके प्रतिनिधियों का चुनाव, बैंकिंग यूनियन का चुनाव, बैंकिंग बैंक यूनियन के मैनेजिंग डाइरेक्टर का चुनाव यह सब चुनाव के तरीके से ही आयेंगे। यह नामिनेटेड मेम्बर नहीं हैं। यह सब जिले के स्तर पर चुनकर आते हैं। यह सब हर जगह चुनकर आते हैं और हर जगह पर चुनाव है। हर जगह से हर आदमी, जितने भी सदस्य होंगे, वह चुनकर ही आयेंगे। फिर आप कैसे कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है? मंडल से अगर प्रधान खड़े हों और वह जिला परिषद् में जाते हैं तो क्या यह गलत है? प्रत्यक्ष रूप से चुनकर ६०, ७० प्रधान मिलकर ब्लाक बनायेंगे। उनमें से एक आपका ब्लाक प्रमुख होगा। उनमे से एक या दो जैसी तादाद निर्धारित हो परिषद् में चुनकर आयें तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहना अन्यायपूर्ण बेइन्साफी है। इस बेइन्साफी को आप समझने की कोशिश करें। समय बड़ा कठिन है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम आज असाधारण इमरजेंसी सेशन में इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे साधारण सेशन यह नहीं है। इस इमरजेंसी सेशन में हम और आप २, २।। दिन अगर छोटे से संशोधन के सम्बन्ध में ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के साथ अनुपकार होगा। १०, १५ हजार रुपया रोजाना खर्च करके एक छोटे से संशोधन के लिये ३०, ३५ हजार रुपया खर्च करके हम काम करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय है। मैं विरोधी पक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि इस किस्म की अड़चनों को बन्द करना चाहिये। इस समय में यहां पर अड़चनें पैदा करना बिलकुल बेकायदा है, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मैं विरोधी पक्ष से अपील करूंगा कि इस असेम्बली के कीमती वक्त को इस छोटे से संशोधन के लिये जाया करने की कोशिश न करें। आप अपने वचन पर कायम रहें। इस असेम्बली को शुक्रवार तक समाप्त हो जाना चाहिये। मैं कल्पनाथसिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें। यह उचित नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। इस समय कल्पनाथसिंह जी यदि सदन में उपस्थित नहीं हैं तो भी यह प्रस्ताव वापस हो जाना चाहिये और अभी ४ बजे तक इस विधेयक को पास हो जाना चाहिये। यह विधेयक इस सदन में आ चुका है और इस पर आप अपनी रजामन्दी दे चुके हैं और स्वीकृति दे चुके हैं। एक दो छोटे-छोटे संशोधन हैं उनको आप आध घंटे के अन्दर स्वीकार कर सकते हैं। बस, यही मुझे आपसे निवेदन करना था और मुझे आशा है मेरी बातों पर ध्यान दिया जायगा।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत है उस पर कल्पनाथसिंह जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है उसके विषय में मैं कुछ बोलूंगा। जो पहले जिला परिषद्

ऐक्ट था उसमें दो या तीन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने की बात थी, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आया कि वह अमल में नहीं आने पाया और इस संशोधन की जरूरत पड़ गयी। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि शायद सत्तारूढ़ दल को यह मालूम हुआ कि उसमें उनकी हार हो जायगी इसलिये कोई तरकीब निकाली जाय कि जिससे उन का ही बहुमत वहां हो सके और इसलिये बिना सोचे समझे यह संशोधन विधेयक ला दिया गया है। इससे यही साबित होता है और कोई दूसरी बात नहीं साबित होती। हमारे उधर के एक वक्ता ने कहा कि यह बड़ा अन्याय है कि इस इमरजेंसी के सेशन में हम इस प्रकार इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो यह ठीक समझता था कि इस इमरजेंसी में इस प्रकार का संशोधन विधेयक ही न लाया जाता वह उचित होता। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हमेशा के लिये ही बनेगा। इसके अतिरिक्त अन्याय और समय के अपव्यय के नाम पर यदि इसे जल्दी से पास करा लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह सही नहीं होगा और मैं समझता हूं कि ऐसा करके हम प्रजातन्त्र के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। जब प्रत्यक्ष चुनाव में चुने गये लोग आयेंगे तभी हम सही लोगों को वहां रख सकेंगे। चुनाव में पहले से पंच और प्रधान चुने जाते हैं यह ठीक है, लेकिन चुनाव अलग-अलग होते हैं। जब मतदाता किसी को वोट देता है तो वह उसे प्रधान की हैसियत से वोट देता है, न कि सदस्य जिला परिषद् की हैसियत से। वह समझता है कि यहां हमें किस हैसियत के आदमी को भेजना है। जब जिला परिषद् में मतदाता को किसी व्यक्ति को भेजना होता है तो वह उसमें से तलाशता है जो कैंडीटेड खड़े होते हैं उनमें से। लेकिन अगर प्रधानों में से ही वहां आदमी भेजे जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जिला परिषद् के सदस्य योग्य नहीं होंगे और न जिला परिषदें जनता की मनोभावना को पूर्ण कर सकेंगी। ऐसी सूरत में मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस संशोधन को वापस ले ले। इससे समय भी बच जायगा और इस इमरजेंसी में दूसरे महत्व के काम हो सकते हैं। यदि यह न हो तो अपोजीशन के प्रस्ताव पर उसे प्रवर समिति में भेजने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। अगर समय और खर्च की बचत सोची जाती है तो सरकार को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये। इसमें ही उसका कल्याण है। इस तरफ से कहा जाता है कि यह बड़ा अन्याय है, उधर से कहा जाता है कि यह न्याय है, अब न्याय और अन्याय की यह एक बड़ी लड़ाई है और इसे आगे आने वाला समय ही बतला सकता है कि क्या न्याय है और क्या अन्याय। इसलिये इस समय मैं प्रवर समिति में भेजने के संशोधन का समर्थन करता हूं। इसके अतिरिक्त एक विकल्प यह भी है कि सरकार इसे वापस ले ले।

श्री बसन्तलाल शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मेरा निवेदन है। इस बिल के लिये समय निर्धारित हुआ है कल ६ तारीख तक के लिये। जो संशोधन हमारे सामने है उनको आप देख लें कि उनमें कितना समय लगेगा।

एक सदस्य—संशोधन बहुत हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो क्या एक दिन उसमें लगेगा? यदि एक दिन उसमें लग सकता है तो हम मानने को तैयार हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि आज दिन भर बहस चलने दी जाय और कल संशोधनों को खत्म कर दिया जाय। ५–६, दो दिन रखे गए हैं।

एक सदस्य—मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रवर समिति के बारे में बहस समाप्त की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा विराजिये और पहले माननीय सिंचाई मंत्री को सुन लीजिये।

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष जी, इस पक्ष के लोगों के लिये कोई इससे खास अन्तर पड़ता नहीं है। अभी जैसा कि माननीय पांडेय जी ने तथा अन्य साथियों ने कहा

[श्री नवलकिशोर]

कि समय निर्धारित कर दें। प्रवर समिति के बारे में बहस हो रही है, उसके बाद जनरल बहस होगी और फिर क्लाज वाइज होगी ....

श्री उपाध्यक्ष---यह जनरल बहस तो है ही जो कि चल रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, जब जनरल बहस नहीं होती तो फिर क्या जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा तो फिर यही तय रहा कि आज दिन भर बहस चले और कल खंडों पर बहस हो जाय।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्षेत्र समिति था जिला परिषद् संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है और जैसा कि माननीय कल्पनाथसिंह जी ने उसको प्रवर समिति को भेजने के लिये संशोधन पेश किया है, मैं उसके पक्ष में विचार प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

एक वर्ष पहले जब कि यह क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक इसी सदन में स्वीकार किया गया था, शायद साल भर से कम ही अरसा हुआ और अब यह दूसरा संशोधन विधेयक सदन के सामने संशोधन के रूप में आ गया। विचार यह करना है कि यह परिस्थिति पैदा कैसे हुई? जहां तक मैं समझता हूं कि अभी २-३ मास पूर्व जो हमारी क्षेत्र समिति के प्रमुख का निर्वाचन हुआ, उसमें शायद शासक गुट को काफी पराजय देखनी पड़ी और वह यह समझ कर कि यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए तो जिला परिषदें इस शासक गुट के हाथ से निकल जायेंगी। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी जिला परिषदें चाहे किसी राजनीतिक दल के हाथ में हों उन्हें अपना प्रभाव कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि उनके हाथ में शासन बना रहे। वह उसके द्वारा अपना शासन कायम रखना चाहती हैं। तब उस लक्ष्य को सामने रख करके ही यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आप देखें कि यदि इस क्षेत्र समिति में कोई, प्रमुख या उप-प्रमुख यदि जानबूझ कर गलत कार्य करे या शासन के किसी आदेश का पालन न करे तो डिवीजन आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन जिला परिषद् के चेयरमैन की राय ली जायगी। यदि प्रमुख ने कोई गलती की तो चेयरमैन की राय से आप कार्य करें। यदि प्रमुख ने कोई गलती की तो चेयरमैन के हस्तक्षेप का क्या कारण रह जाता है। वह जानते हैं कि जब से इसकी रचना की गई तो पहले दूसरी व्यवस्था की गई, लेकिन अब दूसरी व्यवस्था जोड़ दी गई है और उसमें यह कहा गया कि कैसे सदस्य मनोनीत किये जायें। कोआपरेटिव सोसाइटी और दूसरी सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक व्यवसायिक जैसे लोगों को उसमें प्रिफरेंस देने की बात कही गई।

दूसरी बात यह कही गई कि जो हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं अगर वह कह देते कि उनसे सीधे सोसाइटियों को प्रतिनिधि भेजे जायेंगे परन्तु ऐसा भी नहीं किया गया। हमारे पूर्व वक्ता महोदय, श्री जे० पी० मिश्र ने कहा कि संकटकाल की स्थिति में इस प्रकार के संशोधन विधेयक का विरोध ही नहीं करना चाहिए। परन्तु मेरा यह कहना है कि जब यह संशोधन पेश हुआ था उस समय देश के सामने कोई चीन के हमले की असाधारण परिस्थिति नहीं पैदा हुई थी। उस समय यह संशोधन विधेयक लाये थे। परन्तु जब प्रमुख के चुनाव में करारी मात खानी पड़ती तो उस पर फिर से विचार किया जा रहा है। जो सरकार को नामजद करने की प्रणाली है वह एकदम समाप्त होनी चाहिए। मेरी राय से जो पहला हमारा क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक है वह बहुत ही उचित है और मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक को वापस हो जाना चाहिये और अगर वापस नहीं होता तो माननीय कल्पनाथसिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। इस विधेयक को पेश करने का कोई तर्क नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, अनुमोदन करता हूं। यदि सरकार उसे स्वीकार नहीं करती तो उसे यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये।

*श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)---आज हमारे साथी ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस कोआपशन के कारण हमारा गोंडा जिला काफी उसका शिकार हुआ है। यहां तक हुआ है कि ८ बज गये थे, वोट पड़ने का वक्त आ गया था, उस वक्त भी रिटर्निंग आफिसर दो नाम घटा रहे थे, कहीं दो नाम बढ़ा रहे थे और कहा जा रहा था कि ऊपर से हुक्म है। आखिर वक्त तक यह पता नहीं था कि कौन वोटर होगा? यह हालत थी गोंडा जिले की। रिटर्निंग आफिसर से पूछा गया कि अन्याय क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा करने के लिये ऊपर से हुक्म हुआ है, हम तो नौकर हैं, उसी हुक्म का पालन कर रहे हैं। यह सरे मैदान कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि कम से कम ५-६ जिले से लोग बुलाये गये, बहराइच से दो नाम काट कर गोंडा में बढ़ाये गये--- एक भारत सेवक समाज के हमारे संयोजक थे और दूसरे एम० एल० सी० थे। भारत सेवक समाज से इस्तीफा दिलवाकर फौरन दूसरा नामजद किया गया और वोट लेने के दूसरे दिन फिर नाम खारिज किया गया और फिर उनका नाम बढ़ाया गया। क्या-क्या अंधेर हुआ इस कोआपशन के नाम पर, मैं क्या कहूं?

हमारे एक भाई आज यह कह रहे थे कि यह तो अप्रत्यक्ष चुनाव है ही नहीं। यह तो प्रत्यक्ष चुनाव है। मैं कहता हूं कि अगर यह चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, तो इस विधेयक में अप्रत्यक्ष क्यों लिखा है? इस अप्रत्यक्ष शब्द को काट दिया जाय। हम तो चाहते थे कि प्रत्यक्ष चुनाव हों, लेकिन प्रत्यक्ष से सरकार को खतरा है। हमारे जिले में जो चेयरमैन हैं उनकी एक सरहज नामजद की गई हैं, दो दिन पहले। महिला वर्कर बना ली गईं जो किसी जमाने की वर्कर नहीं थीं। सरहज कहते हैं साले की स्त्री को। वोट लेने के लिये क्या-क्या नहीं किया गया? नाम की महिला वर्कर हैं। महिला वर्कर सारे जिले में उनको और कोई मिली ही नहीं। यह गोंडा जिले की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या बतायें, वह टाट-पट्टी जो ३ रुपये में मिलेगी साढ़े छः रु० में खरीदी गई है। वह नक्शा जो डिसएप्रूव्ड है, न सर्वे डिपार्टमेंट से पूछा गया और मल्लीपुर लिखा गया जब कि वह छपा लखनऊ में। ८०-८० हजार रुपये के चैक काटे गये हैं। एक कमेटी डिप्टी कमिश्नर ने बना रखी थी, उसे खत्म कर दिया गया। मैं कहता हूं कि हिम्मत हो तो इसकी जांच करें कि कितने लाख रुपये की वहां गड़बड़ी हुई है। आज इस आपत्तिकाल में हम एक-एक पैसा मांग रहे हैं और उसके लिये तरस रहे हैं। एक दिन हमको तरस आया जब हमने देखा कि ग़रीब बच्चों को जिनके बदन पर कपड़ा भी नहीं था, जाड़े में मास्टर ने भेज दिया एक डिब्बा देकर कि जाओ पैसा मांग लाओ। एक तरफ़ यह हालत और दूसरी ओर डेढ़, और दो-दो लाख रुपया हवा की तरह जा रहा है। अगर बहन जी कृपा करें तो इस बात पर ध्यान दें और जांच करावें। इसके लिये स्पेशल आदेश होना चाहिये। आडिटर से इस हिसाब-किताब की जांच कराई जाय और उसकी रिपोर्ट मंगाई जाय। इस प्रकार के चुनाव से यह धांधागर्दी हो रही है और फिर वही अप्रत्यक्ष चुनाव की बातें लादी जा रही हैं कि फिर वही लोग नामजद किये जावें जो सही मानों में उन्हीं को वोट दें, यही नहीं, ३०० मास्टर बुरे तरीक़े से निकाले गये। क्यों? उनकी पार्टी के नहीं थे। मैं कहता हूं कि सी० आई० डी० से जांच करा लीजिये, २०० और १५० रुपये लेकर तब उनके नाम उम्मीदवारों में लिखे गये। यहां से कहा गया था कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम लीजिये लेकिन उसकी लिस्ट अलग रह गई। रुपये वालों की लिस्ट अलग बन गई। मैं तो कहता हूं कि आपके जमाने में सी० आई० डी० भी नहीं है इन मामलों के लिये। कहीं १ लाख का गबन हो रहा है, कहीं १० लाख का हो रहा है, और सब मामला गोल है। अगर नामीनेशन नहीं होते तो यह हालत नहीं होती।

जहां तक हमदर्दी की बात है, आज जो स्थिति है उसमें हम लोगों का बायकाट होता है। बलरामपुर सोसाइटी में कोई कांग्रेसी नहीं, न कोई सोशलिस्ट है। कोई पार्टी नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवरंगसिंह]

इंडिपेंडेंट सब हैं। २७,००० मांगा गया था और ३०, ००० हम लोगों ने दिया। लेकिन हम लोग मीटिंग में नहीं बुलाये जाते हैं। यह मेरा निवेदन है।

कोग्रापरेटिव फेडरेशन के मामले पर सवाल भी हुआ और जवाब भी मिला है लेकिन उस पर मुकदमा चलाने की बात नहीं है। ३५,०० ० रुपये का मामला है। वह भी चुने गये हैं।

मैं काउन्सिल में था। इसके एक-एक क्लाज पर विचार हुआ था और तब यह पास हुआ लेकिन अब फिर आपत्तिकाल का बहाना लेकर इसे संशोधन करने की बात आई है। कहा जाता है कि आपत्तिकाल में इसे फौरन पास किया जाय। मुश्किल तो यह है कि यह आपत्ति-काल हमेशा के लिये हो जायगा। अच्छा तो यह होता है कि इस बिल को वापिस लेकर सरकार आपत्तिकाल खत्म होने पर लाती। आपत्तिकाल के नाम पर नाजायज फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। अगर वापिस नहीं लेते हैं तो प्रवर समिति में यह विधेयक अवश्य जाना चाहिये। इस बात को, श्रीमन्, हम आपसे इस्तदुआ करते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कल्पनाथ जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया गया है। उसके उद्देश्यों में कहा गया है कि जिला परिषद् के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का नीचे के निकायों में कोई स्थान नहीं होगा और इसलिए वे परिषद् के अधिकारों को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे नीचे के निकाय कमजोर हो जावेंगे। श्रीमन्, यह वाकया सरकार की कमजोरी, पक्षपात और दुराग्रह का प्रतीक है। उसका विश्वास जनतंत्र में कमजोर होता जा रहा है। प्रत्यक्ष चुनाव से वह हटने की कोशिश कर रही है और उसका यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव कमजोरी की निशानी है। मैं आप के जरिये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के उद्देश्य की इस सदन में ऐसी मंत्राणी से उम्मीद नहीं की गई थी जिनका प्रजातंत्र में और विशेषकर विकेन्द्रीयकरण में अकाट्य विश्वास है। उनके द्वारा उद्देश्यों में ऐसे वाक्य का होना समुचित नहीं मालूम होता। श्रीमन्, विकेन्द्रीयकरण नामीनेशन से नहीं हो सकता है। कोआप्शन और नामीनेशन ऐसे उपाय हैं जो विकेन्द्रीयकरण की ओर हमको खींचते हैं। हमारे विचारों को बांधते हैं और विचारों का एक रेजीमेंटेशन करने की ओर हमें बाध्य करते हैं। यदि विकेन्द्रीयकरण अभीष्ट है, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण अभीष्ट है, तो निश्चित है कि प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिये। जैसा अभी एक साथी ने कहा कि निर्वाचन के ऐन मौके पर कोआप्शन की व्यवस्था की गई और वह केवल सम्भवतः इस आधार से की गई कि एक पक्ष विशेष को सबल बनाया जाय और उसके हाथ में स्थानीय निकाय दिये जायं। श्रीमन्, यदि कोआप्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर किया गया होता तो उस पर कोई विशेष आपत्ति करने की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है लेकिन ऐसा न करके कोआप्शन केवल इस बिना पर किया जाता है कि बहुमत अपने खास खास लोगों को कोआप्ट कर सके और अपना बल बढ़ा सके। यह केवल संख्यासुर के बढ़ाने की बात है न कि स्थानीय निकायों में विकेन्द्रीयकरण के प्रतिष्ठापन की ओर उनको सफलतापूर्वक संचालित करने की।

क्षेत्रीय समितियां विशेष रूप से रचनात्मक कार्य करने के लिये निर्धारित की गयी हैं और रचनात्मक कार्य में पक्ष विशेष को सबल बनाना और पक्ष विशेष को निर्बल बनाना, चाहे वह किसी कोआप्शन के जरिये से हो, चाहे नामजदगी के जरिये से हो, अत्यन्त अनुचित है। क्योंकि गांवों की समस्या प्रत्येक ग्रामीण की समस्या है, उसमें सब की दिलचस्पी है, वे अपने गांवों को समुन्नत करना चाहते हैं तथा बुनियादी तरीके से जनतंत्र को सबल बनाना चाहते हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गांव सभा ही एक ऐसी संस्था है जो जनतंत्र को बुनियादी तरीके से बरतती है, तथा बुनियादी तरीके से उसको आगे बढ़ाने का

प्रयास करती है। इसके अलावा जो और जनतांत्रिक संस्थायें हैं---क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, विधान सभा, विधान परिषद्, सब की सब प्रतिनिहित संस्थायें हैं। ये संस्थायें बुनियादी तरीके से जनतंत्र का कार्य नहीं करती हैं वह सिर्फ गांव सभा ही करती है। लेकिन जहां बुनियाद पड़ रही हो वहां इस प्रकार का भेदभाव करना, इस तरह की दुर्नीत बरतना नितान्त अनुचित है।

दूसरे यह जानकर आप को आश्चर्य न होगा कि यही एक ऐसा चुनाव है जो अप्रत्यक्ष हो रहा है। ग्राम सभाओं से पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव प्रत्यक्ष ही होते हैं। इसमें दलील यह दी जाती है कि जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आयेंगे उनका स्थान यदि क्षेत्र समिति में होगा, तो वे ऐसा काम करेंगे जिससे क्षेत्र समिति कमजोर हो जायेगी। यह एक अजीब-सी दलील दी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी यहां प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं उनकी दिलचस्पी स्थानीय निकायों में नहीं होती और वे उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यह एक अशोभनीय बात ही नहीं है अपितु जन प्रतिनिधियों के लिये अपमानजनक भी है।

एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। इन क्षेत्र समितियों से एक और प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार से जिले में करीब ४० आदमी वहां पहुंच जायेंगे। ४० आदमी का अर्थ हुआ कि क्षेत्रीय समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला परिषदों में पूरी संख्या के दो-तिहाई आदमी। अब एक-तिहाई में एम० पी० एम० एल० ए०, एम० एल० सी० रह जायंगे। जिला परिषद् एक ऐसी संस्था है, जहां पर हम रचनात्मक कार्यों को ही नहीं देखते हैं बल्कि एक नीति निर्धारित करते हैं और वह नीति, जिला स्तर पर सारी जनता को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जाती है। लेकिन उस नीति पर प्रभाव डालने के लिये दो-तिहाई लोग भेज दिये जायेंगे जिनका असर निश्चित उस पर पड़ेगा। हो सकता है सरकार की यही मंशा हो लेकिन इसमें कठिनाई पैदा हो जायगी और वह कठिनाई यह है कि अगर एक ही विचारधारा के लोग इन संस्थाओं में जायेंगे तो निश्चित ही स्थानीय निकायें कमजोरी की तरफ जायेंगी। इसके विपरीत वहां पर कुछ संघर्ष होना आवश्यक है, वहां पर कुछ वाद-विवाद होना आवश्यक है और वहां पर कुछ मतभेद भी होना आवश्यक है जिससे कि विचारों में निखार आ सके, विचार परिपुष्ट हो सकें और संस्थाओं का सुचारु ढंग से संचालन हो सके।

यहां पर श्री जयप्रकाश नारायण जी की बातों का हवाला दिया गया। मैं जयप्रकाश जी का सम्मान करता हूं और उधर बैठने वाले अधिकांश उनकी प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन जिन परि-परिस्थतियों में वे बातें कही गयी हैं उन परिस्थितियों का निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं और सम्भ है कि आगे भी कुछ दिनों तक उस परिस्थिति का निर्माण न हो सके। ऐसी हालत में उसका हवाल। सामने रखना और उसकी आड़ में ऐसी नीति बरतना कि प्रत्यक्ष चुनाव न किया जाय इस नीति को मैं बड़ा ही भया।वह समझता हूं। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि, सरकार इस पर फिर से विचार करे और उचित समझे तो निश्चित ही इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दे जहां पर अच्छे प्रकार से विचार करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जिससे जनतंत्र को स्वस्थ, सबल और सुदृढ़ बनाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस आदर-णीय सदन के सम्मुख जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस के पक्ष में जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं उसके कुछ सैद्धान्तिक आधार हैं। इस संशोधन के विरोध के स्वरूप को अगर आप देखें तो इस आदरणीय सदन के सम्मुख विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वे एक जगह केन्द्रीभूत हैं और वह यह है कि प्रत्यक्ष न चुनाव करा कर अप्रत्यक्ष चुनाव की बात इसमें रखी गयी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों का जो रूप है वह एक रचनात्मक इकाई का है और इस दृष्टिकोण को सामने रख कर अगर उसके पक्ष और विपक्ष में बातें कही जायं तो वह अधिक उचित होगा। यदि आप गौर करें तो बड़ी आसानी से यह बात

[श्री रामलखन शुक्ल]

समझ में आ जायगी कि जिला परिषदें और क्षेत्र समितियां तो ग्राम पंचायत की रचनात्मक इकाइयां हैं। यह कोई विधान सभा नहीं है जहां किसी नीति का निर्धारण किया जाता हो। उनका काम तो रचनात्मक प्रकार का होना चाहिये जिससे लोकतान्त्रिक ढंग पर एक जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर रचनात्मक ईकाइयों में स्थिरता तथा एक रूपता आये। अगर इस दृष्टि से हम विचार करें तो बहुत साफ तौर पर हम और आप इसके कायल हो जायेंगे कि इनके चुनावों में दलगत राजनीति को, पार्टी पालिटिक्स को कम से कम आने देना चाहिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई भी माननीय सदस्य सदन में इस तरह से बोल सकता है कि उसकी बातें दूसरे माननीय सदस्यों की समझ में न आवें? माननीय सदस्य माइक से अपना मुंह लगा कर बोल रहे हैं जब कि उनको वहां से हट कर बोलना चाहिये। इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, माननीय सदस्य आहिस्ता-आहिस्ता बोलें जिससे उनकी बातें सब लोग समझ सकें।

श्री रामलखन शुक्ल—मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य की समझ में मेरी बात आवे। अगर वे धैर्य से सुनेंगे तो उनको समझने में आसानी होगी। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक बड़े उसूल की बात है और वह यह कि रचनात्मक इकाइयों को इस बात का प्रयास करना है कि इन निकायों में दलगत राजनीति का कम से कम समावेश हो। इसी आधार पर इसी को मान कर पहले ही कांग्रेस ने और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हमारे साथियों ने इसको स्वीकार किया था कि चुनाव में पार्टी लाइन पर उम्मीदवार नहीं खड़े किये जायंगे। हम जानते हैं कि जब हम जिला परिषदों के चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार कराने जायंगे तो वह पार्टी लाइन पर ही चुनाव होंगे और जिस चीज को हम इन संस्थाओं से अवायड करना चाहते हैं और इन रचनात्मक इकाइयों के स्वरूप को जिस चीज से हम अलग रखना चाहते हैं वह न रख सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इन में सीधे चुनाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। एक बात मैं यहां और निवेदन करूंगा कि जब कभी भी पार्टियां चुनाव के मैदान में आती हैं तो जाहिर है कि उम्मीदवारों का व्यक्तित्व तो सामने से ओझल हो जाता है और पार्टियों का स्वरूप सामने आता है। दलगत राजनीति और स्लोगन्स सामने आते हैं और रचनात्मक कामों में और क्षेत्र के लोगों का जिन पर अधिक विश्वास है वह व्यक्ति उनके सामने एक तरह से नहीं रह जाते। इसलिये यह सीधे चुनाव नहीं होने चाहिये।

एक बात इसके उद्देश्य और कारणों में भी कही गई है और उस पर यहां विचार होना चाहिये। स्पष्ट है कि जो सीधा चुन कर आयेगा उसका इन इकाइयों से इतना सम्बन्ध न होगा। अभी माननीय काशीनाथ जी मिश्र ने दलील दी। मैं उस दलील पर गम्भीरता से वजन देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर ये कोआर्डिनेटेड इकाइयां मात्र रह जाती हैं तो उनको राहेरास्त पर लाने के लिये अच्छे आदमी होने चाहिये। अगर आप उनके लिये अपने को काफी नहीं समझते तो आप स्वयं अपने पर अविश्वास करते हैं। आप चुने हुये प्रतिनिधियों पर, एम० एल० एज, एम० एल० सीज पर और इन सदस्यों पर ही अगर अविश्वास करेंगे तो कैसे काम चल सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सीधे चुनाव की आवश्यकता नहीं है।

बहुत-सी ऐसी बातें और शब्दावली कही गईं जिसका उत्तर देने का प्रयास करके मैं सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करूंगा। किसी ने कहा कि यह तिकड़म है, किसी ने कहा कि षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं उसमें नहीं जाता। मेरा निवेदन है कि वह कहते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में हमारा बहुमत हो जायगा इस वास्ते ऐसा हम कर रहे हैं। आप जरा इसको अनेलेसिस करें। वर्तमान परिस्थिति कहां से आई है, सभापति चुना गया और ब्लाक के लोग परिषद् में आये, वह सब बहुमत के बल पर ही चुन कर आये हैं और यदि यहां हमारा बल है तो साक्षात् चुनाव में भी वह रहेगा। इसलिये उनकी दलील से ही यह चीज समाप्त हो जाती है।

यह संशोधन तो उसूली चीजों पर आधारित है और जिला परिषद् अधिनियम को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिये लाया गया है। एक बात और निवेदन करूंगा यह बड़े जोर शोर-से कहा गया उसको सुन कर दुख भी हुआ कि ग्राम प्रधानों को आइब किया जाता है और उनको बन्द कर दिया जाता है। उनको बन्द करके बाअसर लोग वोट दिलाते हैं। कहा गया कि जयपुरिया के चुनाव में बहुत से साथी बिक गये। इस का मतलब यह है कि प्रत्युक्ष चुनाव में तो आप विश्वास करते हैं लेकिन जो चुनकर आ जाय फिर उसमें आपका विश्वास नहीं रहता। जब हम कहते हैं कि यह केवल इसलिये किया गया है कि दलगत राजनीति वहां न आये और लोग सही काम करें तो आप के समझ में बात नहीं आती। इससे तो यही पता चलता है कि आपके समझने के तरीके में ही कुछ दोष है। मैं अधिक समय न लेकर केवल यही कहूंगा कि इस उसूल और व्यावहारिकता के आधार पर ही यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसके बगैर यह ऐक्ट जो पास हुआ था वह अधूरा रहेगा। इसलिये मैं इस का पुनः समर्थन करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि माननीय सदस्य प्रवर समिति में इसे भेजने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, आज से ७-८ साल पहले की गोरखपुर की घटना मुझे याद आ गई। मैंने एक बहुत उत्तरदायी कांग्रेसी नेता का भाषण सुना था, कोई चुनाव होने वाला था एक तरफ शिब्बन लाल सक्सेना थे और दूसरी तरफ कोई कांग्रेसी। उन्होंने कहा अगर सारा बदन पूर्व की तरफ हो और पैर के पंजे पश्चिम की तरफ तो वह बेढ़ंग-सा लगेगा इसलिये कांग्रेस को ही वोट दो। सरकार हमारी है तो छोटी-छोटी संस्थाओं में भी कांग्रेस को चुनो। लेकिन आज जनता सचेत हो गई है वह इस प्रकार के गलत प्रचारों में नहीं आ सकती। इसी सिलसिले में एक घटना याद आ गई। एक जादूगर था उसने कहा छोटे बच्चों से तुमको जादू दिखाऊंगा। एक चवन्नी ले ली और कहा देखो इस पर बादशाह बना है और पलट कर उनको दिखाया कि शेर बना है, जब कि चवन्नी वही रही। इसी तरह से कांग्रेस आज जो कुछ कर रही है वह हाथी के दांत दिखाने वाले और होते हैं और खाने के और, यही चरितार्थ होता है।

कहा गया प्रधान जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं मानता हूं लेकिन अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं क्या यह सत्य नहीं है कि विरोधी पार्टियों के जहां जहां प्रधान हैं, जिस तरह से १९२९-३० में अंग्रेजों ने सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के द्वारा पंजाब में लाला लाजपतराय को मरवा डाला था, उसी तरह से यह सरकार विरोधी पार्टियों के प्रधान को नहीं मरवा रही है ? अभी कुछ दिन हुई एक पी० एस० पी० के प्रधान को गोली से सरकार ने मरवा डाला। हरिजन प्रधान जहां कहीं भी हैं, चाहे कांग्रेस माइन्डेड हों या रिपब्लिकन माइन्डेड उनको अवश्य मरवाती जा रही है। ठीक है डमोक्रेसी में वन पार्टी रूल होता है, "one party rule with opposition is the best rule. But one party rule without opposition is the worst." एक पार्टी का रूल डेमोक्रेसी में मानता हूं लेकिन वहां अपोजीशन होता है। पर इस विधेयक से सरकार अपोजीशन की कोई गुंजायश नहीं रख रही है। जितने य० पी० में प्रधान हैं ९९ फीसदी कांग्रेस के हैं। आप अनुचित ढंग से चुनवा देते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जो क्षेत्रीय समिति आज है उसका भी समर्थन नहीं करता।

रूसो फ्रांस का एक दार्शनिक हो चुका है उसने बताया कि आजकल की व्यवस्था तो यह है नो टेक्सेशन विदआउट रिप्रजेन्टेशन लेकिन रूसो ने यह कहा कि रिप्रेजेन्टेशन से कोई फायदा नहीं होता। प्राचीन काल में ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जैसे आज यहां है। लेकिन एक जमाना था जब मानर्की भी थी जिसे आज बुरा समझा जाता है। वैसे अशोक और अकबर जैसे मानर्क भी थे जिन्हें अच्छा समझा जाता है और औरंगजेब, अलाउद्दीन और मुहम्मद बिन तुगलक जैसे मानर्क भी इतिहास में हो चुके हैं जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन आज २० वीं शताब्दी में हम मानर्की से डेमोक्रेसी की तरफ आये। लेकिन आज यह हुकूमत डेमोक्रेसी से हट कर किधर जा रही है ? पहले इसने ग्रामों को लिया है। वहां मानर्की स्थापित करने की सरकार की योजना

[श्री श्यामलाल]

है । वह दिन दूर नहीं जब एम० एल० एज० और एम० पीज० के लिये भी यह पालिसी अख्तियार कर ली जायगी और हमारे वह अधिकार खत्म हो जायेंगे जो हमें प्राप्त हैं । डाक्टर अम्बेदकर कांस्टीट्यूशन कमेटी के प्रेसीडेंट थे । यह संशोधन आया कि हिन्दुस्तान में हर बालिग को मताधिकार देना चाहिये, उस समय हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी थे । उन्होंने कहा कि तुम क्या करने जा रहे हो, इस तरह का अधिकार साधारण आदमी को देने जा रहे हैं ? जो गंवार है, कुछ नहीं समझता कि किस को वोट देना चाहिये ? डाक्टर अम्बेदकर ने यही जवाब दिया था कि यह साधारण आदमी का युग है । अंग्रेजों के जमाने में वोटर्स की क्वालिफिकेशन यह थी जो सम्पन्न हो, पैसे वाला हो, इनकम टैक्स देता हो, आर्थिक दृष्टि से अधिक उन्नत हो, लेकिन २० वीं शताब्दी में वह चीज खत्म कर दी गयी और ५० में एक नई चीज, नई परम्परा यहां डाली गयी । लेकिन यह सरकार फिर वही पुरानी रट डालना चाहती है । मैं इसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस तरह की नीति अख्तियार की थी उसमें और आज की सरकार की नीति में कोई विशेष मौलिक अन्तर नहीं है ।

ऐसा क्यों हुआ है, यह एक प्रश्न है ? क्षेत्र समिति तथा अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक सरकार ने क्यों सदन में पेश किया है ? इसका मौलिक आधार है कि वर्तमान सरकार जो है अपने काले कारनामों से जनता के सहानुभूति दिन व दिन खोती जा रही है । तो कुछ हथकंडे लगाने चाहिये । अगर इस सरकार को कस कर लगाम नहीं पकड़ी गयी तो ६७ के जनरल चुनाव में अपोजीशन पार्टीज का नाम नहीं रह जायगा और उसकी पृष्ठभूमि अभी से वह तैयार कर रही है। मेरा यही निवेदन है कि या तो सरकार क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक को वापस ले ले या फिर प्रवर समिति को अवश्य सुपुर्द करे ।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन बिल पर हुई बहस को मैंने बड़े गौर से सुना और जो इसके विरोध में बातें कही गयीं, उनको भी बड़े गौर से सुना । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि गांव पंचायतों या गांव सभाओं के जो चुनाव हुये उसमें कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा गया बल्कि गांव वालों को आजाद रखा गया कि वे अपने ढंग से इस इलेक्शन को लड़ें । इसके विपरीत विरोधी दलों की तरफ से दल के आधार पर बहुत-सी जगहों पर चुनाव लड़ा गया । यह कहना कि इस वक्त गांव सभाओं में किसी एक दल का बहुमत है सही नहीं है, क्योंकि लोगों ने स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी दल का लेबिल लगाये हुये चुनाव को लड़ा और जनता के प्रतिनिधि हो कर आये । आज जब देश संकट में है और विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं तो जनरल चुनाव कराना उचित नहीं होगा क्योंकि उसमें समय भी लगेगा और पैसे का भी व्यय होगा और जो शक्ति हमको अपने को सबल बना कर दुश्मनों का मुकाबला करने में लगानी है वह शक्ति उधर नहीं लग सकेगी । इसके अलावा जो इनडायरेक्ट चुनाव रखा गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलायी देती जिस पर यह कहा जा सके कि सरकार अपने दल को सत्तारूढ़ करने के लिये यह संशोधन ला रही है, क्योंकि आज सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि जिला परिषदों में या और जगहों पर जो लोग गांव से चुन कर आये हैं उनमें बहुमत किसी विशेष दल का नहीं है बल्कि उनमें हर प्रकार के लोग हैं । इसलिये यह कहना कि सरकार अपनी सत्ता को इस संशोधन द्वारा कायम रखना चाहती है, उचित नहीं होगा ।

मुझसे पहले एक भाई ने कहा कि यह कांग्रेसी सरकार उसी तरह से है जैसी अंग्रेजी सरकार और जिस तरह अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को पिटवाया था उसी तरह से यह सरकार जनता के प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करना चाहती है । मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ऐसा लांछन लगाया जाता है और जनता की सरकार का कम्पैरिजन अंग्रेजों की सरकार से किया जाता है । मुकाबला उससे होता है जो बराबरी का हो । जिसमें जमीन और आसमान का अन्तर हो उससे मुकाबला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं हुआ करता । मैं समझता हूं कि इस संशोधन के पास हो जाने से हमारे धन का अपव्यय नहीं होगा और जैसा कि संकट कालीन समय है इस स्थिति को भी देखते हुये, इससे जिला परिषद् का गठन पूरा हो जायगा और फिर जो चुनाव होने वाला है वह हो सकेगा । इसी दृष्टि से सरकार ने इसको रखा है और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे ऐसे संशोधन को, जिस में कोई दोष तथा दुर्गन्ध नहीं है और जिसके पीछे कोई भावना सत्तारूढ़ होने की नहीं है, उसे स्वीकार करके सहर्ष पास करेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो उद्देश्य और कारण इस विधेयक के हैं उनके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मौलिक परिवर्तन होने की सम्भावना है, इसलिये आवश्यक है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय । इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि यदि जनता के द्वारा जिसका नाम मतदाता सूची में है, उनके द्वारा चुनाव होगा जिला परिषदों के सदस्यों का तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इसको रोकने के लिये यह रखा गया है । दूसरी बात यह कि जिला परिषद् में ७०/७५ सदस्य होंगे, उनकी संख्या बढ़ न जाय, तीसरी बात भ्रष्टाचारी लोग इसमें न आ सकें और चौथी बात यह है कि जिला के अधिकारी थे, वे अधिकारी के रूप में नहीं थे इसलिये अधिकारी के रूप में उनको स्थान देना चाहिये । इन्हीं चार बातों की चर्चा की गई है ।

श्रीमन्, मैंने बहुत गौर से सभा सचिव बंशीधर जी पांडेय तथा दूसरे के अन्य सदस्यों के भाषणों को सुना और उनसे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो इरादा होता है उसी पर यह चलना पसन्द करती है और इधर के लोग सही राय भी देते हैं तो उसकी उपेक्षा करने में ही अपना कर्त्तव्य समझती है । श्रीमन्, हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की रचना अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानूनों से हुई है । उसमें जो सरकार परिवर्तन करना चाहती है उसके संबंध में कहा जा सकता है कि फटे कपड़े में चकती लगाकर चलाना चाहती है । मैं समझता हूं कि इससे जो परिषद् का कार्य है, जिसके संबंध में सभा सचिव ने आजमगढ़ में कहा था, वह ऐसा सुन्दर और लम्बा था कि उससे मालूम होता था कि यह आगे चलकर शक्तिशाली हो जायेंगे । लेकिन इस विधेयक से हमें नाउम्मेदी हो जाती है । १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव पुराने नियमों के अनुसार हुआ और आज १४ वर्ष बीत गये और इस बीच में २,३ बार आम चुनाव हुआ और उसके बीच में सरकार कभी भी दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकी कि हम परिषद् का चुनाव करके जो लोग नये सिरे से काम करना चाहते हैं, उनको हम स्थान देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि १९४८ के बाद अब तक चुनाव न करवाने का क्या कारण है ? आज सारी बातें सुरक्षा के नाम पर सरकार टालना चाहती है । सारे देश के आदमियों के विचारों को, चाहे उनका विचार विधेयकों के खिलाफ कुछ भी हो, मोड़ना चाहती है । मैं सुरक्षा के नाम पर सरकार को ऐसे अधिकार देना पसन्द नहीं करता हूं । मैं सरकार द्वारा जनता के शाश्वत अधिकारों को खत्म कराना नहीं चाहता हूं । हमको अपने देश में अधिकार मिला है कि जो लोग बालिग हों, अपने मताधिकार का प्रयोग करके संस्थाओं का निर्माण करें । जिला परिषद् में रचनात्मक कार्य करने होते हैं । लेकिन मैं माननीय सभा सचिव जी से पूछना चाहता हूं कि वह दिल खोल कर बतायें, पार्टी बन्दी की बात छोड़ कर, कि क्या जिला परिषदें आज राजनीतिक अखाड़ा है या नहीं ? और राजनीतिक अखाड़ा करने का सारा उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है । पचासों उदाहरण मैं देने को तैयार हूं । जहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कांग्रेसी चेयरमैन नहीं है तो उसको किस प्रकार से परेशान करने के लिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मुअत्तल करने की साजिशें की जाती हैं । किसी माननीय सदस्य ने कहा कि दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं, मंत्री जी बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की नामजदगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन के लिये कौन पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, क्या कांग्रेस पार्टी यह तय करती नहीं है कि फलां जगह हमारा फलां उम्मीदवार होगा ? फिर जब आप अपने उम्मीदवार की नामजदगी करते हैं तो कैसे उम्मीद करते हैं कि प्रमुख बिना पार्टी का होगा ? गांव सभा में जो प्रधान होगा वह बिना पार्टी का होगा ? आप छोड़िये इस शब्द को, अगर आप सही मानी में चाहते हैं कि रचनात्मक कार्य हो । आप जयप्रकाश जी की बात करते हैं । लेकिन जयप्रकाश जी ने तो यह भी कहा था कि दलगत राजनीति को छोड़िए ।

[रामसुन्दर पांडेय]

जयप्रकाश जी ने, जब वह हमारी पार्टी के नेता थे तो, यह भी कहे थे कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कीजिये । लेकिन जय प्रकाश जी ने अगर किसी वक्त कोई गलत बात कह दी, तो उसका उदाहरण दिया जाता है । उन्होंने दलगत राजनीति को छोड़कर राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिये जो कहा था उसको मानने के लिये सरकार तैयार नहीं होती। यही नहीं, तिब्बत और हंगरी के आक्रमण पर विरोध प्रदर्शन के लिये कहा था । गलत दिखाने की बात है । सही मानी में आप इकाई को ऐसा सत्ता नहीं देना चाहते हैं । मौलिक बात यह है कि गांव सभाओं से आप पैसा लेते हैं। मालगुजारी टैक्स, हर प्रकार की आमदनी गांवों से होती है । माननीय सभा सचिव से मैं जानना चाहता हूं कि क्या गांव सभाओं को मालगुजारी में से कुछ हिस्सा देने को आप तैयार हैं ? एक ही काम के लिये चार जगह पैसा वसूल होता है । गांव सभाओं को कहा जाता है कि टैक्स लगाओ मालगुजारी पर, दूकान पर लाइसेंस लो, और गांव सभा में सड़कें, पुल और स्कूल बनाओ । क्षेत्र समिति का भी वही काम है । जिला परिषद् का जो विधेयक प्रस्तुत है उसका भी यही काम है । आप यहां बैठे हैं। आपका भी यही काम है, सड़क बनाओ, पुल बनाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वही काम है। एक ही काम के लिये, एक ही जरिये से, आप चार चार जगह पैसा वसूल करते हैं जिसको प्रधानों ने वोट देकर भेजा है। एक गांव सभा के चुनाव का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। प्रमुखों का चुनाव किसने किया ? गांव सभा के सभापति, कोआपरेटिव सरपंच, इन सबने मिलकर प्रमुख का चुनाव किया। फिर अब आप कहते हैं कि जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव भी यही प्रधान लोग करें । तो क्या अन्तर है, उनके पद और उनके सम्मान और इनके सम्मान में ? आप छोड़ दें इस पद को । प्रमुख को ही कह दें कि जनता का चुना हुआ जायगा और वही पदेन जिला परिषद् का मेम्बर हो जायगा । यह बात तो समझ में आ सकती है । लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि एक ही व्यक्ति से दो-दो जगहों के लिए उसी पद के समकक्ष पद के लिए वोट आप ले रहे हैं। एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि संशोधन बार-बार लाना नहीं चाहिये। एक मर्तबा बैठ जायं दो दिन, तीन दिन, दस दिन बैठकर संशोधन कर लें, यह बात तो समझ में आ जाती है । लेकिन दो साल हुए इस ऐक्ट को पास हुए और दो साल के अन्दर चार पांच मर्तबा संशोधन आ चुका। क्या है यह ? सरकार के लोग कहते हैं कि एक छोटा-सा संशोधन है, क्यों इतना वक्त खर्च कर रहे हैं ? लेकिन अगर काम समय लगाना चाहते हैं तो उसका तो एक ही तरीका है कि प्रवर समिति में इसको भेजिए । अभी तो आप चुनाव भी नहीं कराने जा रहे हैं ? मंत्री जी बतायें कि वह कब चुनाव करा रहे हैं ? तो जब कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो प्रवर समिति में भेजने में क्या आपको कठिनाई है ? वहां इसको भेज दें और संजीदगी के साथ वहां बैठ कर हम इस पर दो तीन चार रोज विचार कर लें और जिन चीजों को इस में समाविष्ट करना जरूरी है, उनको समाविष्ट कर लें । इसलिये कल्पनाथसिंह जी ने जो संशोधन रखा है, उसको माना जाय ।

शिक्षा के बारे में मैं क्या कहूं । विभागों का ऐसा बटवारा किया गया है जिसको देख कर परेशानी होती है । श्रम मंत्राणी जी के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है । उनका शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री के हाथ में है । श्रीमन्, आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनुअल में अभी तक दर्जा ७ पास ही मास्टर लिये जाने का प्रविधान है । यहां से आर्डर चला गया कि हाई स्कूल पास, सेकिंड डिवीजन ही उम्मेदवार लिया जायगा । एक तरफ आप कहते हैं कि वही मैनुअल लागू होगा । अन्तरिम जिला परिषद् में वही नियम लागू है । वक्तन-फवक्तन जो मन में मंत्री जी के या सेक्रेटरी के आया उसके मुताबिक सरकुलर जारी कर दिया । ऐसी गड़बड़ी है जिसका निपटारा करना अत्यन्त आवश्यक है । हम जानते हैं कि मंत्राणी जी के हाथ में यह काम है । उनको हम लोगों से ज्यादा अनुभव भी है। आप देखते हैं दो साल से इस विभाग का कुछ अनुभव भी हुआ होगा कि कहां-कहां पर ज्यादा दिक्कत है । हम लोग तो कभी एक दो महीने में परिषद् की मीटिंग में शामिल हो जाते हैं । हमारे जैसे लोग जानते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं । उन दिक्कतों का हटाना हमारा कर्तव्य है । हमारी प्रार्थना है कि कुछ दिनों के लिये आप यह सोचें कि जो संशोधन विधेयक हम बना रहे हैं वह एक साल दो साल तक चले, फिर उसमें संशोधन करने की

गुंजायश नहीं रहनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चैयरमैनों से राय लेनी चाहिये कि जो ऐक्ट बना हुआ है उससे उनको दिक्कतें कहां-कहां और क्या-क्या है। क्या क्या उनको परेशानी है और किन धाराओं का संशोधन होना चाहिये। जो संशोधन विधेयक यहां पर रखा गया है, मेरा खयाल है कि उसके संबंध में परिषदों के अध्यक्षों से राय नहीं ली है। मेरा खयाल है कि जो और दूसरे अधिकारी हैं उनसे भी राय नहीं ली गई है। उनसे आपको राय लेनी चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि परेशानी से बचा जाय तो उस परेशानी से परिषदों को बचाने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं बल्कि १० दिन बैठकर, सब से राय लेकर, इस पर विचार किया जाय और फिर समुचित ढंग से इसमें संशोधन किया जाय। इस प्रकार से एक दो संशोधन के लिये २, २ और ३, ३ दिन बैठकर रुपया खर्च करना, मैं समझता हूं इस सदन का अपमान करना है और सदन के समय को बरबाद करना है। इसलिये मैं मंत्राणी जी और पांडेय जी से निवेदन करूंगा कि इसको अवश्य प्रवर समिति में जाने दें। सब को बुलाकर और सबकी राय लेकर और दूसरे बहुत से संशोधन करके इस विधेयक को फिर से तैयार किया जाय और प्रदेश की जो परिषदें हैं उनको राजनैतिक अखाड़ा नहीं बल्कि रचनात्मक कार्य करने के लिये स्थान बनाया जाय जिससे मेरा खयाल है कि ऐसा कार्य करने से श्रम मंत्राणी जी का गौरव बढ़ेगा और इस प्रदेश की करोड़ों और लाखों जनता, जो आपके कामों में सहायता करना चाहती है, उसकी प्रशंसा प्राप्त होगी।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जिला परिषद् संशोधन विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मैं उस दल के माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था और उसमें यह कहा जा रहा था कि सरकार को चुनाव नहीं कराना चाहिये लेकिन मैं तो यह समझ रहा हूं कि जिस तरह के भाषण हुये हैं और जिस तरह के भाषण दिये जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकार तो चुनाव कराना चाहती है, लेकिन हमारे उस दल के सदस्य नहीं चाहते हैं। जो संशोधन इस समय प्रस्तुत है, यदि वह संशोधन आप स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द चुनाव हो जायगा। सरकार इस संशोधन को इसी मंशा से लायी है कि इस समय जो अन्तरिम जिला परिषदें चल रही हैं वे कई कानूनों के अनुसार चल रही हैं। एक तो अन्तरिम जिला परिषद् का कानून है, दूसरा जिला बोर्ड का कानून था, और तीसरे पिछली बार जिला कांउसिलों का कानून पास किया गया था, उन सबके अनुसार इनकी व्यवस्था चल रही है। सरकार चाहती है कि जिला कांउसिलों का कानून पूरी तरह से लागू हो जाय और उसके अनुसार ही उनकी व्यवस्था हो। इसीलिये यह संशोधन लाया गया है। पहले बालिग मताधिकार से चुनाव करने की बात थी अब ब्लाक के सदस्य, गांव सभाओं के प्रधान मिल कर सदस्य चुनेंगे और जिस जिले में कम ब्लाक होंगे उसमें शायद ज्यादा सदस्य हो जायं। इस प्रकार की व्यवस्था इसलिये की जा रही है कि आप जानते हैं कि इस समय देश में जो परिस्थिति है उसमें अधिक पैसा खर्च करना उचित नहीं समझा पड़ता। बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने की इच्छा सरकार की थी और उसी के अनुसार पिछले कानून में व्यवस्था की गयी थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उसमें खर्च बहुत ज्यादा होगा। अभी हम लोग आम चुनाव लड़ चुके हैं। उसमें जितना खर्च हुआ, जो व्यवस्था करनी पड़ी, उसे देखते हुए फिर उसी प्रकार का चुनाव कराया जाना दिक्कत तलब होगा और उसमें खर्च भी काफी आयेगा। हर साल इस तरह के लम्बे-लम्बे खर्च करना, इस संकटकालीन स्थिति में, उचित नहीं मालूम होता जब कि हमें एक-एक पैसा बचाने की आवश्यकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक से लोग संकटकालीन स्थिति को जोड़ देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में क्या संबंध है। चुनाव बाद में करा लें, लेकिन संकटकाल को इससे जोड़ना मेरी समझ में नहीं आता। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह दलील दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर कुरील—मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार के चुनाव की बात आप कर रहे हैं उसमें अधिक पैसा खर्च होने वाला है । उसे इस समय बचाने की आवश्यकता है । इसी बात को सोच कर इस बात की व्यवस्था की गयी है कि यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करा लिये जायं ताकि जिला परिषदें पूरी तरह गठित हो जायं और ठीक से उनका काम होने लगे । एक बात यह कही गयी कि गांव पंचायतें, ब्लाक, जिला परिषदें, विधान सभा और केन्द्रीय सरकार सभी एक काम करने के लिये बनायी गयी हैं । ऐसी बात नहीं है । सब का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है और सबकी एक सीमा है । जहां तक गांव सभा की बात है उसका कार्यक्षेत्र अपने गांव की सरहद तक है । उसमें जो छोटी-मोटी पुलियां बनाना है, कच्चे रास्ते बनाना है, नालियों की व्यवस्था करनी है, उनके लिये गांव सभायें हैं । और जिस तरह से पी० डब्लू० डी० को बड़े-बड़े कामों के ठेके दिये जाते हैं अगर उन छोटी-छोटी पुलियों के लिये, नालियों के लिये और उन कामों के लिये पी० डब्लू० डी० को ठेके दिये जायें तो सोचें, उसमें कितना धन खर्च होगा और कितना काम हो पायेगा । यह कह देना कि वही काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट करती है तो वही काम प्रांतीय सरकार को करना चाहिए । यह मैं नहीं मानता हूं । उन सबका अलग-अलग क्षेत्र है, जो काम उनका है, जो उनकी जिम्मेदारी है और व्यवस्था है उसी के अनुसार काम होगा । अगर आपके कहने के अनुसार व्यवस्था कर दी जाय तो अन्त में वही बात आ जायगी । एक ही तरह के काम के लिये और हर काम के लिये पी० डब्लू० डी० को ठेके उठायें तो फिर उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से हो जायगी और वह एक विचारणीय बात है । इसलिये वह बात सही नहीं है । मैं यह कह रहा था कि यह संशोधन बहुत ही छोटा है और समय अधिक दिया जा रहा है । इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा और यही कहूंगा कि वह समय न लेकर और दूसरे विधेयकों में लगाया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । इसलिये यह जो प्रवर समिति भेजने का संशोधन रखा गया है, वह आवश्यक नहीं है । इसलिये इसको वापस ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा । अंत में, मैं यही कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाय । इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं ।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने संकटकालीन स्थिति की आड़ में बड़ी-बड़ी दुहाई दी है । मैं सारे शब्दों में यही कहूंगा कि चुनाव बहुत अच्छी चीज है और चुनाव में ऐसा विधान होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति चुनकर आयें । अभी आपने देखा है कि ब्लाक के चुनाव हुए । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतापगढ़ और रायबरेली में यदि आप गंभीरता से देखें तो आपको मालूम होगा कि सत्तारूढ़ दल ने नौकरियों के लालच देकर और पैसे के बल पर, भोजन के लालच के बल पर वहां चुनाव जीता है । आपको मालूम होगा कि सच्चे जनसेवकों का चुनाव में अभाव रहा है । जिस तरह के लोग आ रहे हैं उससे जिला परिषद में बहुत जबर्दस्त भ्रष्टाचार फैलेगा । मेरे जिले में बहुत रिश्वत चल रही है चुनावों के सिलसिले में । परन्तु यह सब ठीक नहीं है । उससे जिले भर की जनता को बहुत बड़ा असंतोष है । अगर इस प्रकार से चुनाव कराया गया तो हमेशा गलत व्यक्ति ही चुनकर आयेंगे । आम जनता को प्रलोभन में नहीं डालना चाहिये । वह सोती नहीं है वह तो काम देखकर ही व्यक्तियों को चुनती है । इसलिये आपकी यह चीजें उससे कदापि छिपी नहीं रह सकती हैं । इसलिये कुछ विशेष व्यक्तियों का चुनाव कराने से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा । यदि आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और सीधे ढंग से जिला परिषद् का कार्य करवाना चाहते हैं तो इस संकट की स्थिति की जो आप दोहाई दे रहे हैं इस समय आप कोई संशोधन ऐक्ट में न कीजिये । जिस तरह से आपने अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव कराया था, उसी तरह से आप कुछ कमेटियां बना लें और उनमें ४–४, ५–५ आदमियों को हर जगह से ले लें । अगर आप यह नहीं चाहते तो इस विधेयक को वापस ले लीजिये, इसको स्थगित कीजिये । इस संकटकालीन स्थिति की दुहाई देकर जो आप करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहते हैं उससे जिला परिषद् में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अगर आप जिलों का शासन अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं तो आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां जाने दीजिये और चुनाव कराइये। या आप सब जिलों के नेताओं को बुला कर हर जिलों में कमेटियां बनाइये। आज जिला परिषद् के अध्यक्ष लोग मनमानी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आज जो उनको वोट देने वाले हैं, उनके दलाल हैं, वे तो घर बैठे रहते हैं, जो उनके विरोधी होते हैं, उनको वोट नहीं देते, उनको २५ मील दूर भेज दिया जाता है। आज की संकटकालीन स्थिति में चीन को हमें दूर खदेड़ना है। यह बहुत बड़ा काम करना है। इसलिये ऐसे समय में आप इस विधेयक को वापस ले लीजिये या आप सब जिलों के नेताओं को बुला कर नयी कमेटियां का निर्माण कीजिये। यही मेरा सुझाव है। अधिक कुछ नहीं कहना है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री लखपतराम शर्मा--श्रीमन्, हमको भी समय दिया जायगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--दिया जायेगा।

*कुंवर श्रीपालसिंह---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही निवेदन करना चाहता हूं। अखबारों में जब मैंने पढ़ा और जो इत्तला मिली उससे यह मालूम हुआ कि संकट-कालीन बैठक होगी इस सदन की। जीवन में यह पहला चान्स था सुनने का। इसे देखने की हृदय में बड़ी उत्सुकता थी कि कैसी बैठक होगी, क्या होगा, और यह समझता था कि कोई ऐसा कार्य होगा जो कि संकटकालीन स्थिति से पहले नहीं होता था। सोचा था कि कार्य करने का ढंग भी कुछ दूसरा होगा। परन्तु यहां आने पर, देखने को मिला कि वही ढ़ाक के तीन पात हैं जो पहले थे।

श्रीमन्, मैंने पूछा कि इस विधेयक को लाने की इस समय क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या इस विधेयक के जरिये हमारे सिपाही चुने जायेंगे ? कौन सी हमारी सीमाओं की इससे रक्षा होगी ? कौन से लेफ्टीनेंट या कैप्टेन चुने जायेंगे ? श्रीमन्, इसकी आज कोई आवश्यकता नहीं। इस विधेयक के आने से आज इस हाउस की सीरियसनेस खत्म हो गयी है। जो आज परिस्थिति हमारे सामने है उस पर हमें विचार करना चाहिये, उस पर सोचना चाहिये। उसके लिये हमें जागरूक होना चाहिये और देश और प्रदेश की जनता को उसके लिये तैयार करना चाहिये। इस किस्म की चीज सदन के सामने रख कर और इस संकटकालीन स्थिति का नाम लेकर, चुनाव कराने की कौन सी आवश्यकता थी ? अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव ४ महीने के बाद हो जायगा तो कौन सा आसमान गिर जायगा, जमीन फट जायगी। लेकिन एक चीज खामख्वाह हो की जायगी। हर परिस्थिति से कुछ न कुछ फायदा उठाने की कोशिश की जायगी। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे बहुत दुःख है, जिसकी वजह से मैं यह निवेदन कर रहा हूं। सरकार ही नहीं, यहां कोई भी मुझे तो ऐसा दिखायी नहीं देता है जो संकटकालीन स्थिति से फायदा न उठाना चाहता हो। हम लोग भी उठाना चाहते हैं और सरकार भी उठाना चाहती है। यह बहुत गलत बात है। संकटकालीन स्थिति के बारे में किसी पक्ष वाले भी सीरियस दिखायी नहीं देते हैं। सब लोग इन कुर्सियों के लिये ही सीरियस दिखायी देते हैं कि यह कुर्सी कैसे सलामत रहे, न उनको देश की फिक्र है और न प्रदेश की। चाहे इधर के हों या उधर के, सब अपनी-अपनी घात लगाये बैठे हैं। लेकिन हम दोनों में से एक भी यह नहीं सोचता कि वह तीसरा जो हम सब पर नजर लगाये हुए है, वह अगर आ गया तो न हमारी कुर्सी रहेगी और न उनकी, न हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करा सकेंगे और न वे। अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह की चीजों को फौरन उठा लेना चाहिये। इस समय तो हमें यह देखना है कि जिससे हम जूझ रहे हैं उसके लिये हमें क्या-क्या करना है। मैं जानना चाहूंगा कि इस विधेयक से सरकार को कितनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

आमदनी होगी, कितने बूंद खून उसको मिलेगा, कितना सोना उसको मिलेगा, कितने जवान मिलेंगे, सिवाय इसके कि थोड़ी सी हाय-हाय यहाँ मचे। इसलिये चुनाव वाले विधेयक की इस समय यहां कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय तो हमारे देश के ऊपर जो संकट है उसके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये, कुछ इस किस्म की चीजें करनी चाहिये जिनसे देश की रक्षा हो सके, लेकिन इससे कि चुनाव प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों, क्या समस्या हल होगी ? कौन चुनाव में जीते, कौन कुर्सी पर बैठे, यह तो केवल इसी के लिये है। लेकिन कुर्सी भी तभी सलामत रहेगी जब देश रहेगा। अगर देश न रहा तो किसकी कुर्सी सलामत रहेगी ? मेरी समझ से यह कुर्सी के लिये लड़ने का समय नहीं है। अगर हमने इस बात को न समझा तो आपत्तिकालीन बैठक बुलाने की जो सीरियसनेस थी, वह समाप्त हो जायगी। अगर चार रोज और सदन चल गया तो इस आपत्तिकालीन स्थिति में भी वह स्थिति आ सकती है जब आपको लोगों को इंगित करके निकालना पड़ेगा। यह आगे चल कर आपको मालूम होगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि अनावश्यक कार्यों को तुरन्त स्थगित कर दिया जाय और जो जरूरी काम है, जिनके लिये वास्तव में यह कहा जा सकता है कि उनके बगैर देश की रक्षा नहीं हो सकती, उनको ही लिया जाय और २–४ दिन में ही सदन को खत्म कर दिया जाय। ज्यादा दिनों तक सदन को बैठा कर खर्चा करना ठीक न होगा। उस तरह से जितना रुपया हम यहां पर खर्च कर देंगे उतने रुपये से हम कम से कम १००–५० जवानों को वहां भेज सकते हैं, उनको तनख्वाह दे सकते हैं, उनके लिये कपड़े भेज सकते हैं.....

(इस समय अध्यक्ष दीर्घा से तालियों की आवाज होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष––दर्शकों को किसी प्रकार का भी शोर नहीं करना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह––श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन की बैठक को किसी भी बात के लिये प्रोलांग करना आज अनावश्यक है और जो हमारा लक्ष्य है उससे अपने को दूर करना है। यदि हमारा लक्ष्य सही नहीं रहा तो, मैं आपसे सत्य निवेदन करता हूं कि, हम लोग भी नहीं रहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी चीज है जिससे हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, तो वह हमारा आत्मबल है। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से अगर हम हट गये, हमारा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया तो हमारा देश कहां रहेगा, इसको भगवान ही जाने। इसलिये मैं सरकार से और विरोधी पक्ष से भी निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप अपने स्वार्थों को छोड़ें। देश सबसे बड़ा है, हम रहें चाहे न रहें, हमारे रहने या न रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर देश गया, हमारी शान गयी, हमारी इज्जत गयी तो हम संसार में भी नहीं रह जायेंगे। अगर इस तरह के अनावश्यक विधेयकों को आप लायेंगे तो ख्वामख्वाह के लिये एक वितंडावाद खड़ा होगा और लोग बोलने की कोशिश करेंगे दोनों पक्ष से और सदन का समय जाया जायगा तथा खर्चा भी बेकार होगा, जिसे हम इस संकट के काल में बचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस समय व्यर्थ के लिये समय और ऐसे पैसे को खर्च करना देश के लिये अहितकर है। इसलिये इस किस्म के जितने भी अनावश्यक विधेयक हैं उनको दो चार छः महीने के लिये स्थगित रखा जाय और अपनी सारी शक्ति को चीन का मुकाबला करने में लगाया जाय। यदि हमारा देश रहेगा तो इस तरह के पचासों विधेयक हम पास कर लेंगे। इस वक्त तो हमारा केवल यही लक्ष्य होना चाहिये कि हमें चीन से निपटना है और उससे निपटने के लिये आवश्यक है कि ये सब विधेयक वापस लिये जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र––इस समय सरकार किस की है, इसे भी तो आप देखें।

कुंवर श्रीपालसिंह––जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, आज मैं किसी भी सरकार को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो आज उसी को सरकार मानूंगा जो चीन की आंखें निकालने के लिये तैयार होगा। बिना मतलब के विधेयक लाकर इस समय अपने लक्ष्य से दूर

रखने की बात अगर सरकार द्वारा की जाती है तो मैं उसे सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अखबारों में दिया गया है कि सदन की जो यह बैठक बुलायी गयी है वह संकटकालीन है, लेकिन आज यहां कौन-सी संकटकालीन स्थिति दिखलायी पड़ती है? इधर के बैठने वाले हों या उधर के, किसी में भी सीरियसनेस नहीं दिखलायी पड़ती है। इसलिये इस समय मैं किसी भी सरकार को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस समय अगर कोई सरकार है तो वह भारत है, पूरा देश है, यहां का एक-एक बच्चा-बच्चा सरकार है, यहां का हर आदमी सरकार है, हम और आप सभी सरकार हैं। जो इस समय देश की रक्षा करेगा वही सरकार है। इसलिये मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि फौरन इस विधेयक को वापस ले और इस किस्म की चीजें सदन के सामने न लावें जिससे वितंडावाद खड़ा हो। जो आवश्यक चीजें हैं उसे ही सरकार को सदन के सामने लाना चाहिये और उसे जल्दी से जल्दी पास करा कर, जितनी जल्दी हो सके, इस आपत्तिकालीन बैठक को समाप्त कर देना चाहिये, क्योंकि इस पर जितना खर्च होगा उसको बचा कर हम देश का अधिक हित कर सकते हैं।

*श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज इस विधेयक पर जो वादविवाद हुआ उसमें हर प्रकार के लोगों ने अपनी-अपनी राय जाहिर की। कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की बातें भी कही गयीं। समझ में नहीं आता कि क्षेत्र समितियों के जितने भी मेम्बर हैं वे गांव पंचायतों के करीब-करीब प्रधान ही चुन करके आते हैं और थोड़े से कोआप्ट भी किये जाते हैं और वे भी प्रधानों के द्वारा ही कोआप्ट किये जाते हैं। प्रधान गांव का सही नुमाइन्दा होता है। हम लोग विधान सभा की मेम्बरी के लिये खड़े होते हैं, पार्लियामेंट के लिये खड़े होते हैं, तो हमारे पास-पड़ोस के लोग हमारे व्यक्तित्व और हमारे चरित्र के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के लोग हमारे बारे में ज्यादा नहीं जान सकते हैं। लेकिन गांव के प्रधान के बारे में गांव का बच्चा-बच्चा जानता है कि उनका चरित्र कैसा है, वह कैसा व्यक्ति है। हमारी गांव पंचायतों के चुनाव में एक खामी पहले थी जब कि खुला मतदान होता था। उस समय जोर-जब्र से लोग प्रधान बन जाते थे लेकिन अब जब से बन्द मतदान हुआ है अब ऐसा नहीं होता। तो हम कैसे मान लें कि वह निकम्मे, पक्षपात वाले या गलत आदमी होते हैं जबकि बालिग मताधिकार से बन्द चुनाव होता है। उनके द्वारा ही क्षेत्र समितियों के मेम्बर चुने जाते हैं। हमारी जिला कौंसिलों के लिये मेम्बर चुने जायेंगे और जो प्रमुख चुने जायेंगे वह भी एक्स-आफिशियो मेम्बर होंगे। ऐसी दशा में चुनाव के तरीके पर आरोप लगाना निराधार है।

गोंडा के अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में बहुत गलत सही तरीके से उधर के माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है। उसके सम्बन्ध में उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में। जब से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उस के बाद। एक माननीय सदस्य का मैं नाम नहीं लूंगा, वह हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने गये। जांच की बात कई बार कही गयी, मैं भी चाहता हूं कि जांच कराई जाय। मैं जानता हूं कि चेयरमैन होने से पहले उनके पास क्या सम्पत्ति थी, उनके पास केवल ५ दस एकड़ जमीन और १-२ भैंसा या बैल थे जब कि आज उनके पास लाखों की सम्पत्ति है, ४-५ सौ एकड़ जमीन है और कई कोठियां हैं। यह सब इतने समय में कहां से आगई, २०० रुपये के अलाउन्स से यह सारी सम्पत्ति कैसे खड़ी हो गई?

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहर के जिले से मेम्बर बनाये गये। जो हमारे जिले के प्रतिनिधि बन गये वह बाहर के रहने वाले थे लेकिन हमारे जिले से वह संसद के लिये चुने गये और इसीलिये वह हमारे जिले से वोटर माने गये। देवरिया बस्ती से लाकर वोटर बनाया गया। मैं उन्हीं का नाम बताना चाहता हूं कि जिन को गलत तरीके से वोटर बनाया गया और पक्षपात किया गया। एक तो रामेश्वर सिंह, देवरिया के एम० एल० सी० हमारे यहां मेम्बर बनाये गये और रामगरीब जो जो बस्ती जिले से संसद के सदस्य थे उनके नाम थोड़ी-सी जमीन पट्टे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शीतलप्रसाद]

पर देकर उनको यहां का नागरिक बनाकर मेम्बर बनाया गया और वोट लिया गया। लेकिन फिर भी गलत आरोप वह लगाते हैं। गैर जिले से लाकर वोट लिये गये जब कि वह हमारे जिले के प्रतिनिधि थे। उसके लिये हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया लेकिन फिर भी उसी आरोप को वह यहां रखते हैं जिसकी कि हाई कोर्ट तक ने कोई सुनवाई नहीं की।

दूसरे मुझे यह कहना है, यह मैं जरूर मानता हूं कि हमारे यहां जब कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन चुने गये और उन्होंने कुछ टेंडर टाट-पट्टी और दूसरे सामान के लिये दिये थे, लेकिन टेंडर के बाद ही वह हट गये थे और बाद में सामान खरीदा गया और चेक रुका और तरह-तरह की कोशिश की गई रुपया लेने की। यह तमाशा हुआ जबकि उनकी पार्टी के चेयरमैन थे, बराबर यही होता रहा फिर भी वह आरोप लगाते हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि अध्यापक बरखास्त किये गये और उनसे दो-दो सौ रुपया लिया गया। यह बात इसलिये भी समझ में नहीं आती कि उन्हीं के जमाने में जितने भी अध्यापकों की नियुक्ति हुई जब कि ३०० की जरूरत थी उनके पूरा करने के बाद भी जब हाई कोर्ट का फैसला हुआ और वह मेम्बर नहीं रह गये। १५ से १७ तारीख में ३०० अध्यापकों की नियुक्ति गलत तरीके से की गई। जो आरोप उन्होंने दूसरे पर लगाया उसी ढंग से उन्होंने भी काम किया। अध्यापकों से नाजायज पैसा लेकर परवाना दिया गया जब कि कोई एडवरटाइजमेन्ट नहीं हुआ। इस तरह के गलत आरोप लगाते हुए जरा भी शर्म नहीं आयी। मैं चाहता हूं सरकार इसकी जाँच करे कि किसने गलती की, पहले वाले चेयरमैन ने या जो बीच में आये उन्होंने ? मैं चाहूंगा सरकार इन सब मामलों की जांच कराये। हमारे यहां ऐंग्लो टाइप के स्कूल चल रहे थे जहां जूनियर हाई स्कूल थे, उनको अनावश्यक समझ कर कांग्रेस के चेयरमैन ने स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन दूसरे सज्जन के आते ही वह अध्यापक फिर भेज दिये गये। बिलसर ग्राम में ऐसा स्कूल चल रहा था ३, ४ अध्यापक भेज दिये गये, लेकिन एक भी बच्चा नहीं था। तो जो टीचर्स को तनख्वाह दी गई वह बेकार नहीं गई ? अतः इस तरह के गलत आरोपों की जांच करायी जाय और जो दोषी हों उसको दंडित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय लखपतराय शर्मा जी, ५ मिनट माननीय लोकपाल सिंह जी बोल लें उसके बाद आप बोलें।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—श्रीमन्, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में जो कुंवर श्रीपालसिंह जी ने कहा मैं उन शब्दों का समर्थन करता हूं। उनका भाषण सुन कर मुझे एक शेर याद आ गई। "हमदम चमन की फिक्र कर, न कि आशियां पर मर, है रहमें खुदा जो कि हवा बन्द हो गई।" आज हमको विचार करना है। दोनों तरफ के सदस्य यह भावना लेकर आये हैं कि हम संकटकालीन समय में मिलें। एक महान कवि ने कहा कि "उत्तर प्रति उत्तर के दिये होत क्रोध ज्ञान ही के हिये"। हमको आज मिल कर चलना है। यदि कोई चीज प्रस्तुत होती है तो हम दोनों उसका उत्तर प्रति उत्तर देते हैं। इस प्रकार हम लोग मिलकर नहीं चल सकते। आवश्यकता तो आज है कि मिल कर चलें और अपने वीरों का गर्जन सुने, न कि पारस्परिक विवाद को सुने। ७५७ साल पहले गोरो हमारे पारस्परिक विवाद को सुन कर यहां आया। चीन के हृदय में भी हौसला बढ़ेगा अगर उसको हमारे पारस्परिक विवाद की बात पता चलेगी, जो छुप नहीं सकती क्योंकि यहां पंचमांगी है, जो खबर वहां तक पहुंचाते हैं और इस आपस की फूट का दुष्परिणाम निकलेगा। हमेशा संकटकालीन समय में एकता की आवश्यकता होती है।

मैंने दुर्योधन के इतिहास को पढ़ा। एक बार अर्जुन को अभिमान हुआ कि मैं संसार का सबसे बड़ा वीर और विजयी हूं। कृष्ण ने कहा, मैं नहीं मानता। चलो, एक वीर दिखलाऊं। वह ले गये वहां जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ था क्षत विक्षप्त हो कर और चील कौवे चाह रहे थे कि उसकी अतड़ियों को खा जायं। दुर्योधन बैठा हुआ अपने कंधों से मूछों को मरोड़ता था। फिर गर्जना करता था और हंसता था। अर्जुन और कृष्ण दोनों ब्राह्मण का वेश रखकर पहुंचे और पूछा कि आपके गरजने और हंसने का कारण क्या है? दुर्योधन ने कहा कि जब तक मैं यहां रहा मैंने युधिष्ठिर को राजा नहीं बनने दिया। स्वर्ग का राजा भी मैं ही जाकर बनूंगा। मेरे गरजने का कारण तो यह है। हंसने का कारण यह है कि यद्यपि मेरा सब राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया परन्तु फिर भी मेरे साथियों में से किसी ने यह नहीं कहा कि दुर्योधन पर मुझे अविश्वास है। सब मेरे पर विश्वास करते हुए आत्मसमर्पण करते चले गये। लिहाजा जो आज राज्य करने वाली पार्टी है उसको जरूरत है कि वह हमारे सहयोग को प्राप्त करे। दुर्योधन की भावना कितनी बुरी थी लेकिन किसी ने उससे असहयोग नहीं किया, हंसते हंसते मर गये। जब कोई प्रश्न आता था और कोई उसमें परिवर्तन करना चाहता था तब कहा जाता था:—

के यूयं प्रतिषेद्धारो धर्म राजस्य शासनम्

या वह कहता था,

आज्ञा भंगो नरेन्द्राणाम्

उसके साथी कहते थे कि तुम कौन हो, महाराज की आज्ञा में परिवर्तन लाने वाले। तो जिस राजा की यह मनोवृत्ति थी वह भी हर्ष के साथ मरा। कारण यह था कि उसके साथी उसमें विश्वास करते थे। लिहाजा आपके साथी भी आज आप में विश्वास करें तो इससे ज्यादा गौरव की बात दूसरी नहीं हो सकती।

युधिष्ठिर महाराज की बात याद आती है, जब यक्ष दुर्योधन को पकड़ कर ले गये तो भीमसेन हंसने लगे; परन्तु युधिष्ठिर को भीम का हंसना रुचिकर नहीं हुआ, वे बोले, भीम! यह दुर्योधन का ही अपमान नहीं है, उसके यक्ष द्वारा पकड़े जाने में अपना भी अपमान है। सोचो—

वयं पंचः वयं पंचः वयं पंचः शतंचते।

अन्येसः विवादेषु वयं पंचोतरं शतम्।।

दूसरे हम लड़ना चाहते हैं तो हम एक से पांच हैं वैसे हम ५ हैं, और वह १०० हैं। आज हम विभिन्न पार्टीज से हैं लेकिन चीन से लड़ने के लिये हम सब एक हैं। हमें यह देखना है कि पारस्परिक मतभेद हमें भूलने हैं। आप देखिये कि हमारा स्तर गिरे नहीं। सत्तारूढ़ पार्टी अब केवल सत्तारूढ़ रहने की ही बात न सोचे, देश हित की बात को सोचे, जो हरा हुआ वृक्ष है वह झड़ा जरूर है। जो जला है वह बुझा जरूर है। "धरा को प्रमाण यही तुलसी जो हरा सो झरा जो बरा सो बुताना" कृपया आप—

तन दे, धन दे

आज सर्वस्व दे दो। लाज भी दे दो, देश के लिये। आज उसी वीर की प्रशंसा होगी। इतिहास उसी का लिखा जायगा जिसके खून से यह वसुंधरा रक्त-रंजित होगी। मेरे परिवार के ६० लड़के सीमा पर लड़ने गये हुए हैं। कई मारे भी जा चुके हैं। मेरे हृदय में वेदना नहीं है। मेरे हृदय में हर्ष है। मैं तो यही उचित समझता हूं कि उत्तर प्रत्युत्तर का आज समय नहीं है। आज सब संगठित हो जायं। अपनी लाज आप दे डालिये राष्ट्र के लिये, देश के हित के लिये, अपने जीवन के लिये, विजय के लिये। आपकी हुंकार से दुश्मन भयभीत हो जाते थे। सब राग द्वेष छोड़कर, अपने झगड़ों को भूल कर

[श्री लोकपालसिंह]

एक ही झगड़े में जुट जाओ। महाराणा के आदर्श को ध्यान में रखकर आगे बढ़ो, देखो उसके खडग पकड़ते ही,

चीखते थे हाथी हय हींसते थे बार बार क्षत्रियों का हल्ला सुन रल्ला मच जाता था।
कट कट रुन्ड-मुन्ड झक मारते थे, झट्टपट्टवीरता का झन्डा गढ़ जाता था।
हेकड़ों की हेकड़ी दबा के दुम भागती थी, दुश्मन का सार मद मान झड़ जाता था।
लेकर स्वतंत्रता की तेज तलवार जब, प्रणवीर प्रवल प्रताप अड़ जाता था।

यह हमारी मान्यता होती। इस प्रकार पारस्परिक झगड़ों में फंसे रहेंगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आज हमको जरूरत है ऐसी ओजस्वी बातों की ताकि हम सब के भावों को जाग्रत करें, न कि उत्तर प्रत्युत्तर दे कर हम अपने हृदय की शान्ति खो डालें। आज संकटकालीन स्थिति को देखते हुए हमें जरूरत है कि हम ऐसे ही भाषण करें कि लोगों के हृदय जोश से उमड जायं। जो कुछ भी हो, चाहे कितना ही त्याग करना पड़े, देश की रक्षा के लिये हम सब कुछ करेंगे। अंग्रेज चला गया। हमको अंग्रेज की अंग्रेजियत का अनुशीलन नहीं करना है।

मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल राजा साहब के शब्दों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ था। मैं तैयार भी नहीं था। मेरी भावना है कि आज सब पार्टियां अपने द्वेष को छोड़ दें। आज हमको चीन को दिखला देना है कि हम संगठित हैं, संगठित हैं, संगठित हैं और यह आवाज गूंज जाय कि हममें महान बल है, महान साहस है। हम अपनी सतारूढ़ पार्टी से भी विनय करते हैं कि वह भी देश के ऊपर कृपा करे और इस संकटकाल को टाले, चीन की गर्जना बन्द हो जाय, हमारा अट्ठहास दुनिया में फैल जाय। यह वह भारत है संसार ने जिसका लोहा माना है और आज भी इस भारत का नाम अमर इतिहास में लिखा जाय। मैं आशा करता हूं कि सब लोग ऐसे विधेयकों का पारस्परिक समझौता द्वारा निपटारा कर लेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी सतारूढ़ पार्टी ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत नहीं करेगी।

यही विचार रखते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक पेश हुआ प्रवर समिति के समक्ष भेजने के लिये उस पर एक प्रस्ताव है। इस समय जो यहां कार्यवाही चल रही है देश की आंख उस पर लगी हुई है और इसलिये लगी है कि संकटकालीन परिस्थिति में यह मीटिंग बुलायी गयी। लेकिन जिस प्रकार का विधेयक सामने आया और दिन भर उस पर चर्चा चली उसको देखते हुए, यह महसूस होता है कि हमारा सत्तारूढ़ दल शायद आज देश पर संकट नहीं समझ रहा है, बल्कि संकट अगर समझा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी पर समझा जा रहा है। इसका प्रमाण सामने है कि जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ है देश के बड़े-बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, रात को सोना और दिन को खाना तक भूल चुके हैं उस समय ऐसा विधेयक लाना जनता के साथ मजाक करना है। यह भी साबित इस बात से है कि आज सत्ताधारी दल को देश की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी उसे अपनी कुर्सियों की चिन्ता है। लेकिन यह सही बात है कि अगर देश नहीं रहेगा, तो कहां गुप्त मंत्रिमंडल कार्य करेगा और कहां विरोधी पक्ष बैठेगा। आज किसी दल का सवाल नहीं रहा है। आज देश के नाम पर मरने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले हिन्दुस्तानी है और बाद में किसी पार्टी का सवाल होगा। देश रहेगा तो दल और राजनीति रहेगी। लेकिन दुःख की बात है कि इस प्रकार का विधेयक यहां रखा जाता है। आज सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी यह जिम्मेदारी है कि देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों का कहां तक यह पालन

करती है उसको देखे। एक जमाना चन्देरी के इतिहास में हम पाते हैं कि वहां पर उस जमाने में जो हिन्दू शासक थे वह ब्याह करने के बाद अपनी पत्नी के प्रेम में इतने लिप्त हो गये कि राजपाट सब भूल गये। उस समय देहली के मुस्लिम बादशाह ने चन्देरी की तरफ आंख लगायी और जब उसने चन्देरी पर हमला कर दिया तब भी उसने कोई परवाह नहीं की और रानी के प्रेम में महलों की चहारदीवारी में कैद रहा। जब मुस्लिम बादशाह की फौजें चन्देरी में प्रवेश करने लगीं तो हिन्दू रानी ने देखा कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनको चन्देरी की कोई फिक्र ही नहीं है। तब उसने राजा से विनती की कि वह युद्ध की पोशाक पहने। राजा साहब युद्ध के मैदान में गये लेकिन जब वह किले के बाहर निकले तो बराबर घूम घूम-कर रानी की तरफ देखते जाते थे। रानी ने जब यह देखा कि आज चंदेरी की लाज खतरे में है, आज मां पर संकट आया है तो उसने अपनी प्रिय बांदी को बुलाया और उससे कहा कि ऐ बांदी, तूने मेरा नमक खाया है। इसलिये आज जो मांगती हूं उसको बांदी तू पूरा करके दिखा। बांदी ने पूछा कि महारानी जी, आप क्या करने को कहती हैं, आप क्या चाहती हैं? बताइये तो मुझे क्या करना होगा?

श्री उपाध्यक्ष---शर्मा जी, आपका भाषण लिखा नहीं जा रहा है। लिखने वालों को दिक्कत हो रही है।

श्री लखपतराम शर्मा---श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि जिस समय बांदी ने पूछा कि महारानी जी क्या हुक्म है इसको सुनकर रानी ने कहा कि बांदी आज हमारे देश चंदेरी पर संकट छाया हुआ है और देश का शासक मेरे प्रेम में इतना उलझा हुआ है कि वह मेरे प्रेम के सामने देश को जहन्नुम में भेजना चाहता है। इसलिये मां की लाज की रक्षा के लिये तुम मेरा सिर काट लो और एक थाल में रखकर सुन्दर कपड़े से ढककर किलेदार के पास ले जाओ और उससे कहो कि रानी ने अपनी अमूल्य भेंट, जो वह राजा को देना भूल गई थी, राजा के पवित्र चरणों में भेजी है। उधर राजा बार-बार पीछे मुड़ कर देखता था तो उसको रानी का सुन्दर चेहरा दिखाई नहीं पड़ता था। इससे राजा और भी परेशानी में था। जब किलेदार रानी की अमूल्य भेंट को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने किलेदार से पूछा कि क्या दुश्मन ने किले पर पीछे से हमला कर दिया है। किलेदार ने कहा कि नहीं राजन्, ऐसी बात नहीं है परन्तु महारानी जी सबसे अमूल्य भेंट देना आपको उस समय भूल गई थीं। इसलिये मैं आपके पवित्र चरणों में वही महारानी जी की अमूल्य भेंट देने आया हूं। जब थाल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने बड़े प्रेम से कपड़े को उठाया तो रानी का सुन्दर चेहरा उसमें दिखाई दिया जिसके प्रेम में वह बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और उसके सामने उसको कुछ दिखाई नहीं देता था।

इसके पश्चात् वह युद्ध के मैदान में गया और पराक्रम के साथ शत्रु की सेनाओं के साथ युद्ध किया और अन्त में मुगल बादशाह की फौज को परास्त किया और उसको चंदेरी से खदेड़ दिया। यह इसलिये हुआ कि हमारी महारानी ने सोचा कि राजा मेरे प्रेम में जकड़ा हुआ है और यदि मैं जीवित रहती हूं तो राजा युद्ध में अवश्य पराजित होकर आयगा और चंदेरी सदैव के लिये गुलाम हो जायगी। इसलिये मैं अपनी मां की इज्जत बचाने के लिये, अपने राष्ट्र की इज्जत बचाने के लिये अपने आपको बलिदान कर दूं। इसलिये राजा मेरे प्रेम को छोड़ दे और देश की इज्जत को बचाने में प्राणपण से लग जाय। यह हमारे देश का इतिहास है। यह हमारे राजा का कर्त्तव्य है और यह हमारे यहां की स्त्रियों का कर्त्तव्य है। लेकिन हमारे सत्ताधारी मर्द होते हुये भी देश की उन्हें चिन्ता नहीं है। उनको तो चिन्ता इस बात की है कि कौन-सा विधेयक रखें जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो। उनको आज कांग्रेस पार्टी की ही अधिक चिन्ता है।

मैं एक चीज इस आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह यह कि हमारे माननीय सभासचिव और मंत्री जी अगर इस बात का सदन को विश्वास दिला दें कि इसमें

[श्री लखपतराम शर्मा]

कोई राजनीति दांव-पेच नहीं है और इसमें कोई बात किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं होगी। अब तक का इतिहास बताता है कि जहां कहीं भी नामजदगी का सवाल होता है तो जिला अधिकारी कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही अधिकतर रखते हैं। इसलिये हम सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत बनाने के लिये तो कोई चाल नहीं चली जा रही है, इसके लिये कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है, जिससे देश के साथ विश्वासघात किया जा रहा हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सदन के सामने ईमानदारी के साथ इस बात को रख दिया जाय कि किसी राजनीतिक पार्टी के दल के लोगों की नामजदगी में पक्षपात नहीं किया जायगा। यदि यह हो जाय तो फिर चिन्ता की बात नहीं।

आज इस संकटकालीन स्थिति को देखते हुये आवश्यकता इस बात की है कि देश को बचाने के लिये सरकार को सबका विश्वास और सहयोग प्राप्त करना चाहिये, आज देश में कांग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजा समाजवादी, कम्युनिस्ट और किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि देश के राष्ट्रनायक माननीय नेहरू जी ने और चन्द्रभानु गुप्त जी ने अपने जीवनकाल में यह कभी न सोचा होगा कि जनता इतना आगे आ चुकी है और हर तरह का बलिदान देने के लिये तैयार है। जिनके पास आज खाने को नहीं है वे भी देश के लिये खून दे रहे हैं। मैं एक मजदूर पिछड़ी बस्ती से आया हूं। मैंने लोगों से रक्तदान देने के लिये कहा, तो नगरा बस्ती की तीन नौजवान लड़कियां भी आईं और उन्होंने कहा कि हमारा रक्त ले लीजिये। आप ने जिस बात की कभी आशा नहीं की थी वही चीज आज आपके सामने आ रही है। आज आप देश की गम्भीर समस्या को समझिये और पार्टीबाजी को जहन्नुम में दफना दीजिये। जब तक हमारे देश के ऊपर संकट है तब तक के लिये आप पार्टीबन्दी को बिल्कुल छोड़ दीजिये। मगर मैं आपकी यहां नीतिक संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि कांग्रेस के सत्ताधारी दल के लोग जब हार जाते हैं तो वे दूसरे पदों पर भेज दिये जाते है। चेयरमैन से लेकर मुख्य मंत्री के पद पर पहुंचा दिये जाते हैं। मैं झांसी की बात आपको बताऊं। मैंने लिख कर दिया था। बड़े गांव के क्षेत्र में करीब दो तीन साल होने को आये, चुनाव में वह व्यक्ति जीत चुका है, लेकिन चूंकि वह अपोजीशन का आदमी है, वह केवल कागज पर चुनाव जीत चुका है, उसको आज तक चार्ज नहीं मिला है क्योंकि इससे पहले जो व्यक्ति था वहां पर कहा जाता है कि गबन था। आज तक उसको चार्ज नहीं दिया गया। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या देश की रक्षा इसी तरह से होगी? अभी इसी हाउस में न्याय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने प्रश्न में पूछा था कि समथर टाउन एरिया के चेयरमैन के ऊपर गबन का मुकदमा चला था उसको वापस ले लिया गया? उत्तर मिला कि हां, मुकदमा चला था और अदालत से गबन का मुकदमा, जनता के हित में, वापस ले लिया गया। वह मुकदमा जनता के हित में वापस नहीं लिया गया। कांग्रेस पार्टी के हित में वह वापस लिया गया। इसलिये गबन का मुकदमा वापस ले लिया गया क्योंकि अभियुक्त का संबंध कांग्रेस पार्टी से था। झांसी में इंडस्ट्री कमेटी के लिये व्यापारी वर्ग के लोग तीन थे, लेकिन सीधा यहां से आदेश पहुंच गया इंडस्ट्रीज अधिकारी को और तीन कांग्रेस वालों को उसमें उनके स्थान पर कर दिया गया। इस तरह की चीजें करके देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। देश की सुरक्षा के लिये कोई जिम्मेदारी इस प्रकार नहीं समझी जा रही है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये सारे प्रयत्न हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जब देश नहीं रहेगा तो आप कहां रहेंगे? आज मैं कांग्रेस की बुराई करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, इसलिये कि घर की लड़ाई है। यह देश बचेगा तो हम आप से बाद में लड़ लेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसा कार्य किया जाय जिससे राष्ट्र मजबूत हो। जितने रुपये की जरूरत हो, उसको पूरा करवाइए। उसके अलावा रक्त भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा कराइये, मैं हाउस के सामने ईश्वर की शपथ खा कर कहता हूं कि जिस तरह से चंदेरी की रानी ने चंदेरी के लिये अपना सिर दे दिया था उसी प्रकार अपना सर भी मैं देश के लिये देने को तैयार हूं। लेकिन इन नापाक तरीकों से काम न लीजिये, भारत माता के नाम पर, देश के नाम इन बिलों को उठा कर फेंक

दीजिये। हमको संकटकालीन अधिवेशन में बुलाया जाता है लेकिन यहां रखा क्या जाता है ? जिला परिषदों में नामजदगी करके सरकारी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। जिला परिषद् में नामजदगी करके चीनियों को थोड़े ही रोक देंगे। इस समय जरूरत है देश को बचाने की। देश को कौन बचायेगा ? देश का रहने वाला ही, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो, ईसाई या पारसी। जब तक सब मिलकर देश को नहीं बचायेंगे तब तक देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम लोग मतभेद को भूल जायं और कोई ऐसी चीज न करें जिससे जनता का मनोबल गिरे। आज परिस्थिति यह नहीं है कि हम आपस में लड़ें और एक दूसरे की बुराई करें। हम आपकी बुराई करने के लिये आज तैयार नहीं है। हमारा देश आज संकट में है। जिस प्रकार चाहिये आप साधनों का इस्तेमाल कीजिये लेकिन ऐसा कीजिये जिससे देश रसातल में न चला जाय, देश की रीढ़ न टूटे। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि भगवान के लिये आप इन बिलों को बन्द कीजिये। क्या देश की आजादी के लिये, चीन जैसे डाकू को भगाने के लिये आप यह नहीं कर सकते हैं ? चीन ने जो हमारी जमीन ले लिया है, उस पर अपना झंडा फिर से गाड़ने के लिये क्या आप एक होकर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं ? क्या इसलिये आप मंत्रिमंडल को मजबूत करने के लिये जिला परिषदों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अब आखिरी शब्द कहूंगा। आज मैं कुछ कहने के मूड में नहीं था। मैंने तो तैयारी की थी वह जो किसानों के ऊपर आप नया बोझ ला रहे हैं उसके ऊपर बोलने की। लेकिन कहना पड़ा इसलिये कि जब इस सदन के अन्दर मैं सब से पूर्व दाखिल हुआ तो सबसे पहले आपने ईश्वर की शपथ दिलायी संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिये। हिन्दुस्तान का अस्तित्व जब तक रहेगा, हिन्दुस्तान जब तक रहेगा तभी तक तो संविधान रहेगा। ईश्वर न करे, चीन के हाथ में यदि हिन्दुस्तान चला गया तो उस दिन यह संविधान कहां रहेगा। और आप कहां रहेंगे ? इसलिये जब हमसे संशोधन की शपथ दिलायी जाती है तो हमारा पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि आप भूले हुये हों, अन्धकार में हों तो आपको प्रकाश दिखायें, आपको रास्ता दिखायें। आपको सही रास्ते पर लायें। संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेने के बाद यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है.....

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त। अब एक घंटे से कम का समय रह गया है और आज इसको खत्म करना है इसलिये अभी.....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—दो तीन सुझाव मुझे देने हैं.....

एक सदस्य—पांच-पांच मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, दो मिनट आप ले लीजिये और दो मिनट आप ले लीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र समिति और जिला परिषद् संशोधन विधेयक जो सदन में पेश है इसके सिलसिले में मुझे विरोध करने के लिये खड़ा होना पड़ा। यह बिल वापस ले लिया जाय जिसके द्वारा बालिग मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को वापस किया गया है। क्योंकि जनतन्त्र के दुश्मन, माओ—त्से-तुंग, जनतन्त्र के दुश्मन ख्रुश्चेव, जनसंघ के दुश्मन जनरल अयूब, जनतन्त्र के दुश्मन जनरल नासिर, जनतन्त्र के दुश्मन विनोबा भावे, जनतन्त्र के दुश्मन जयप्रकाश नारायण और जनतन्त्र के दुश्मन पं० जवाहरलाल की कुभावनाओं को मूर्त रूप देने का यह कुचक्र मात्र है।

(व्यवधान)

डा० लोहिया तो जनतन्त्र के सजग प्रहरी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा संयत भाषा का इस्तेमाल कीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—संयत भाषा तो है ही। जहां तक इस संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि तीन साधारण चुनाव होते हैं, चौथा कैसे होगा खर्च बढ़ जायगा। यह साफ-साफ झूठ लिखा हुआ है। अब तक अपने मुल्क में दो साधारण चुनाव होते हैं—एक विधान सभा और लोक सभा का और दूसरा गांव पंचायत या प्रधान का। तीसरा कहां से आ गया कि चौथे का डर आ पड़ा? और मैं बताता हूं कि दो ही चुनावों से इस जिला परिषद् का प्रत्यक्ष चुनाव भी हो जायगा। गांव सभा के प्रधान का जब चुनाव कराते हैं उसी समय जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करा दीजिये, प्रत्यक्ष चुनाव से सारा झंझट मिट जायगा और अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रणाली है उससे जो नुकसान होने वाला है, वह खत्म हो जायगा। जहां तक खर्चे का सवाल है कभी भी जनतन्त्र को प्रशस्त करने के लिये जो खर्च की दलील दे वह सबसे बड़ा जनतन्त्र का दुश्मन है। जनतन्त्र को प्रशस्त करने के लिये जितना खर्च पड़े हमें करना और सहना चाहिये। और वही तानाशाही की तरफ जाने की बात है जिसके लिये मैंने कहा कि जनतन्त्र के दुश्मन वे लोग हैं जो बहस को बन्द करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र में जनता के द्वारा जो जनतन्त्र के अधिकार हासिल करते हैं उनसे जो गुनाह होते हैं जो गल्तियाँ होती हैं उनका मार्जन वोटर करता है, आम जनता करती है प्रत्यक्ष चुनावों में उसके विरुद्ध मत देकर अगर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा और आम जनता इससे जो पीड़ित होगी, उसके हाथ में तो एक ही हथियार होता है वोट का, वह इस संशोधन विधेयक के जरिये छिन जायगा, उसके छिन जाने पर वह कैसे अपने पीड़न्द को हटा सकेगी। कहीं भी इसका इशारा नहीं है। विरोध का सबसे बड़ा यही बुनियादी कारण है इसलिये मैं कहता हूं कि उपरोक्त जनतन्त्र के दुश्मनों की इच्छा की प्रतिमूर्ति यह संशोधन विधेयक और उसको मूर्त रूप देने का यह कुचक्र मात्र है। नापाक साजिश है।

जहां तक सवाल है इसका कि यह संकटकालीन अधिवेशन है? तो सरकार इसे संकट-कालीन समझे तब न। हमारे देवरिया जिले में भी एक दरोगा जी हैं, अपने को भी गाली देते हैं और दूसरों को भी गाली देते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि क्यों गाली देते हो, कहते हैं हमने अपने को भी तो गाली दे दी। इसी प्रकार कुंवर साहब ने जिसे दिया और सरकार दोनों पर दोष लगाया। सरकार तो संकट मानती नहीं है। सरकार को तो देश की रक्षा करनी नहीं है। उसे अपनी पार्टी और कुर्सी की रक्षा करनी है। संकट के नाम पर ऐसे विधेयक की क्या जरूरत थी? इसका इस समय कोई उपयोग नहीं है। जिला परिषद् विधेयक बना हुआ है, उसको उपयोगी नहीं समझा गया लेकिन खर्चे का भूत खड़ा कर आपने अमल में लाये बगैर संशोधन कर दिया गया। फिर पता नहीं कितने दिनों में चुनाव होगा फिर भी इस वक्त बिल को ले आया गया। जब कि संकटकालीन अधिवेशन इस अधिवेशन का नाम दे दिया गया है। इस समय इसको लाने की जरूरत नहीं थी। एक मात्र कारण संकट के नाम पर जनता के अधिकार छीनने की ही यह बात है और जनतंत्र के साथ दुश्मनी करना है। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। अस्तु: जो विधेयक आज यहां पर लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय ताकि वहां पर इस पर ठंढे दिल से विचार किया जाय। वह कांग्रेस संस्था, जो जनतंत्र के लिये पैदा हुई थी उसके जरिये जनतंत्र के ऊपर कुठार चलने जा रहा है। उसके उज्ज्वल इतिहास पर और सुनहरे इतिहास पर कहीं न लग जाय उससे बचाने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय कि हिन्दुस्तान के माथे पर यह कलंक न लगे और जिन्होंने देश की आजादी के लिये कुरबानी की हैं उनके ऊपर कलंक न लगे। इस कारण से मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जरूर जाय। जिससे जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक पेश हुआ है मैं उसकी मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हमारे दोस्त संकटकालीन स्थिति की घोषणा करते हैं कि संकट है तो इस संकटकालीन स्थिति में इस असेम्बली को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। हम तो यह समझते हैं कि इनको झगड़ा करने की तबियत थी इसलिये इन

लोगों ने अधिवेशन बुला लिया । एक महीने तक झगड़ा नहीं हुआ । अब उस झगड़े को करने के लिये बुला लिया गया । नहीं तो क्या जरूरत थी और इस बिल को इस समय लाने की क्या जरूरत थी । बुलाया था तो अच्छी बात करते और नया वातावरण पैदा करते जिससे नया प्रोत्साहन मिलता। कुछ धन एकत्रित होता यहां पर, तू, तू और मैं, मैं करके वातावरण को दूषित किया जा रहा है, मैं तो यही समझता हूं ।

दूसरी बात यह है कि हम लोगों को बुला कर असेम्बली का पैसा खर्च किया जा रहा है । देश का पैसा खर्च हो रहा है और हम लोगों का समय नष्ट किया जा रहा है । अगर बाहर होते तो कुछ हजार रुपया एकत्रित करके सुरक्षा कोष में देते । यहां बुलाकर हमारे सामने यह विधेयक पेश कर दिया गया ।

(इस समय ४ बजकर ४१ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इस संकटकालीन स्थिति में यह विधेयक पेश कर दिया गया कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के चुनाव कैसे हों और कौन लोग उसमें रहेंगे। इसकी क्या जरूरत थी। इस समय जब कि सुरक्षा का प्रश्न सामने है तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई । मैं क्या कहूं "हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ।" समझ में नहीं आ रहा है कि बिल की क्या जरूरत थी जब कि आजकल देश संकट में है और हम उसकी तैयारी में लगे हुये हैं और हम चीन से मुकाबला करना चाहते हैं । ऐसा मालूम होता है कि सरकारी दल के लोग यह चाहते हैं कि जो सन् १९६७ में चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस की सीट छिन न जाय इसलिये प्रजातंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप की तरफ धीरे-धीरे उनका कदम बढ़ रहा है । इसी कारण क्षेत्र समिति और जिला परिषद् में वह नामिनेट करेंगे । इस मायाजाल को रचकर लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करके अपने आप उन कुर्सियों पर बैठे रहना चाहते हैं । यह उनके सोचने का तरीका और यही वह सोच रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां आपने जिला अंतरिम परिषदें बना दी हैं उनमें आज क्या हो रहा है । एक दम भ्रष्टाचार है । चेयरमैन एक-एक टीचर की भरती के लिये एक एक लड़के से ३, ३ सौ रुपया ले रहे हैं । देवरिया जिले में हमारे चेयरमैन ने तो यह एलान कर दिया है कि बहती गंगा में हाथ धो लो । पता नहीं कब तक चेयरमैनी रहे। उनके विरोध में हमारे भारतीय जी, चन्द्रदेव जी और शिवप्रसाद जी गालियां ही देते रहे । वहां बजाय मीटिंग के गालीगलौज ही हुई । यह हालत है जिला अंतरिम परिषदों के चेयरमैनों की । आप भी उसी तरीके को अपना रहे हैं । अगर चुनाव कराना है तो आगे कभी आप विधेयक ला सकते हैं । लेकिन इस विधेयक में आपको कुछ और संशोधन कर के लाना चाहिये था । कम से कम जनता को वोट देने का अधिकार रहना चाहिये था। एक ऐसा तरीका आपको अपनाना चाहिये था कि जिससे जनता को उसके मौलिक अधिकार मिल सकें। मैं इसे प्रस्तुत संशोधन विधेयक की सख्त मुखालिफत करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि या तो इसे वे वापस ले लें अथवा इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण..

श्री अध्यक्ष—आप भूल गये ।

श्री लखीसिंह—बहुत दिन बाद बोल रहा हूं । यह ठीक है कि मैं भूल गया था । श्रीमन्, मैंने लगातार अपने जिले में सभायें कीं, सुरक्षा कोष के लिये अपीलें की और कुछ आया है मथुरा जिले से । ज्यादा शेखी नहीं मारता, लेकिन आया है । यहां आकर मैं देखता हूं और अध्यक्ष महोदय, मेरी गरमी को क्षमा करेंगे कि यहां आ कर देखने पर ऐसा लगता है कि रस्सी जल गयी मगर सरकार की ऐंठन नहीं गयी । मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि हमको कोई संघर्ष आपस में करना पड़े, लेकिन अगर इस समय कोई गैर जरूरी विधेयक सरकार ले आती है तो जरूर हम उसका मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे । सन् ४८ में जिला बोर्डों के चुनाव हुये थे, और तभी हमको बापू जी ने आजादी दिलवायी थी। उस वक्त ५ रुपये की मालगुजारी और १० रुपये के लगान वाले काश्तकार को वोट देने का अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

था । उस वक्त जिलाबोर्ड के चेयरमैनों के प्रत्यक्ष चुनाव हुये थे और मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर बना था । मैं तो निर्विरोध चुना गया था, लेकिन कांग्रेस टिकट पर कई लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा । वह जिलाबोर्ड चला । लेकिन अब हमारी सरकार की ऐंठ की बात हमारे सामने आ रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहूंगा कि इस अधिवेशन में कोई गैरजरूरी बिल नहीं आना चाहिये था । कुछ सदस्य यहां झोंक गये । मुझे झांकने की आदत नहीं । हां, यह जरूर है कि अगर चीन फिर धोखा देगा, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उसने उन लौटते हुये नौजवानों पर गोली दागी है । यह बड़ी शर्म की बात हुई । खैर, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे समय में इन विधेयकों की जरूरत नहीं थी । यह समय डंडी मारने का नहीं है उसकी जरूरत नहीं है । डंडी मारने से फतह नहीं होगी । यह पंडितों से फतह नहीं होगी । यह होगी हमारे नौजवानों के द्वारा जिन पर चीनियों ने लौटते समय गोली दागी थी । खैर, अध्यक्ष महोदय, अगर विधेयक आ ही गया है तो मैं इसका घोर विरोध करूंगा । मैं तो यही कहूंगा कि इस विधेयक की आज आवश्यकता ही नहीं थी । इसलिये इसको ठंडे दिल से वापस भेज दिया जाय और प्रवर समिति में इस पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---एक बात यह बता दें कि माननीय कल्पनार्थसिंह के प्रस्ताव पर आप बोल रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं और कृपया आप विषय पर रहें तो अधिक ठीक होगा ।

श्री लखीसिंह---मैं तो यही कहूंगा कि यह बहस एकदम बंद कर दी जाय और ज्यादा बहस करके समय नष्ट करना है । यदि माननीया मंत्राणी जी होतीं तो मैं एकाध बात और कहता । यहां पर माननीय बनारसीदास जी नहीं हैं मुझे उनसे बड़ा डर लगता है कि कहीं वह अपनी प्रक्रिया नियमावली का हवाला न देने लगे । यह आप जो विधान बना कर बार-बार तोड़ते हैं वह तानाशाही की ही निशानी है और गणतंत्र का गला घोंटने के समान है । लेकिन याद रखिये, हम तो गांधी जी के सच्चे चेले हैं और सिपाही हैं और उनकी आज्ञा का पालन किया है । इसलिये संविधान बनाकर उसको बारबार तोड़ना कहां तक उचित है इसको आपको विचार करना चाहिये। यदि आप ऐसा करते रहे तो मैं यही कहूंगा कि हमको बड़ी बेसब्री से १९६७ का इंतजार है । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूं । आज हमें इसके बजाय कम्युनिस्टों के विनाश के लिये बातें करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दोनों दिन मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुनी और ऐसा महसूस करता हूं कि इस कुर्सी की बड़ी कृपा रही है जिस पर कि आप विराजमान हैं और इस कुर्सी ने मेरा बोझ बहुत कुछ हल्का कर दिया है । जिस विषय पर बहस चल रही थी, उस पर तो बहस आई नहीं बल्कि चीन की ही बात ज्यादातर आई है । और बड़े-बड़े मन्सूबे बांधे गये, बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं, उसका मैं क्या जवाब दूं । विषयान्तर होने के कारण मुझे उन बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं । दो एक बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपके द्वारा इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मुख्यतया एक बात यह हुई कि उधर से माननीय कृष्णानन्दराय जी ने जयप्रकाश नारायण जी का उदाहरण दिया और उनकी बातों को कोट किया गलत तरीके से । अगर उनकी पूरी बात पर अमल किया जाय तो उनके मुताबिक तो यह सारी संसदीय प्रणाली ही गलत है । वे तो इस सारी प्रणाली के ही खिलाफ हैं और एक दूसरे तरह का लोकतंत्र चाहते है और इस ढांचे में न तो लोक सभा की आवश्यकता है और न राज्यसभा की आवश्यकता है, न विधान परिषद् की आवश्यकता है, न विधान सभा की आवश्यकता है । उसका तो ढांचा ही दूसरा है और जिस लोकतंत्र की वे कल्पना करते हैं उससे न माननीय कृष्णानन्दराय जी सहमत हैं, न उनकी पार्टी के लोग उसको पसन्द करते हैं, न पंडित नेहरू ही चाहते हैं । इसलिये माननीय कृष्णानन्द राय जी को जयप्रकाश नारायण जी को इस बहस में नहीं लाना चाहिये था । जब उनके सुझाव से हम सहमत नहीं है तो उनको कोट करना ठीक नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि यह इकाइयां जो होंगी वे नियोजन के लिये एक केन्द्रित इकाइयों के रूप में काम कर सकेंगी और इससे जो गांव सभायें होंगी,क्षेत्र समितियां होंगी,या जिला परिषदें होंगी, वे राजनीति से दूर रहेंगी और उससे दूर रहकर उनको काम करने का अवसर मिल सकेगा । इसलिये यह सरकार डाइरेक्ट चुनाव की जगह इन्डाइरेक्ट चुनाव की व्यवस्था कर रही है । मैंने यह माना कि इससे राजनीति गुटबन्दी को दूर किया जा सकता है, जैसा कि आपका कहना है, लेकिन वही यह बात निर्विवाद सत्य है कि आप फिर टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड आदि में यह चीज नहीं करते । जिला परिषद् के अध्यक्ष का टिकट आपकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया जाता है । फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप राजनीतिक गुटबन्दी को दूर करना चाहते हैं । यह सारी 'तिकड़म बाजी' है,.....

श्री अध्यक्ष---यह 'तिकड़मबाजी' शब्द अच्छा नहीं है, वह प्रायः पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं होता ।

श्री कल्पनार्थीसिंह---मैं सही कह रहा हूं, मैं समझता हूं माननीय राजनारायण ने यहां कई बार इस शब्द को कहा है, मैं जानबूझ कर उसका इस्तेमाल कर रहा हूं और अगर यह असंसदीय होगा तो मैं इसे वापस ले लूंगा ।

अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस उद्देश्य और विचारधारा को लेकर आप यह संशोधन लाये हैं उसमें स्वतः एक दूसरे से विरोधाभास है और विरोधाभास ही नहीं, उसके मूल आधार पर भी कुठाराघात करता है । मैं इन बातों को भावुकता में नहीं, जजबात में नहीं, बल्कि सोच समझ कर ठंडे दिल से विचार करने के लिये आपसे कहता हूं । यह सही है कि कांग्रेस जनतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है । मैं मंत्री जी के मुख से उन सिद्धान्तों को जरूर सुनना चाहूंगा जिनके आधार पर उन्होंने यह संशोधन विधेयक पेश किया है कि वे कहां तक मौजूं हैं । जितने तर्क मैंने दिये थे उनका उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने बयान में बतलावें कि इस बिल का आखिर आधार क्या है, यह कहां तक जनतंत्र का हामी है । मैं चाहता हूं कि वह मेरी बातों को काटे । जनतंत्र में यही होता है । मैं इसे उत्तम समझता हूं कि विचारों का आदान प्रदान हो । संख्या के बल पर आप जरूर इसे पास करा लेंगे लेकिन आप मेरे ऊपर एक नैतिक बन्दिश नहीं लाद सकते और मेरे विचारों को इस प्रकार बदल नहीं सकते । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---अध्यक्ष जी, इस संशोधन विधेयक पर ३१ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मैं उन सब भाइयों का आभारी हूं । लेकिन एक "संकटकालीन" ऐसा शब्द आ गया है जिसका सहारा लेकर उन्होंने दायें-बायें काफी देश की वर्त्तमान स्थिति में संशोधन विधेयक को गौण करके दूसरे प्रकार की बातें रखी । मैं उन सारी बातों का जवाब भी बाद में दूंगा लेकिन मैं पहले जो विधेयक के बारे में मुझे कहना है और जो सुझाव आये हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा ।

पंचायती राज जब हमारे देश में कायम हुआ और जब हमारे देश के नेताओं ने, प्लानिंग कमीशन के सदस्यों ने, देश के बड़े बड़े शिक्षाविद विशारदों ने, हमारी केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के लोगों ने, बैठ कर इस योजना पर विचार किया तो मैं आपसे सही कहूंगा कि हमारे भाइयों ने उस योजना का अध्ययन नहीं किया कि पंचायती राज्य की स्कीम क्या है । मैं जय प्रकाश जी का या बलवन्त राय मेहता कमेटी का बाद में नाम लूंगा । एक भाई ने तो कहा कि जवाहरलाल जी का भी जनतंत्र में विश्वास नहीं है । मैं नहीं जानता कि वही जनतंत्र के ठेकेदार हैं । लेकिन हमारी संसद में और असेम्बली में जो कुछ कहा जाता है, मैं क्षमा चाहूंगा, यह कहने के लिये कि संकटकाल का नाम लेकर आप एक ऐसा दूसरा संकट न पैदा करें जिससे साधारण जीवन की बातें सोचना असम्भव हो जाय । चीन की लड़ाई की बात यहां बहुत अधिक कही गई है । जिला परिषद् और आज गांव सभा बन गई । इसकी त्रिस्तरीय ढांचा यह है कि गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्

[श्री बंशीधर पांडेय]

ये तीनों पंचायती राज्य की इकाइयां हों इतनी ही बात नहीं है। आगे चल कर उसका एक विशाल रूप होगा। जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि उसकी आमदनी और कर्त्तव्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया लेकिन वह आगे चल कर सब इसी के द्वारा होने वाला है यह जो आज के जिला परिषद् हैं वे १९२२ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुये नहीं हैं जिनको अंग्रेजों ने बनाया था और जिनका कर्त्तव्य केवल मास्टरों का तबादला करना मात्र था। वह तो भानमती के कुनबे की तरह से कुछ इधर से लिया और कुछ उधर से और उसको कानून का रूप दे दिया गया। लेकिन आज के जिला परिषद् वैसे नहीं हैं। वे धीरे-धीरे तीसरी सरकार का रूप लेने वाले हैं। अभीतक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में कितने लोगों की संख्या अधिकारियों की थी। केवल एक टैक्स अधिकारी था, सेक्रेटरी था और अभियन्ता था और कौन सा अधिकारी था? लेकिन आज जिला स्तर पर २५ अधिकारी घोषित किये गये हैं और उनमें से जिला परिषद् के बहुत से अधिकारी हो जायेंगे। क्योंकि धीरे-धीरे हमारी यह मंशा है कि जिला स्तर पर उन्हीं लोगों से तो हमें योजना का काम लेना है। राजनैतिक विचारधाराओं के लिये तो विधान सभा और लोक सभा हैं वे अगर चाहेंगी तो उनको लेजिस्लेचर का तथा नीति निर्धारित करने का कार्यक्रम भी दे सकती हैं। जैसा कि जयप्रकाश जी ने कहा और जिसे वर्टीकल प्लानिंग कहते हैं ऊपर से सत्ता का विकास न होकर नीचे से होना चाहिये। और जब उसका विकास नीचे से होगा तो उसको पीपुल्स पार्टिसिपेशन का प्लान कहेंगे। तो इस तरह से हमारी गांव सभा जनतंत्र के ढांचे में एक मजबूत इकाई होगी। जिसके बारे में माननीय केशरीप्रसाद जी ने कहा कि दो-तिहाई उनका प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय समितियों में हो जायगा और एक तिहाई हम होंगे और इस प्रकार से गांव सभाओं का असर क्षेत्रीय समितियों पर पड़ेगा उसके निर्णयों पर पड़ेगा। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों के निर्णयों पर गांव सभाओं का असर पड़ेगा। क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों में जो काम होगा उसकी प्लानिंग गांव सभाओं में ही होगी उनकी अपनी प्लानिंग होगी नियोजन का कार्यक्रम होगा क्योंकि उत्पादन तो उन्हीं को बढ़ाना है। इसलिये हमें प्लानिंग गांव सभा के स्तर से ही करनी होगी चाहे तो वह शिक्षा हो चाहे इरीगेशन हो, चाहे ऐनीमल हसबेंडरी हो उन सब की प्लानिंग गांव स्तर से ही होगी। अभी तक अधिकारी जो कार्य करते थे प्रदेश की सरकार के आदेशानुसार करते थे, अब आगे चल कर वे जिला परिषद् के आदेशों से किया करेंगे। इस प्रकार से जिलास्तर पर वह एक अच्छी खासी तीसरी सरकार के रूप में कार्य करेगी। क्षेत्रीय समितियों में चुने हुए लोगों का असर जरूर होगा और होना भी चाहिये क्योंकि योजना का कार्यक्रम हमें उन्हीं के द्वारा पूरा करना है। यह बात उधर के कई माननीय सदस्यों ने कही कि हम अपने बल को बढ़ा कर उनकी भावनाओं पर हावी होना चाहते हैं। एक ओर तो आप कहते हैं कि हमारी बात क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में सुनी जाय और उसका असर हो और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कहते हैं। मैं नहीं समझ सका कि हमारे दल का वहां किस तरह से असर हो जायगा। आज जो हर ब्लाक स्तर से २ आदमियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली थी उसको इसलिये काट दिया गया; क्योंकि राजस्थान, आंध्र और प्रादेशिक सरकारों की तरफ से जो जिला परिषद अधिनियम बने हैं उनमें भी यह है। अभी पंचायत राज और कम्युनिटी डेवलपमेन्ट मिनिस्टरों की जब कान्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी इस चीज को रखा गया था और हमारे बहुत बड़े-बड़े नेताओं की यह राय थी कि एम० एल० ए० और एम० पी० को क्षेत्र समिति और जिला स्तर पर जो राइट आफ वोट है उसे न रखा जाय। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने उस पर काफी जोर दिया और उन्होंने कहा कि विधान सभा और लोक सभा के प्रतिनिधियों के अनुभव का लाभ हमें क्षेत्र समिति और जिला स्तर के लेविल पर भी उठाना पड़ेगा। वहां का प्रतिनिधित्व हर ब्लाक से दो रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में होगा। वे दोनों रिप्रेजेन्टेटिव आज भी विधान सभा और लोकसभा के सदस्य हैं जिनको पूरे सदस्य की हैसियत से वहां वोट देने का भी अधिकार है। हर सदस्य जिला परिषद् के सदस्य की हैसियत से या क्षेत्र समिति के सदस्य की हैसियत से जिला परिषद् की कार्यवाहियों में पूरे सदस्य के रूप में भाग लेगा और उसे मत देने का भी अधिकार

होगा दोनों रिप्रेजेन्टेटिव क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव की भावना से ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भले ही दूसरी बात कही जाय लेकिन बजट स्पीच में आप की तरफ से ही किसी न किसी स्तर पर इस तरह की भावनायें व्यक्त की गयी हैं कि इस तरह के चुनावों में श्रम और धन का बहुत खर्च होता है इसलिये डाइरेक्ट चुनाव न कराया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह---हमारी तरफ से यह किसने कहा, इसे तो जरा बतला दें।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बंशीधर पांडेय---यहां और बाहर भी, हमारे कई साथियों ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव में श्रम और धन की बहुत क्षति होती है। इसके अलावा हमारे कई साथियों ने यहां और बाहर भी कहा और अक्सर कहा करते हैं कि ब्लाक की जीपें एम० एल० ए० के इस्तेमाल के लिये होनी चाहिये। मैं भी इसको मानता हूं कि होना चाहिये लेकिन एक जगह तो आप एम० एल० एज० के अधिकार की बात कहे और दूसरी तरफ इस प्रकार से सरकार के काम में अड़चन डालें तो ये दोनों चीजें सूट नहीं करतीं। यह गलत है कि सरकार जनतंत्र की हत्या कर रही है। आपके बड़े-बड़े लीडरों ने पार्लियामेंट में असेम्बली में और हर जगह इस बात को कहा है कि यह पार्टी जनतंत्र में पूरी आस्था रखती है और आज भी उस पार्टी में हमारे वे नेता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सारी नौजवानी का समय अपने जनतांत्रिक सिद्धान्तों में लगा दिया और अपनी सारी ताकत व बुद्धिमानी को उसमें लगा दिया। आज 'संकटाकलीन स्थिति' के नाम पर कांग्रेस के विरोध में तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के स्तर पर १८ जुलाई, ६२ से यह अधिनियम लागू हो गया है। आज जिला परिषदों की स्थिति यह है कि जिला परिषद् के अन्तर्गत कुछ काम करने का प्रोविजन नहीं है क्योंकि जो कायदे कानून बने हुये हैं उनको रोक रखा गया है। यह तो एक छोटा सा विधेयक है जिसके ऊपर ३० माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है। किसी ने कहा कि इससे जनतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन वास्तव में गांव सभाओं के चुने हुये प्रतिनिधियों की भावनाओं का ही क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों में प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि ८०, ९० प्रतिशत जनता के चुने हुये प्रतिनिधि उसमें होते हैं, जिनमें कोआपरेटिव विभाग, महिलाओं और हरिजनों के प्रतिनिधि भी होते हैं। इस तरह से गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् तीनों एक दूसरे से मिली हुई हैं और त्रिस्तरीय जो संस्था होगी उसमें उनमें हर एक की भावना का प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर भी होगा। आज हमारे भाई जितने बैठे हैं, आप देखें आज भी जिला परिषदों में गांव सभाओं में जो प्रतिनिधित्व है उसको ले लें, विधान सभा या लोक सभा के मेम्बरों को ले लें यही बात है। यह सरकार हो या कल कोई दूसरी सरकार हो काम तो कोआपरेटिव या जो फंक्शन डिपार्टमेन्ट है उन्हीं के द्वारा होगा। बहुत से भाई कहते थे कि सरकारी अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। जो सरकारी अधिकारी अन्तिरम जिला परिषदों में सदस्य हैं लेकिन जिला परिषदों के ऐक्ट के लागू होने के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी सदस्य नहीं रहेगा। अन्तरिम जिला परिषदों में भी वह उस हिसाब से सदस्य नहीं होंगे। बल्कि जब प्लानिंग कमेटियों का मर्जर होने लगा तो प्लानिंग मेमोरेन्डम के अनुसार जो मेम्बर उसके सदस्य थे उसके नाते वह सारे प्लानिंग कमेटी के सदस्य जिला अन्तरिम परिषदों के सदस्य हो गये थे। जो फंक्शनल डिपार्टमेन्ट होंगे जैसे यहां पर विभागों के अनुसार यह मिनिस्ट्री बनी हुई है वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों के लिये पी० डब्लू० डी० के लिये, शिक्षा के लिये, सिंचाई के लिये, कृषि के लिये, एनीमेल हस्बेंडरी के लिये, सहकारिता के लिये अलग-अलग विभाग होंगे। इन सरकारी अधिकारियों की हैसियत केवल विभागीय सेक्रेटरीज की सी होगी। जिस तरह से यह सरकार होती है, अलग अलग विभाग के मिनिस्टर होते हैं और उन के विभागीय सेक्रेटरी होते हैं ठीक उसी तरह से जिला परिषदों के स्तर पर भी होगा। जिले के स्तर के कामों के लिये ऐसे अधिकारी क्षेत्र समितियों को भी देखेंगे। जरूरत होगी तो वह जिला लेविल के केडर भी बनायेंगे। यह अधिकारी जो हमारी यू० पी० की सर्विसेज के रूल्स कन्डक्ट आदि के हैं उन्हीं नियमों और रूल्स के अन्तर्गत काम करेंगे। ग्रुप लेविल के अफसर, क्षेत्र समितियों को

[श्री बंशीधर पांडेय]

विभागीय कमेटियों के सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे, कृषि उत्पादन समिति, कार्यकारिणी और कल्याण समिति बनी हैं लेकिन अब आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ अभी और कहना होगा और दूसरी कमेटियां उत्पादन आदि की बनानी पड़ें, अभी तो कल्याण समिति ही हेल्थ, सफाई और सेवा का कार्य देखती है, यह सब अलग-अलग कमेटियां हो जायंगी और यह विभागीय अधिकारी उन कमेटियों के सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे और यह प्लानिंग अफसर और बी० डी० ओ० चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपने-अपने स्तर पर काम करेंगे। उस की स्कीम आ गई है केवल अब प्राथमिकता देने की बात है। इसलिये क्षेत्र समितियों में गांव सभा के लोग मौजूद हैं।

आज श्रीमन्, मुझे तकलीफ होती है कि हमारे जो भाई कहते हैं कि चीन के हमले के कारण इस विधेयक को वापस किया जाय। यह.....

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां दोस्तों कह कर एड्रेस कर रहे हैं, मालूम होता है कि वह बनारस में कोई मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—यहां जो चीन के आक्रमण की बात कही गई उस के आक्रमण और जिला परिषद् के बिल का क्या सम्बन्ध है? आज हम सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं दिल व दिमाग में यह है कि चीन को देश से हटाना चाहिये लेकिन हमले की तैयारी के माने यह तो नहीं हैं कि आज देश का सारा काम काज सारा उत्पादन बन्द हो जाय, जो साधारण जिन्दगी के कार्यक्रम हैं, जो ट्रान्सपोर्ट का काम है, जो सारी हमारी जिन्दगी की एक व्यवस्था है वह सब रुक जाय क्योंकि आक्रमण हो गया है और संकट आ गया है। क्या आप नेफा के बहादुरों की मदद करेंगे सारे उत्पादन और जिन्दगी के कामों को रोक कर? युद्ध में और रसद में सम्बन्ध होता है। सरकार को पूरा ध्यान है, पर साथ ही इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ायें और कांग्रेस के जो बड़े-बड़े नेता पंडित जवाहरलाल जी आदि बैठे हुये हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन को यहां से समाप्त किया, उनमें अब भी वह ताकत है कि चीन के इस आक्रमण को भी समाप्त करेंगे और उसको अपने देश की सीमा से भगायेंगे तथा देश की साधारण जिन्दगी को भी इसी तरह से अपने उत्पादन के कार्य को बढ़ाते हुये सेना के कार्यों को करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को भेजने वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करके इसको पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Kshe tra Samitis and Zila Parishad (Sanshodhan) Vidheyak, 1962.] को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा बाद में की जायगी।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishad (Sanshodhan) Vidheyak, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (१७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

"(१७)" (क) "नगरपालिका", "नगरपालिका बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० म्युनिसि-

पैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन क्रमशः, "म्युनिसिपैलिटी", "म्युनिसिपल बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के हैं,

(ख) "टाउन एरिया" का वही अर्थ होगा जो यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ में दिया गया है, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २,१९१४

(ग) "छावनी" तथा "छावनी बोर्ड" के वही अर्थ होंगे जो कैन्टोन्मेन्ट्स ऐक्ट, १९२४ के अधीन क्रमशः "कैन्टोन्मेन्ट" तथा "कैन्टून्मेन्ट बोर्ड" के हैं, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२४

(घ) "नोटीफाइड एरिया कमेटी" या "नोटीफाइड एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३८ के अधीन संघटित कमेटी से है, और — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ङ) "टाउन एरिया कमेटी" या "टाउन एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ५ के अधीन स्थापित कमेटी से है : — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(२) खंड (३५) निकाल दिया जाये; और

(३) खंड (३६) से (४०) तक की संख्यायें बदलकर क्रमशः (३५) से (३९) तक कर दी जायें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय कल्पनाथसिंह जी, आप अपना खंड २ में संशोधन पेश करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—आज मैं नहीं पेश कर रहा हूं इसलिये कि कागजात माननीय रियासत हुसेन के पास थे, इसको वही पेश करने वाले थे । यह कल के लिये था .....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***श्री नरसिंहनारायण पांडेय** (जिला गोरखपुर)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि सामान्य विवाद दो दिन तक चलेगा, उसके बाद खंडशः विचार होगा । तो आपने जो व्यवस्था दी थी क्या वह खत्म कर दी ? आज तक तो सामान्य विवाद होता था और खंडशः विचार कल लिया जायगा । अगर माननीय कल्पनाथसिंह जी कहते हैं कल लें, तो उसे आपको मान लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—वह तो समाप्त हो गया ।

मैं एक बात कह दूं, जहां तक कार्य मंत्रणा समिति का प्रश्न है तो वह दिन निश्चय करती है कि इतने दिन तक अमुक विधेयक पर विचार होगा और जो सामान्य विवाद एक ही दिन में समाप्त हो जाय तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना कार्य स्थगित कर दें । दूसरी बात यह है कि कार्य मंत्रणा समिति एक अवधि निश्चित करती है कि इतने दिन में एक विधेयक का कार्य समाप्त हो जाना चाहिये, यह निश्चित नहीं करती है कि यदि कोई कार्य नहीं होगा तो भी खामख्वाह चलाते रहेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खण्ड ३

धारा ६ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"(२) उस टाउन एरिया की कमेटी का चेयरमैन और उस नोटीफाइड एरिया की कमेटी का प्रेसीडेंट जो खंड से संस्पर्शी हो और जिसे उस जिले के, जिसमें खंड स्थित हो, जिला मैजिस्ट्रेट ने लिखित आज्ञा द्वारा इस रूप में घोषित किया हो;" और

(ख) खंड (४) निकाल दिया जाये और खंड (५) तथा (६) की संख्यायें बदलकर क्रमशः (४) तथा (५) कर दी जायें; और

(२) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "उल्लिखित सदस्य" और शब्द "क्षेत्र समिति" के बीच में आये हुये शब्द "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर शब्द "उक्त उपधारा के अधीन" रख दिये जायें;

(ख) शब्द "क्षेत्र समिति के" तथा शब्द "सदस्यों के" के बीच में आया हुआ शब्द "अतिरिक्त" निकाल दिया जाये;

(ग) खंड (२) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "तथा इस उपधारा के खंड (१)" निकाल दिये जायें ;

(घ) खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(३) यदि उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों (यदि कोई हों) की संख्या आठ से कम हो, तो अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिला कर आठ हो जाय,"

(ङ) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में शब्द "हकदार होगा" और सेमीकोलन के बीच में शब्द "तथा उसे मत देने का अधिकार होगा" बढ़ा दिया जायें; तथा

(च) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त का शब्द "और" निकाल दिया जाये और द्वितीय तथा अन्तिम प्रतिबन्धात्मक खंडों के बीच में तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"तृतीय प्रतिबंध यह है कि खंड (३) के अधीन उस दिनांक के पश्चात् कोई अनुमेलन नहीं किया जायगा जब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३३४ के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का रक्षण करने की व्यवस्था समाप्त हो जाय; और"

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में मूल अधिनियम की धारा ६ में प्रस्तावित उपधारा (२) के खंड (३) में शब्द "की संख्या" तथा "से कम हो" के बीच में शब्द "आठ" के स्थान पर अंक "१२" तथा "कुल मिला कर" और "हो जाय" के बीच में शब्द "आठ" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय । मैं इस संबंध में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र समितियों के सदस्यों की संख्या आम तौर से ५० से अधिक और किसी किसी ब्लाक में ११५ तक होती है । इस प्रकार अनुसूचित जातियों के सदस्यों की इतनी कम संख्या रखने से जो उनको वास्तविक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकेगा । तो इस नजरिये से उनकी संख्या को बढ़ाया जाय । उदाहरण के लिये सहारनपुर में १६ लाख की आबादी में साढ़े ५ लाख के लगभग हरिजन हैं । तो उनकी जनसंख्या के आधार से कम से कम इतनी संख्या तो उनको मिलना चाहिये जिससे कमेटी में बैठ कर अपनी बात मजबूती से वह कह सकें । इस दृष्टिकोण से मैंने यह संशोधन रखा है और मुझे आशा है कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इसको मानने की कृपा करेगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, रामसिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । उनका वह कहना है कि क्षेत्र समितियों में एक लम्बी फौज हर विचारधारा के लोगों की है । लेकिन उसमें हरिजनों की संख्या बहुत कम है । जैसे सरकारी विभागों में भी है कि हरिजनों की एक निर्धारित संख्या दी गयी है १८ फीसदी, वह भी इसमें नहीं आती है और इस प्रकार से संविधान में जो हक उन्हें दिया गया है उसी के मूल पर कुठाराघात किया जा रहा है । विधेयक के निर्माणकर्ताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि पूरी क्षेत्र समिति की संख्या में १८ फीसदी से कम संख्या हरिजनों की नहीं होनी चाहिये थी । लिहाजा उनकी संख्या में वृद्धि की जाय । क्योंकि सदन के समक्ष ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया जा सकता जो संविधान के मूल अधिकारों की अवहेलना करे । मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इसे स्वयं ठीक कर लें । हरिजन बिरादरी को उच्च जातियों ने दबा कर रखा था आज उनको उठाने के लिये महात्मा गांधी, बापू को ग्राम राज्य की प्रथम इकाई है और उसी ग्राम इकाई में हरिजन जो राम के अंग हैं, उनका कचूमर निकाल दिया जायगा तो फिर बापू का जनतंत्र कहां चला पायेंगे । इसलिये इसको जरूर मान लें नहीं तो सफाई दें ।

श्री बंशीधर पांडेय---मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता । सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं और हरिजनों को जो ८ की संख्या दी गयी है वह काफी है ।

अधिष्ठाता मण्डल के एक रिक्त स्थान के लिए मनोनीत सदस्य के नाम की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना दे दूं । अधिष्ठाता मंडल में एक स्थान रिक्त था । चूंकि माननीय होतीलाल अग्रवाल उपाध्यक्ष चुन लिये गये हैं, उनका स्थान रिक्त है । उनके स्थान में मैं माननीय रामाश्रयराय को नियुक्त करता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२

खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं । अगर ८ से १२ संख्या कर दी जाय तो सभी समितियों का हल नहीं निकलेगा । माननीय रामसिंह जी ने कहा कि ब्लाक खंडों में प्रधानों की संख्या लगभग १०० के है । हमारे प्रदेश में ऐसे भी ब्लाक हैं जिनकी संख्या ३० और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मैनेजरसिंह]

२६ तक है । अगर हम एक निर्दिष्ट संख्या रखते हैं तो २६ या १०५ सदस्यों के खंडों की जो समितियां हैं इन दोनों में बड़ा अन्तर हो जायगा । अगर कहीं २६ गांव सभाओं की समिति है और उसमें १२ कर दिया जाय तो महिला सदस्यों की संख्या और कोआप्टेड सदस्यों की संख्या लेकर आधे से अधिक हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---अब आप कल जारी रखियेगा । अब हम उठते हैं कल साढ़े दस बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
५ दिसम्बर, १९६२ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर]

हरिजन पाठशालाओं की सूची जिन्हें निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम				वार्षिक अनुदान
१	२				३
					रु०
१	हरिजन प्राइमरी पाठशाला			गिरवरपुर	१,२००
२	,,	,,	,,	आजमबन्धि	१,२८६
३	,,	,,	,,	मौलानापुर	१,२४८
४	,,	,,	,,	जमीन रसूलपुर	६०६
५	,,	,,	,,	मुडियार	६०६
६	,,	,,	,,	मुजहीगुल्ली	६०६
७	,,	,,	,,	बड़ी करोली	६०६
८	,,	,,	,,	इटौली	१,२००
९	,,	,,	,,	धनिया कुण्डी	१,८४२
१०	,,	,,	,,	बरमदानपुर	६०६
११	,,	,,	,,	समैसा	६०६
१२	,,	,,	,,	मुस्तफाबाद	६६६
१३	,,	,,	,,	मुण्डी	१,२७२
१४	,,	,,	,,	नियमताबाद	१,२००
१५	हरिजन कन्या पाठशाला			सरायपीर	१,५२४
१६	,,	,,	,,	खत्री टोला	१,५१२
१७	,,	,,	,,	छितौनी	८५८
१८	,,	,,	,,	पल्हनी	२,९०४
१९	,,	,,	,,	ककरहटा	१,४४२
२०	,,	,,	,,	छिरी गोपाल	९०६
२१	,,	,,	,,	बलभद्रपुर	९०६
२२	,,	,,	,,	महमदपुर	८४६
२३	,,	,,	,,	बिलारी	८४६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

उक्त वर्षों में जो हरिजन सम्मेलन आयोजित किये गये उनके संयोजकों के नाम, स्थान तथा उनपर जो धनराशि खर्च की गई उसका विवरण निम्न प्रकार है —

क्रम-संख्या	संयोजक का नाम	स्थान जहां हरिजन सम्मेलन आयोजित किया गया	धनराशि	वर्ष
१	२	३	४	५
			रु०	
१	श्री देवीचरन, सभापति, रविदास सभा, खलीलाबाद ।	बखिरा बाजार, तहसील खलीलाबाद ।	१००	५९–६०
२	श्रीमती गेंदादेवी, एम० एल० ए०	खलीलाबाद, कमिश्नरी स्तर का सम्मेलन ।	५००	५९–६०
३	श्री सुखराम, हरिजन, मंत्री, रविदास सभा, बस्ती ।	बस्ती	१००	६०–६१
४	श्री रामलाल, भूतपूर्व एम० एल० ए०, बस्ती ।	बस्ती	७५	६०–६१
५	क्षेत्र विकास अधिकारी, बहादुरपुर ।	बहादुरपुर	५०	६१–६२
६	हरिजन कल्याण सुपरवाइजर, श्री बद्रीप्रसाद तथा विकास अधिकारी, बनकटी ।	बनकटी	३९.५०	६१–६२
७	जिला हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती ।	लनलगंज बाजार, हंसवा बाजार ।	१०९.५०	६१–६२
			९७४.००	

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

क्रम-संख्या	राजकीय उन्नयन बस्तियों, कालोनियों और आश्रम टाइप स्कूल	पद	पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी	वेतन-क्रम
१	२	३	४	५	६	७
						रु०
१	राजकीय उन्नयन बस्ती, गोरखपुर ..	मुख्याध्यापक ..	१ ..	१		४५-१-५०-द० रो०-१-५५-द० रो०-१-६०
		सहायक अध्यापक	२ ..	२		३५-१-४०-द० रो०-१-४५-द० रो०-१-५०
२	राजकीय उन्नयन बस्ती, मुरादाबाद ..	मुख्याध्यापक ..	१ ..	१		७५-४-९५-द० रो०-५-१३०
		सहायक अध्यापक	१२ ..	७		३५-१-४०-द० रो०-१-४५-द० रो-१-५०
				३		६०-४-८०-द० रो०-५-१२०
				२		४५-२-६५-द० रो०-३-८०
३	आश्रम टाइप स्कूल, रामपुर और गोरखपुर	सहायक अध्यापक ..	१४ ..	६		६०-४-८०-द० रो०-५-१२०
				४		४५-२-६५-द० रो०-३-८०
				२		७५-५-१२०-द० रो०-८-२०० (एक्सटेंशन टीचर)
				२		४५-२-६०-द० रो०-३-८० (संगीताध्यापक)

क्रम-संख्या	राजकीय उन्नयन बस्तियों, कालोनियों और आश्रम टाइप स्कूल	पद	पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी	वेतन-क्रम
१	२	३	४	५	६	७
४	साहबगंज कालोनी, खीरी ..	मुख्याध्यापक ..	१	..	१	४५–१–५०–द० रो०–१–५५–द० रो०–१–६०
		सहायक अध्यापक ..	२	..	२	३५–१–४०–द० रो०–१–४५–द० रो०–१–५०
५	कांठ कालोनी, मुरादाबाद ..	मुख्याध्यापक ..	१	..	१	४५–१–५०–द० रो०–१–५५–द० रो०–१–६०
		सहायक अध्यापक ..	२	..	२	३५–१–४०–द० रो०–१–४५–द० रो०–१–५०
६	बावरिया कालोनी, मुजफ्फरनगर ..	मुख्याध्यापक ..	१	१	..	५५–२–३–६०–द० रो०–४–८०
		सहायक अध्यापक	३	३	..	४०–२–५०–द० रो०–३–६५
७	राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्यानपुर (कानपुर)	मुख्याध्यापक ..	१	१	..	४५–१–५०–द० रो०–१–५५–द० रो०–१–६०
		सहायक अध्यापक ..	३	३	..	३५–१–४०–द० रो०–१–४५–द० रो०–१–५०
			४४	८	३६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

झांसी जिले की सहकारी कृषि समितियों को प्रारम्भ से अब तक ऋण एवं अनुदान स्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता का विवरण :—

क्रम-संख्या	समिति का नाम	ऋण	आर्थिक सहायता
१	२	३	४
		रु०	रु०
१	शाहजहांपुर न० १	१२,७५०	२,८५०
२	शाहजहांपुर न० २	१२,७५०	२,८५०
३	ब्रह्मनगर	,,	१,५५०
४	फतेहपुर	,,	१,०००
५	केशवपुर	,,	१,०००
६	शंकर	९,७५०	४,०००
७	जोरा न० १	११,९००	७,७८०
८	जोरा न० २	,,	१,७५०
९	लावन	,,	२,४००
१०	फतेहपुर धमर्धाली	७,७५०	७,२५०
११	दुर्गापुर	५,०००	,,
१२	जाखलौन	,,	२,०००
१३	बार	,,	१,०००
१४	चढ़रऊ	,,	१,१००
१५	जीरोन	५,०००	२,१००
१६	सोरई	,,	१,०००
१७	जलन्धर	,,	९४०
१८	गुढ़ाबुजुर्ग	,,	९७२
१९	जरूवा	,,	१,०००
२०	शंकरगढ़	,,	१,०००
२१	बामोर	,,	,,
२२	अशोक	,,	,,
२३	विरगवां	७,७५०	१,८५०
२४	भरोसा	३,२००	२,६००

क्रम-संख्या	समिति का नाम	ऋण	आर्थिक सहायता
१	२	३	४
		रु०	रु०
२५	जवाहर	८५६	२,५५०
२६	गोपाल	,,	१,९५०
२७	रेव	,,	१,९५०
२८	पड़वा	,,	१,०००
२९	बरोदा	,,	५,०००
३०	गुडा बदौर	,,	१३,०१०
३१	महरोनी नं० ३	,,	१,०००
३२	महरोनी नं० २	,,	८७१
३३	कनवारी	७,८५०	२,१७१
३४	वोटा	,,	१,५००
३५	मैनवारा	,,	४००
	योग ..	८४,४५६	७६,३९४

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

जालौन जिले को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हरिजनों के लिये कूप निर्माण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड को स्वीकृत किये गये अनुदान का विवरण

क्रम-संख्या	स्थान जहां के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया	विकास खंड का नाम	स्वीकृति अनुदान
१	२	३	४
	१९५६–५७		
			६०
१	पर्वतपुरा	जालौन	१,०००
२	सरावन	माधोगढ़	८००
३	करभेरा	डकोर	२००
४	इखलासपुरा	,,	४००
५	रिनिया	महेवा	७००
६	पचीपुरा	नदी गांव	२५०
७	देवपुरा	कदौरा	१,३५०
८	कालपी	,,	१००
९	कालपी	,,	२००
		योग ..	५,०००
	१९५७–५८		
१	कुसमिलिया	डकोर	५००
२	कुरोती	माधोगढ़	२३३
		योग ..	७३३
	१९५८–५९		
१	एट	एट	१,०००
२	अमोटा	,,	१,१००
३	लालपुर	कुठौद	१,०००
४	तातापुर	,,	६००
५	छोना	रामपुरा	४००
६	कुरोंती	माधोगढ़	१००
७	मझवार	कदौरा	१,०००
८	मुरारखेरा	डकोर	६००
		योग ..	५,८००

क्रम-संख्या	स्थान जहां के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया	विकास खंड का नाम	स्वीकृत अनुदान
१	२	३	४
	१९५९-६०		रु०
१	हरदोई गूजर	डकोर ..	३००
२	कुसुमिनिया	,,	५००
३	मुहमदाबाद	,,	८००
४	मरोड़ा	,,	३००
५	भिटारा	जालौन ..	७००
६	लौना	,,	७००
७	उरगांव	,,	४००
८	आटा	कदौरा ..	३००
९	निस्वापुर	,,	५००
१०	उसरगांवा	,,	४००
११	कोंडाकरंही	महेबा ..	८००
११	विरासनी	एट ..	४००
१३	सतोह	,,	४००
१४	पिंडारी	,,	४००
१४	खकसीस	माधौगढ़	८००
१६	मिझोना	,,	७००
१७	अटागांव	,,	३००
१८	ईकों	कुठौंद	७००
१९	चाकी	,,	२००
	योग		९,६००
	१९६०-६१		रु०
१	धन्जा	नदीगांव	७५०
२	नदीगांव	,,	४००
३	सुलखना	,,	४००
४	बस्ती	,,	३००
५	महतवानी	एट	७५०
६	कमतरी	,,	७५०
७	जमरोही	,,	५००
८	खख्सा	,,	७५०
९	बधौली	डकौर	१,५००
१०	चिल्ली	,,	७५०
११	रहिमन	,,	१,५००
१२	आटा	कदौरा	७५०

क्रम-संख्या	स्थान जहां के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया	विकास खंड का नाम	स्वीकृत अनुदान
१	२	३	४
			रु०
१३	सहजरा	कदौरा	७५०
१४	बबीचा	,,	४००
१५	मदरेखी	महेबा	७५०
१६	बिनोरा	,,	५००
१७	भदरेखी	,,	४००
१८	नवादा	रामपुरा	७५०
१९	महटोली	,,	७५०
२०	जगभंजनपुर	,,	७५०
२१	सिहारी पड़ैया	जालौन	७५०
२२	लोना	,,	५००
२३	धनौरा कलां	,,	४००
२४	पुरपुरा	कुठौद	४००
२५	चोखीसहाब	माधौगढ़	३००
		योग ..	१६,५००

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

सूची

विगत ५ वर्षों में दरियाबाद ब्लाक में हरिजन विभाग से निम्नलिखित अनुदान ग्रहीताओं को धन दिया गया ।

क्रम-संख्या	नाम तथा पता	कार्य	स्वीकृत धन	भुगतान
१	२	३	४	५
			रु०	रु०
१	श्री गोकुल, कन्धईपुर ..	कूप	४००	३००
२	गन्नू, दरवेशपुर ..	कूप	४००	३५०
३	श्री बाबादीन, परेसा ..	कूप	५००	२५०
४	श्री बाबूलाल, औलपुरा लालपुर	कूप	५००	४००
५	श्री बुद्धू, डडियामऊ ..	कूप	५००	४००
६	श्री मुन्नीलाल, सिहाली ..	कूप	५००	२५०
७	श्री प्यारेलाल, दरियाबाद ..	कूप	५००	२५०
८	श्री मल्लर, दलसराय ..	कूप	५००	२५०
९	श्री दुक्खू, कोटवाधाम ..	कूप	५००	२५०
१०	श्री कन्धई, आरियामऊ ..	कूप	२५०	२५०
११	श्री मोलहे, कोटवाधाम ..	कूप	२५०	१२५
१२	श्री रहमानी, अरिभाऊ मऊ ..	कूप	२५०	१२५
१३	श्री ब्रिज, खुजुरी ..	कूप	७५०	३७५
१४	श्री राममिलन, कोटवाधाम ..	ह० गृह	५००	४५०
१५	श्री मौद ..	ह० गृह	५००	४५०
१६	श्री मोलहे ..	,,	५००	४५०
१७	श्री नान्हू	,,	५००	४५०
१८	श्री प्रमेश्वर ..	,,	५००	४५०
१९	श्री रामचरन ..	,,	५००	४५०
२०	श्री परसादी	,,	५००	४५०
२१	श्री मोहन ,, ,,	,,	५००	४५०
२२	श्री रामदेव ,, ,,	,,	५००	४५०
२३	श्री बद्री ,, ,,	,,	५००	४५०
२४	श्री ननकऊ ,,	,,	५००	२५०
२५	श्री छविलाल, सरदहां ..	,,	७५०	५७५
२६	श्री देवीदीन	,,	७५०	५७५
२७	श्री चतुरी	,,	७५०	५७५
२८	श्री दुलारे ,, ..	,,	७५०	५७५
२९	श्री भभूती	,,	७५०	५७५
३०	श्री मातादीन ,, ..	,,	७५०	५७५

क्रम-संख्या	नाम तथा पता	कार्य	स्वीकृत धन	भुगतान
१	२	३	४	५
			रु०	रु०
३१	श्री हुसैनी, सरदहा	.. ह० गृह	७५०	५७५
३२	श्री फूसू ,,	.. ,,	७५०	५७५
३३	श्री बीपत ,,	.. ,,	७५०	५७५
३४	श्री मंगरे ,,	.. ,,	७५०	५७५
३५	श्री जुगनू ,,	.. ,,	७५०	५७५
३६	श्री छोटे ,,	.. ,,	७५०	५७५
३७	श्री पंचम ,,	.. ,,	७५०	५७५
३८	श्री जवाहिर ,,	.. ,,	७५०	५७५
३९	श्री रामदीन, मदारपुर	.. ,,	७५०	५७५
४०	श्री मुसाराम ,,	.. ,,	७५०	५७५
४१	श्री भुलई, सहनी मऊ	.. ,,	७५०	५७५
४२	श्री छत्रपति ,,	.. ,,	७५०	५७५
४३	श्री छोटेलाल, मटहना पुरवा	,,	७५०	५७५
४४	श्री सन्तराम, रायपुर	.. .,	७५०	३००

विधान सभा

नत्थी 'ज'

सूची 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५ पर)

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम			धन जो पु० सहायता के रूप में दिया गया रु० न० पै०
१	रफी अहमद कि० जू० हा० स्कूल, हरदोई	..	..	१०.००
२	राष्ट्रपति हा० से० स्कूल, शाहाबाद	..	..	१७०.००
३	बी० जी० आर० ई० कालेज, बिलग्राम	..	..	३२०.००
४	रा० उ० मा० विद्यालय, हरदोई	..	..	८०.००
५	ए० एस० वी० वी० इ० कालेज, हरदोई	..	..	१५५.००
६	ग्रामीण जू० हा० स्कूल, गोरीकोथावा	..	..	५०.००
७	आई० आर० इ० कालेज, सण्डीला	..	..	१२५.००
८	गांधी विद्यालय जू० हा० स्कूल, बेनीगंज	..	..	२०.००
९	पी० आर० इ० कालेज, तेरवा गासगंज	..	..	१३५.००
१०	बी० एन० इ० कालेज, भगवन्तनगर	..	..	६५.००
११	आर० के० इन्टर कालेज, हरदोई	..	..	७०.००
१२	पं० नेहरू जू० हा० स्कूल, सदरपुर	..	..	२०.००
१३	सनातन धर्म इ० कालेज, हरदोई	..	..	२००.००
१४	राज० आदर्श विद्यालय, हरदोई	..	..	२०.००
		योग	..	१,४४०.००

स्थानीय निकायों में प्रदत्त धनराशि

१	प्रा० वैश्य पाठशाला, हरदोई, नगरपालिका	..		
२	कन्या प्राइमरी पाठशाला, हरदोई	..		
३	प्रा० पाठशाला, बशरा सौदागर, हरदोई	..		
४	प्रा० पाठशाला, ऊंचा थोक, हरदोई	..		२५२.००
५	प्रा० पाठशाला, हिन्दी पाठशाला, हरदोई	..		
६	प्रा० पाठशाला, हरदेव गंज, हरदोई	..		
७	प्रा० पाठशाला, रेलवे गंज, हरदोई	..		
८	प्रा० नवीन पाठशाला, रेलवे गंज, हरदोई	..		
		योग	..	२५२.००

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम	धन जो पु० सहायता के रूप में दिया गया
	नगरपालिका, सण्डीला	
१	बे० प्रा० स्कूल, अंडई	
२	बेसिक प्राइमरी स्कूल, राजाहाता	
३	बेसिक प्राइमरी स्कूल, महतबाना	
४	बेसिक प्राइमरी स्कूल, बरोनी	
५	बेसिक प्राइमरी स्कूल, अशराफ टोला	
६	बेसिक प्राइमरी स्कूल, मलकाना ..	१००.००
	योग ..	१००.००
	अन्तरिम जिला परिषद्, हरदोई	
१	अन्तरिम जिला परिषद् के बेसिक प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के २७४ विद्यालय को पुस्तकीय सहायता हेतु धन प्रदान किया गया ..	२,०६०.००
	योग ..	२,०६०.००
	नगरपालिका शाहाबाद	
१	प्राइमरी पाठशाला, अल्हापुर	
२	प्राइमरी पाठशाला, पठकाना	
३	प्राइमरी पाठशाला, हुसेन गंज	
४	प्राइमरी पाठशाला, चौक	
५	प्राइमरी पाठशाला, खेड़ा	५०.००
६	प्राइमरी पाठशाला, बुधबाजार	
७	प्राइमरी पाठशाला, महमन्द	
८	प्राइमरी पाठशाला, गढ़ी	
९	प्राइमरी पाठशाला, मालीगंज	
	योग ..	५०.००
	नगरपालिका हरदोई	
संकलित		२,५२०.००
हायर सेकेन्डरी एवं जू० स्कूलों में		१,४४०.००
नगरपालिका, संडीला		१००.००
अन्तरिम जिला परिषद्, हरदोई		२,०६०.००
नगरपालिका, शाहाबाद		५०.००
	योग ..	३,९०२.००

नत्थी 'झ'

सूची 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५ पर)

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम		छात्रों की संख्या	धन जो छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया
१	२		३	४
१	पं० नेहरू जू० हा० स्कूल, सदरपुर	..	५	३८४.००
२	बी० जी० आर० ई० कालेज, बिलग्राम	..	३३	२९९.००
३	पी० आर० ई० कालेज, तेरवा गोसगंज	..	४९	४,०८८.००
४	बी० एन० इ० कालेज, भगवन्तनगर	..	१५	१,१७६.००
५	राष्ट्र पिता हा० से० स्कूल, शमहावाख	..	११	६९६.००
६	ए० एस० बी० बी० इ० कालेज, हरदोई	..	४३	३,६८२.००
७	सनातन धर्म इ० कालेज, हरदोई	..	२९	२,८६८.००
८	रा० उ० मा० विद्यालय, हरदोई	..	२६	२,३८८.००
९	रफी अहमद कि० जू० हा० स्कूल, हरदोई	..	८	५७६.००
१०	आइ० आर० इ० कालेज, सण्डीला	..	५	५४०.००
११	गांधी विद्यालय जू० हा० स्कूल, बेनीगंज	..	७	४०८.००
१२	आर्य कन्या पाठशाला इ० कालेज, हरदोई	..	४	३३६.००
१३	श्री नरपतिसिंह विद्यालय, माधोगंज	...	१०	६७२.००
१४	श्रीमती गंगा देवी जू० हा०, हरदोई	..	२	१२०.००
१५	ग्रामीण जू० हा० स्कूल, गौरीकोथावां	..	२	१२०.००
१६	आर० के० इन्टर कालेज, हरदोई	..	१५	१,४५२.००
१७	इंगलिश मिडिल जू० हा० स्कूल, पलिया	..	४	२४०.००
१८	रा० आ० विद्यालय, हरदोई ..	..	१	९६.००
	योग	..	२६९	२२,८३४.००

नगरपालिका, हरदोई

१	प्राइमरी पाठशाला, ऊंचा धोक ..	..	४	२९०.००
२	प्राइमरी पाठशाला, बहरा सौदागर	..	३	
३	प्राइमरी पाठशाला हिन्दी पाठशाला	..	३	
४	प्राइमरी पाठशाला, हरदेवगंज	..	४	
	योग	..	१४	२९०.००

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम	छात्रों की संख्या	धन जो छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया

अन्तरिम जिला परिषद्, हरदोई

	अन्तरिम जिला परिषद् के बैसिक प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हा० स्कूलों के २७४ विद्यालयों के ४१८ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ..		१२,७३२.००
	योग ..	४१८	१२,७३२.००

राजकीय दीक्षा विद्यालय, हरदोई

१	राजकीय दीक्षा विद्यालय, हरदोई ..	१६	२,६००.००
२	राजकीय आदेश विद्यालय, हरदोई ..	१७	७१४.००
	योग ..	३३	३,३१४.००

नगरपालिका, सण्डीला

१	प्राइमरी बेसिक पाठशाला, मंडई ..	२	३३६.००
२	,, ,, ,, महतवाना ..	३	
३	,, ,, ,, राजाहाता ..	३	
४	,, ,, ,, बरानी ..	३	
५	,, ,, ,, अशराफ टोला ..	४	
६	,, ,, ,, मलकाना ..	१	
	योग ..	१६	३३६.००

नगरपालिका, शाहाबाद

१	प्राइमरी पाठशाला, हुसेनगंज	११	१६८.००
२	,, ,, चौक ..		
३	,, ,, बुधबाजार ..		
४	,, ,, खेड़ा		
५	,, ,, पठकाना ..		
६	,, ,, अल्हापुर ..		
७	,, ,, महमन्द		
८	,, ,, मालागंज		
	योग ..	११	१६८.००

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम	छात्रों की संख्या	धन जो छात्रवृति के रूप में दिया गया
१	२	३	४
	संकलित योग		
१	हायर से० स्कूलों एवं जू० हा० स्कूलों के लिये ..	२६६	२२,८३४.००
२	नगरपालिका, हरदोई	१४	२६०.००
३	अन्तरिम जिला परिषद्, हरदोई ..	४१८	१२,७३२.००
४	राजकीय दीक्षा विद्यालय, हरदोई ..	३३	३,३१४.००
५	नगरपालिका, सण्डीला	१६	३३६.००
६	नगरपालिका, शाहाबाद	११	१६८.००
	योग ..	७६१	३६,६७४.००

हरदोई

नत्थी 'ञ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६३ पर)

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२

ऐक्ट संख्या २, १८९९ — इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में और संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवित्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में और संशोधन किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चत करे ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित २, १८९९ की इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में, खण्ड (२६) के पश्चात् नया खण्ड (२६-ए) के रूप मे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

Act no. XXV of 1961

"(26-A.) The expressions "common roll" and "State roll" shall have the meanings assigned to them in the Advocates Act, 1961."

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ६ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ११ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ११ के खण्ड (ए) में, शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty naye paise" रख दिये जायें ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ३२ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (सी) में शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty naye paise" रख दिये जायें ।

७--मूल अधिनियम की धारा ४१ में, शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty naye paise" रख दिये जायें ।

ऐक्ट संख्या २,१८९९ की धारा ४१ का संशोधन ।

८--मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में--

ऐक्ट संख्या २,१८९९ की अनुसूची १-बी का संशोधन ।

(१) अनुच्छेद (article) २ में, शब्द "Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (No. 15)" के स्थान पर शब्द "Subject to a maximum of one hundred and fifty rupees, the same duty as on a Bond (No.15)" रख दिये जायें;

(२) अनुच्छेद ३ में, शब्द "Thirty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty-three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायें; और

(३) अनुच्छेद ४ में, शब्द "Three rupees" के स्थान पर शब्द "Four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ;

(४) अनुच्छेद ५ में--

(क) खंड (ए) में, शब्द "Fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "Sixty naye paise" रख दिये जायें ;

(ख) खंड (बी) में, शब्द "Subject to a maximum of forty rupees, twenty five naye paise for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the security or share." के स्थान पर शब्द "Subject to a maximum of forty-five rupees, thirty naye paise for every rupees 10,000 or part thereof of the value of the security or share" रख दिये जायें और

(ग) खंड (सी) में, शब्द "Two rupees" के स्थान पर शब्द "Two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें;

(५) अनुच्छेद ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायें :--

"6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE DEEDS, PAWN OR PLEDGE, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to—

(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) ; or

(2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pawan or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt—

(*a*) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instruments evidencing the agreement—

	Rs. nP.
when the amount of the loan or debt does not exceed Rs.200	00.75
when it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.400	1.25

when it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.600	.. .. ..	Rs. nP. 1.75
when it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.800	.. .. ..	2.25
when it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.1,000	.. ..	3.00
when it exceeds Rs.1,000 but does not exceed Rs.1,200	.. ..	3.50
when it exceeds Rs.1,200 but does not exceed Rs.1,600	.. ..	4.75
when it exeeds Rs.1,600 but does not exceed Rs.2,500	.. ..	7.00
when it exceeds Rs.2,500 but does not exceed Rs.5,000	.. ..	14.00
when it exceeds Rs.5,000 but does not exceed Rs.7,500	.. ..	21.00
when it exceeds Rs. 7,500 but does not exceed Rs.10,000	.. ..	28.00
when it exceeds Rs.10,000 but does not exceed Rs.15,000	.. ..	42.00
when it exceeds Rs.15,000 but does not exceed Rs.20,000	.. ..	56.00
when it exceeds Rs. 20,000 but does not exceed Rs.25,000	.. ..	70.00
when it exceeds Rs. 25,000 but does not exceed Rs. 30,000	.. ..	84.00
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000	..	28.00
(*b*) if such loan or debt is repayable not more than three months form the date of such instrument.		Half the duty payable on a loan or debt under clause (*a*)for the amount secured.

Exemption

Instrument of pawn or pledge of agricultural produce, if unattested.

(६) अनुच्छेद ७ में, शब्द "Eighteen rupees and seventy-five naye paise" और "Thirty-seven rupees and fifty naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Twenty eight rupees" और "fifty-six rupees" रख दिये जायें ;

(७) अनुच्छेद ८ में, शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise". रख दिये जायें;

(८) अनुच्छेद १० में, शब्द "One hundred and twenty-five rupees" के स्थान पर शब्द "One hundred and fifty rupees" रख दिये जायें;

(६) अनुच्छेद १२ में--

(क) खंड (बी) में, शब्द "One rupee" के स्थान पर, शब्द "One rupee and fifty naye paise" रख दिये जायें; और

(ख) खंड (सी) में, शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise". रख दिये जायें;

(१०) अनुच्छेद १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये--

"15. BOND as defined by section 2(5) not being a DEBENTURE (No. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court Fees Act, 1870—

Where the amount or value secured does not exceed Rs.10.	Thirty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.10 but does not exceed Rs.50.	Seventy-five naye paise.
Where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100.	Two rupees twenty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200.	Four rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300.	Six rupees and seventy-five naye paise.
Where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400.	Nine rupees.
Where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500.	Eleven rupees and twenty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600.	Thirteen rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs.700.	Fifteen rupees and seventy-five naye paise.
Where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800.	Eighteen rupees.
Where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900.	Twenty rupees and twenty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000.	Twenty-two rupees and fifty naye paise.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Eleven rupees and twenty-five naye paise.

See ADMINISTRATION BOND (No. 2), BOTTOMRY BOND (No. 16), CUSTOMS BOND (No.26), INDEMNITY BOND (No. 34), RESPONDENTIA BOND (No. 56), SECURITY BOND (No. 57),

Exemption

Bond, when executed by—

(*a*) headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act ;

(*b*) any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem."

(११) अनुच्छेद १७ में, शब्द "Twelve rupees' के स्थान पर शब्द "Eighteen rupees" रख दिये जायें ;

(१२) अनुच्छेद १८, में शब्द "Twenty-five naye paise' और "Fifty naye paise" के स्थान पर क्रमश: शब्द "Thirty-five naye paise" और "Seventy-five naye paise"रख दिये जायें;

(१३) अनुच्छेद १९ में, शब्द "Twenty- five naye paise" के स्थान पर शब्द "Thirty naye paise" रख दिये जायें ;

(१४) अनुच्छेद २० में, शब्द "Three rupees" के स्थान पर शब्द "Four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें;

(१५) अनुच्छेद २२ में, शब्द "Twenty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty rupees" रख दिये जायें ;

(१६) अनुच्छेद २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"23. CONVEYANCE as defined by section 2 (10) not being a TRANSFER charged or exempted under N0. 62

where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs.50.	One rupee and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100.	Four rupees and fifty naye paise.
where it exceed Rs.100 but does not exceed Rs.200.	Nine rupees.
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300.	Thirteen rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400.	Eighteen rupees.
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500.	Twenty-two rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600.	Twenty-seven rupees.
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700.	Thirty-one rupees and fifty naye paise.

where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800.	Thirty-six rupees.
where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900.	Forty rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000.	Forty-five rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Twenty-two rupees and fifty naye paise.

Exemption

"Assignment of copyright in musical works by resident of, or first publised in India."

(१७) अनुच्छेद २४ में—

(क) मद (१) के सामने, शब्द "One rupee and fifty naye paise" और "two rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Two rupees and twenty-five naye paise" और "three rupees" रख दिये जायें; और

(ख) मद (२) के सामने शब्द, "Two rupees" और "three rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Three rupees" और "four rupees and fifty naye paise." रख दिये जायें ;

(१८) अनुच्छेद २५ में, शब्द "three rupees" और शब्द "Three rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "four rupees and fifty naye paise" और "Four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें;

(१९) अनुच्छेद ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"30. Entry as an advocate on the State roll of Uttar Pradesh under the Advocates Act, 1961."	Rupees five.

Exemption

"Entry as an advocate on the State roll of Uttar Pradesh when he has previously been enrolled as an advocate on a State roll or the common roll on payment of stamp duty or has previously been enrolled as an advocate, vakil or attorney in a High Court."

(२०) अनुच्छेद ३५ के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें ;

(२१) अनुच्छेद ३६ में, शब्द "Twenty-five naye paise" के स्थान पर शब्द "Thirty naye paise" रख दिये जायें ;

(२२) अनुच्छेद ३८ में, शब्द "Twenty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty rupees" रख दिये जायें ;

(२३) अनुच्छेद ३९ में—

(क) खंड (ए) में, शब्द "Seventy-five rupees" के स्थान पर शब्द "Ninty rupees" रख दिये जायें ; और

(ख) खंड (बी) में, शब्द "Two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "Two hundred and forty rupees" रख दिये जायें ;

(२४) अनुच्छेद ४० में, जहां भी शब्द "Two rupees" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें ;

(२५) अनुच्छेद ४१ में, जहां भी शब्द "Twenty-five naye paise और शब्द शब्द "Fifty naye paise" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "Thirty-five naye paise" और शब्द "Sixty naye paise" रख दिये जायें ;

(२६) अनुच्छेद ४२ में, शब्द "Three rupees" के स्थान पर शब्द "Three rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ;

(२७) अनुच्छेद ४३ में, जहां भी शब्द "Fifty naye paise" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Sixty naye paise" और शब्द "thirty rupees" के स्थान पर शब्द "forty-five rupees" रख दिये जायें ;

(२८) अनुच्छेद ४५ में, जहां भी शब्द "two rupees" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें ;

(२९) अनुच्छेद ४६ में, शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें;

(३०) अनुच्छेद ४८ में—

(क) खंड (डी) के सामने शब्द "Twelve rupees" के स्थान पर शब्द "Seventeen rupees" रख दिये जायें ;

(ख) खंड ('ई') के सामने शब्द "Twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty-three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायें; और

(ग) खंड ('जी') के सामने शब्द "Two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "Three rupees and thirty-five naye paise" रख दिये जायें ;

(३१) अनुच्छेद ५४ में शब्द, "Thirty rupees" के स्थान पर शब्द "Forty-five rupees" रख दिये जायें;

(३२) अनुच्छेद ५७ में, शब्द "Eighteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ;

(३३) अनुच्छेद ५८ में—

(क) खंड, ('ए') के सामने शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें ; और

(ख) खंड ('बी') के सामने शब्द "twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "thirty-six rupees" रख दिये जायें;

(३४) अनुच्छेद ६१ में, शब्द "fifteen rupees" तथा "Fifteen rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-two rupees and fifty naye paise" और "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ;

(३५) अनुच्छेद ६२ में—

(क) खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(*b*) of debentures, being marketable securities whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8 ;

	Rs.nP.
when the value of the share or the face amount of the debenture does not exceed Rs. 100.	1.50
where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs.200.	3.00
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300.	4.50
where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400.	6.00
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500.	7.50
where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600.	9.00
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700.	11.25
where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800.	13.50
where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900.	15.75
where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000 ;	18.00
and for every Rs. 500 or part thereof in excess Rs.1,000.	9.00

(ख) खंड ('सी') में "fifteen rupees" तथा "Fifteen rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-two rupees and fifty naye paise" और "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें ;

(ग) खंड ('डी') में, शब्द "Thirty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty-three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायें ; और

(घ) खंड ('ई') में शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Seventeen rupees" रख दिये जायें ;

(३६) अनुच्छेद ६४ के खंड 'बी' में शब्द "thirty rupees" के स्थान पर शब्द "forty-five rupees" रख दिये जायें; और

(३७) अनुच्छेद ६५ में, शब्द "one rupee" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifteen naye paise" रख दिये जायं ;

उद्देश्य और कारण

स्टैम्प ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार उससे संलग्न अनुसूची १–बी में निर्दिष्ट दरों पर ही स्टैम्प शुल्क ले सकती है। राज्य सरकार इस बात के लिये बाध्य हो गयी है कि वह बढ़े हुये दायित्वों को, जो अब अनिवार्य हैं तथा राष्ट्रीय आपात के फलस्वरूप नितान्त आवश्यक हो गये हैं, पूरा करने तथा योजना को कार्यान्वित करने के लिये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में समुचित संशोधन करके विभिन्न करणों (instruments) पर स्टैम्प शुल्क की वर्तमान दरें बढ़ायी जायें।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री।

विधान सभा

उत्तर प्रदेश में संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ की उन धाराओं और अनुच्छेदों के उद्धरण कि जिन्हें इंडियन स्टैम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव

(25) "Soldier" includes any person below the rank of non-commissioned officer who is enrolled under the Indian Army Act, 1911 ;

Soldier.

4. (1) Where, in the case of any sale, mortgage or settlement, several instruments are employed for completing the transaction, the principal instrument only shall be chargeable with the duty prescribed in Schedule I-B for the conveyance, mortgage or settlement, and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of three rupees instead of the duty (if any) prescribed for it in that Schedule.

Several instruments used in single transaction of sale, mortgage settlement.

(2) The parties may determine for themselves which of the instruments so employed shall for the purposes of sub-section (1) be deemed to be the principal instrument :

Provided that the duty chargeable on the instrument so determined shall be the highest duty which would be chargeable in respect of any of the said instruments employed.

6. Subject to the provisions of the last preceding section, an instrument so framed as to come within two or more of the descriptions in Schedule I, Schedule I-A or Schedule I-B, shall, where the duties chargeable thereunder are different, be chargeable only with the highest of such duties :

Instrument coming within several description in Schedule I, I-A or I-B,

Provided that nothing in this Act contained shall render chargeable with duty exceeding three rupees, a counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid unless it falls within the provisions of section 6-A.

11. The following instruments may be stamped with adhesive stamps, namely

Use of adhesive stamps.

(*a*) instruments chargeable with a duty not exceeding ten naye paise except parts of bills of exchange payable otherwise than on demand and drawn in sets ;

(*b*) bills of exchange, and promissory notes drawn or made out of India ;

(*c*) entry as an advocate, vakil or attorney on the roll of a High Court ;

(*d*) notarial acts ; and

(*e*) transfer by endorsement of shares in any in corporated company or other body corporate.

32. (1) when an instrument brought to the Collector under section 31 is, in his opinion, one of a description chargeable with duty, and,

Certificate by Collector.

(*a*) the Collector determines that it is already fully stamped, or

(*b*) the duty determined by the Collector under section 31 or such a sum as, with the duty already paid in respect of the instrument,

is equal to the duty so determined, has been paid, the Collector shall certify by endorsement on such instrument that the full duty (stating the amount) with which it is chargeable has been paid.

(2) When such instrument is, in his opinion, not chargeable with duty, the Collector shall certify in manner aforesaid that such instrument is not so chargeable.

(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section shall be deemed to be duly stamped or not chargeable with duty as the case may be ; and if chargeable with duty, shall be receivable in evidence or otherwise and may be acted upon and registered as if it had been originally duly stamped :

Provided that nothing in this section shall authorise the Collector to endorse—

(*a*) any instrument, other than an instrument chargeable with a duty under clause (*bb*) of the first proviso to section 3 executed or first executed in India and brought to him after the expiration of one month from the date of its execution or first execution, as the case may be ;

(*b*) any instrument executed or first executed out of India and brought to him after the expiration of three months after it has been first received in India ;

(*c*) any instrument chargeable with a duty not exceeding ten naye paise or any bill of exchange or promissory note, when brought to him, after drawing or execution thereof on paper not duly stamped,

or

(*d*) any instrument chargeable with duty under clause (*bb*) of the first proviso to section 3 and brought to him after the expiration of three months from the date on which it is first received in Uttar Pradesh.

Instruments unduly stamped by accident.

41. If any instrument chargeable with duty and not duly stamped, not being an instrument chargeable with a duty not exceeding ten naye paise only or a bill of cxchange or promissory note, is produced by any person of his own motion before the Collector within one year from the date of its execution or first execution and such person brings to the notice of the Collector the fact that such instrument is not duly stamped and offers to pay to the Collector the amount of the proper duty, or the amount required to make up the same, and the Collector is satisfied that the omission to duly stamp such instrument has been occasioned by accident, mistake or urgent necessity, he may, instead of proceeding under sections 33and 40, receive such amount and proceed as next hereinafter prescribed.

SCHEDULE I-B

(*Stamp Duty on Instruments under the Indian Stamp Act*, 1899, *as amendep from time to time in its application to Uttar Pradesh*)
(See *Section* 3)

NOTE—The articles in Schedule I-B are numbered so as to correspond with similar articles in Schedule I of Act II of 1899.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
2. ADMINISTRATION BOND including a bond given under sections 291, 375, and 376 of the Indian Succession Act, 1925, or section 6 of the Government Savings Bank Act, 1873.	Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (no. 15).
3. ADOPTION-DEED, that is to say any instrument (other than a Will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Thirty rupees.
ADVOCATE *See* entry as an Advocate.(no. 30).	
4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing.	Three rupees.
Exemptions	
Affidavit or declaration in writing when made—	
(*a*) as a condition of enrolment under the Indian Army Act, 1911, or the Indian Air Force Act, 1932 ;	
(*b*) for the immediate purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court ; or	
(*c*) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5. AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AN AGREEMENT—	
(*a*) if relating to the sale of a bill of exchange.	Fifty naye paise.
(*b*) if relating to the Sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate.	Subject to a maximum of forty rupees, twenty-five naye paise for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the security or share.
(*c*) if not otherwise provided for	Two rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Exemption	
Agreement or memorandum of agreement—	
(*a*) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43 ;	
(*b*) made in the form of tenders to the Central Government for, or relating to, any loan.	
AGREEMENT TO LEASE *See* Lease (No. 35).	
6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE DEEDS, PAWN OR PLEDGE that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to—	
(1) the deposit of title deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) ; or	
(2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pawn or pledge as been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt—	
(*a*) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement—	
	Rs. nP.
When the amount of the loan or debt does not exceed Rs. 200	0.50
When it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 400	1.00
Ditto 400 ditto 600	1.25
Ditto 600 ditto 800	1.75
Ditto 800 ditto 1,000	2.00
Ditto 1,000 ditto 1,200	2.50
Ditto 1,200 ditto 1,600	3.25
Ditto 1,600 ditto 2,500	4.75
Ditto 2,500 ditto 5,000	9.50
Ditto 5,000 ditto 7,500	14.25
Ditto 7,500 ditto 10,000	18.75
Ditto 10,000 ditto 15,000	28.25
Ditto 15,000 ditto 20,000	37.50
Ditto 20,000 ditto 25,000	47.00
Ditto 25,000 ditto 30,000	56.25
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000.	18.75

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*b*) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.	Half the duty payable on a loan or debt under clause (*a*) for the amount secured.
Exemption	
Instrument of pawn or pledge of agricultural produce if unattested.	
7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER, whether of trustees or of property, moveable or immovable, where made by any writing not being a Will—	
(*a*) where the value of the property does not exceed Rs. 1,000.	Eighteen rupees and seventy-five naye paise.
(*b*) in any other case	Thirty-seven rupees and fifty naye paise.
8. APPRAISEMENT OF VALUATION made otherwise than under an order of the Court in the Course of a suit—	
(*a*) where the amount does not exceed Rs. 1,000.	The same duty as a Bond (no. 15), for such amount.
(*b*) in any other case	Fifteen rupees.
Exemptions	
(*a*) Appraisement or valuation made for the information of one party only and not being in any manner obligatory between parties either by a agreement or operation of law.	
(*b*) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	
10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY.	One hundred and twenty-five rupees.
Exemption	
Articles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act, 1913.	
See also Memorandum of Association of a Company (no. 39).	
12. AWARD, that is to say, any, decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit—	
(*a*) where the amount or value of the property to which the award relates does not exceed Rs. 1,000.	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) if it exceeds Rs. 1,000, for every additional Rs.1,000 or part thereof ;	One rupee.
(*c*) where the subject matter of award is incapable of valuation.	Fifteen rupees.
Exemption	
Award under the Bombay District Municipal Act, 1901, section 160 or the Bombay Hereditary Officers Act, 1874, section 18, or the U. P. Municipalities Act,1916, section 324(1) or the U. P. District Boards Act, 1922, section 190(1).	
x x x x	
15. BOND [as defined by section 2(5)] not being a DEBENTURE (No. 26) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court Fees Act, 1870—	
Where the amount or value secured does not exceed Rs. 10,	Twenty-five naye paise.
Where it excees Rs.10 but does not exceed Rs. 50.	Fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100,	One rupee and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200,	Three rupees.
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300,	Four rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400,	Six rupees.
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500,	Seven rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600,	Nine rupees.
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700,	Ten rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800,	Twelve rupees.
Where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900,	Thirteen rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1,000,	Fifteen rupees.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000.	Seven rupees and fifty naye paise.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
See ADMINISTRATION BOND (No. 2) BOTTOMRY BOND (No. 16), CUSTOMS BOND (No. 26), INDEMNITY BOND (No. 34), RESPONDENTIA BOND (No. 56), SECURITY BOND (No. 57).	
Exemptions	
Bond, when executed by—	
(*a*) headman nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, Section 99 for the due performance of their duties, under that Act ;	
(*b*) any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.	
17. CANCELLATION—Instrument (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.	Twelve rupees.
See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-B) Surrender of Lease (No. 61) Revocation of Trust (No. 64-B).	
18. CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchase of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector of other Revenue Officer—	
(*a*) where the purchase money does not exceed Rs. 10.	Twenty-five naye paise.
(*b*) where the purchase money exceeds Rs. 10 but does not exceed Rs. 25.	Fifty naye paise.
(*c*) in any other case	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the purchase money only.
19. CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to	Twenty-five naye paise.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	
See also Letter of Allotment of Shares (No. 36).	
20. CHARTER PARTY, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug-steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charter, whether it includes a penalty clause or not.	Three rupees.
22. COMPOSITION-DEED, that is to say, any instrument executed by a debtor, whereby he conveys his property for the benefits of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend or their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business, under the supervision of inspectors of under letters or licence, for the benefit of his creditors.	Twenty rupees.
23. CONVEYANCE [as defined by section 2(10)] not being a Transfer charged or exempted under no. 62.	
Where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs. 50,	One rupee.
Where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100,	Three rupees.
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200,	Six rupees.
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300,	Nine rupees.
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400,	Twelve rupees.
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500,	Fifteen rupees.
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600,	Eighteen rupees.
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700,	Twenty-one rupees.
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800,	Twenty-four rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900,	Twenty-seven rupees.
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1,000,	Thirty rupees.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000.	Fifteen rupees.
Exemption	
Assignment of copyright in musical works by resident of, or first published in India.	
CO-PARTNERSHIP DEEDS—	
See Partnership (No. 46).	
24. COPY OF EXTRACT, certified to be a true copy of extract by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court-fees—	
(i) if the original was not chargeable with duty of if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees.	One rupee and fifty naye paise when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land ; in any other case, two rupees.
(ii) in any other case not falling within the provisions of section 6-A.	Two rupees, when the copy of extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or Sale deeds of agricultural land and the value of the subject matter of the original does not exceed one thousand rupees; in anyother case, three rupees.
* * *	
Exemption	
(*a*) Copy of any paper which a public Officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.	
(*b*) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.	

Description of Instrument	Proper Stamp duty
25. COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeable with duty and in respect of which the property duty has been paid—	
(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed three rupees ;	The same duty as is able on the original.
(*b*) in any other case not falling within the provisions of section 6-A.	Three rupees.
Exemptions	
Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty.	
30. ENTRY AS AN ADVOCATE, VAKIL, OR ATTORNEY ON THE ROLL OF ANY HIGH COURT.	
Under the Indian Bar Councils Act, 1926, or in exercise of powers conferred on such Court by Letters Patent or by the Legal Practitioners Act, 1884—	
(*a*) in the case of an Advocate or Vakil	Seven hundred and fifty rupees.
(*b*) in the case of an attorney	Seven hundred and fifty rupees.
Exemption	
Entry of an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court when he has previously been enrolled in a High Court.	
35. LEASE, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or subject—	
(*a*) x x x x	
(*b*) x x x x	
(*c*) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered :

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the advalorem stamp required for lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed two rupees.
36. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES in any company or proposed company, or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.	Twenty-five naye paise.
See also certificate or other Document (No. 9).	
X X X X X	
38. LETTER OF LICENCE, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors, that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	Twenty-rupees.
39. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY—	
(*a*) if accompanied by Articles of Association under section 26 of the Companies Act, 1956.	Seventy-five rupees.
(*b*) if not so accompanied	Two hundred rupees.
Exemption	
Memorandum of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.	
40. MORTGAGE-DEED, not being an Agreement relating to Deposit of Title-deeds, Pawn or pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a Crop (No. 41), Respondentia Bond (No. 56) or Security Bond (No. 57)—	
(*a*) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount secured by such deed.
(*b*) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured by such deed.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Explanation	
A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article.	
(*c*) when a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above-mentioned purposes where the principal or primary security is duly stamped—for every sum security not exceeding Rs. 1,000,	Two rupees.
and for every Rs. 1,000 or part thereof secured in excess of Rs. 1,000.	Two rupees.
Exemptions	
(1) Instruments executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances.	
(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
41. MORTGAGE OF A CROP, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of mortgage—	
(*a*) When the loan is repayble not more than three months from the date of the instrument—	
for every sum secured not exceeding Rs. 200	Twenty-five naye paise.
and for every Rs. 200 or part thereof secured in excess of Rs. 200 ;	Ditto.
(*b*) when the loan is repayable more than three months, but not more than eighteen months, from the date of the instrument—	
for every sum secured not exceeding Rs. 100	Fifty naye paise.
and for every Rs. 100 or part thereof secured in excess of Rs. 100.	Ditto.
42. NOTARIAL ACT, that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary	Three rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Public in the execution of the duties of his office, or by any other person, lawfully acting as a Notary public. *See* also Protest of Bill or Note (No. 50).	
43. NOTE OR MEMORANDUM sent by a Broker or Agent to his principle intimating the purchase or sale on account of such principal—	
(*a*) of any goods exceeding in value twenty rupees,	Fifty naye paise.
(*b*) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees.	Subject to a maximum of thirty rupees, fifty naye paise for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of stock or security.
45. PARTITION Instrument of [as defined by section 2(5)].	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the value of the separated share or shares of the property. *N. B.*—The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares than one of such equal shares) shall be deemed to be that from which the other shares are separated. Provided always that— (*a*) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severality is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	in respect of the first instrument but shall not be less than two rupees ;
	(*b*) where land is held on Revenue Settlement, the value for the purposes of this article shall deemed to be— (i) twenty times the annual revenue ; and (ii) ten times the net profits that have arisen from the land during the year next before the date of partition, where the land is wholly or partly exempt from payment of revenue ;
	(*c*) where a final order for effecting a partition passed by any revenue authority or any Civil Court, or an award by an Arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed two rupees.
46. PARTNERSHIP—	
A—Instrument of—	
(*a*) where the capital of the partnership does not exceed Rs. 5,000,	The same duty as a Bond (No. 15).
(*b*) in any other case	One hundred rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
B—Dissolution of—	Fifteen rupees.
Pawn or pledge. *See* Agreement relating to Deposit of Title deeds, Pawn or Pledge (No. 6).	
48. POWER OF ATTORNEY [as defined in section 2(21)] not being a Proxy (No. 52)—	
(*a*) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents ;	One rupee and fifty naye paise.
(*b*) when required in suits or proceedings under the Presidency Small Cause Courts Act, 1882.	One rupee and fifty naye paise.
(*c*) when authorising one person or more to act in a single transaction other than case mentioned in clause (*a*) ;	Two rupees and fifty naye paise.
(*d*) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.	Twelve rupees.
(*e*) when authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.	Twenty-four rupees.
(*f*) when given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of the consideration.
(*g*) in any other case	Two rupees and fifty naye paise for each person authorised.
	N. B.—The term "registration" includes ever operation incidental to registration under the Indian Registration Act (Act XVI of 1908).

Explanation

For the purposes of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

x x x x x

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
54. RE-CONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY—	
(*a*) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs. 1,000,	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of such consideration as set forth in the Re-conveyance.
(*b*) in any other case ..	Thirty rupees.
57. SECURITY BOND OR MORTGAGE DEED executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability.	
(*a*) when the amount secured does not exceed Rs. 1,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured.
(*b*) in any other case	Eighteen rupees.
Exemptions	
Bond or other instrument, when executed	
(*a*) by headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876 section 99 for the due performance of their duties under that Act.	
(*b*) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem ;	
(*c*) under no. 3-A of the rules made by the State Government under section 70 of the Bombay Irrigation Act, 1879 ;	
(*d*) executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists' Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances.	
58. SETTLEMENT—	
A—Instrument of (including a deed of dower)	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	or value of the property settled : Provided that where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument, shall not exceed two rupees.
Exemption	
Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Mohammedans.	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned, but not exceeding twenty-four rupees.
B—Revocation of—	
See also Trust (No. 64).	
61. SURRENDER OF LEASE—	
(*a*) when the duty with which the lease is chargeable does not exceed fifteen rupees,	The duty with which such lease is chargeable.
(*b*) in any other case	Fifteen rupees.
Exemption	
Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	
62. TRANSFER (whether with or without consideration)—	
(*a*) *See* Schedule I-A.	
(*b*) of debentures, being marketable securities whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8.	
when the value of the share or the face amount of the debenture does not exceed Rs. 100,	One rupee.
where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200,	Two rupees.
where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300,	Three rupees.
where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400.	Four rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500,	Five rupees.
where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600,	Six rupees.
where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700,	Seven rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800,	Nine rupees.
where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900,	Ten rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1,000,	Twelve rupees.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess Rs. 1,000.	Six rupees.
(*c*) Of any interest securedby a bond, mortgage deed or policy of insurance—	
(i) if the duty on such bond, mortgage deed, or policy does not exceed fifteen rupees.	The duty with which such bond , mortgage deed or policy of insurance is chargeable:
(ii) in any other case	Fifteen rupees: Provided that, if by any one instrument the interest secured by several bonds, mortgage deeds or policies of insurance is transferred the duty payable in respect of such instrument shall be the aggregate of the duties which would have been payable if separate instruments of transfer were executed in respect of each such bond, mortgage deed or policy of insurance.
(*d*) of any property under the Administrator-General's Ac, 1913, section 25.	Thirty rupees.
(*e*) of any trust property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary.	Fifteen rupees, or such smaller amount as may be chargeable under clause (*b*) and (*c*) of this article.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Exemptions	
Transfers by endorsement—	
(*a*) of a bill of exchange, cheque or promissory note,	
(*b*) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods or other mercantile document of title to goods.	
(*c*) of policy of insurance,	
(*d*) of securities of the Central Government or the State Government.	
See also section 8.	
64. TRUST—	
A—DECLARATION OF—of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will—	
(*a*) where the amount or value does not exceed Rs. 10,000,	The same duty as a Bond (No. 15).
(*b*) where such amount exceeds Rs. 10,000	On ten thousand rupees, the duty payable under clause (*a*), and on the remainder, two rupees for every additional one thousand rupees or part thereof.
B—REVOCATION OF—or concerning any property when made by any instrument other than a Will.	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding thirty rupees.
65. WARRANT FOR GOODS, that is to say any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	One rupee.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २४८ एल० ए०—१९६३(प्रो०)—८३० ।